Par. S. 17. I. 37. 52
285

अंक १ | मंगलवार
सख्या ३७ | ८ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

First Session

-:o:-

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २२६९—२३१३]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ट भाग २३१३—२३६२]

(मूल्य ४ आने)

412 PSD.

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (कैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित — अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेव रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित —)
काचि रोयर, श्री डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण पश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्)(मु)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
गोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (वर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
चडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (वीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चाको, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
चाडक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चावड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
चुरियर, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

चंदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)
जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—उत्तर)
जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)
जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)
जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)
जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)
झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)
टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)
टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)
टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)
डामर, श्री अमर सिंह साब जी' (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)
डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)
तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)
तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)
तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)
तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुखाबाद—दक्षिण)
तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)
तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना. पश्चिम)
तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़रनगर—दक्षिण)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरिंग)
त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)
त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)
दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)
दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (वारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल भानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलदुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वैंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्रह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्षमण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूरुणन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल (खम्मम)
राव, श्री राधासम शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग क्रिशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैंडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सीधि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलबनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ़्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

लोक सभा

मंगलवार, ८ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

काचीन के व्यापारियों का ज्ञापन

*१५१९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तरी ब्रह्मा के काचीन व्यापारियों ने आसाम सरकार को एक ज्ञापन पेश किया है जिस में भारत के साथ स्टिलवेल रोड के रास्ते व्यापार करने के लिये अधिक सुविधायें दिये जाने की मांग की गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा हुआ है तो क्या सरकार ने इस विषय में कुछ निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार इस ज्ञापन पर विचार कर रही है, पर इस में उठाये गये किसी भी प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह व्यापारी आजकल भारत के साथ कोई व्यापार कर सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरा विचार है कि कर सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : किस प्रकार का व्यापार ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में चावल को छोड़, जिस पर कि ब्रह्मा सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है, ऐसी हर एक वस्तु का व्यापार होता है जो साधारणतः व्यापार से सम्बन्धित है ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है, "चावल को छोड़, जिस पर कि ब्रह्मा सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है" । क्या मैं यह जान सकता हूं यदि इन व्यापारियों ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है कि स्टिलवेल रोड के रास्ते चावल आयात करने के बारे में ब्रह्मा सरकार से बात चीत की जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन्हों ने तो कई निवेदन किये हैं और यह एक स्वाभाविक बात है । पर मेरे विचार में ब्रह्मा से चावल आयात करना सम्भव नहीं होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : एक व्यापारी अधिक से अधिक कितनी धनराशि तक का व्यापार कर सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि स्टिलवेल रोड यातायात के लिये खुली है या बन्द ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यातायात के लिये खुली है ।

अतिरेक भाण्डार

*१५२०. **सरदार हुक्म सिंह : क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :**

(क) क्या कोई अतिरेक रक्षा विभाग भाण्डार सन् १९५१-५२ में निजी बातचीत के फलस्वरूप बेचे गये थे ;

(ख) यदि ऐसा हुआ है, तो कितनी धनराशि के लिये और किस द्वारा ; तथा

(ग) इस वर्ष में बिके अतिरिक्त रक्षा विभाग भाण्डार का कुल मूल्य कितना था ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग ९२ लाख रुपये–

(१) ७९ लाख रुपये रसद और उत्सर्जन महानिदेशालय द्वारा ;

(२) १२ लाख रुपये वस्त्र-निर्माण आयुक्त द्वारा ;

(३) १ लाख रुपया रक्षासेवा द्वारा ।

(ग) १९५१-५२ में बिके गये अतिरिक्त रक्षा विभाग भाण्डार का कुल मूल्य १७·३५ करोड़ था ।

सरदार हुक्म सिंह : उत्सर्जन अनुसन्धान समिति द्वारा रखे गये इस नियम के दृष्टिगोचर कि भविष्य में कोई बिक्री बातचीत के आधार पर नहीं की जायेगी, क्या मैं यह जान सकता हूं यदि यह बिक्री बातचीत के आधार पर किसी विशिष्ट कारण की गई ?

श्री बुरागोहिन : जैसे कि मेरे माननीय मित्र निस्सन्देह जानते हैं, निजी बातचीत के आधार पर निबटारा करना साधारण रीति नहीं है । ऐसी रीति तभी अपनाई जाती है जब कि बिक्री की मुख्य रीतियों, अर्थात् विज्ञप्ति टेंडरों तथा नीलाम द्वारा कोई क्रेता न मिले । और जब गोदामों या डीपों को पूर्णरूप से खाली करने के लिये पड़े हुये माल को बेचने की आवश्यकता पड़ती है तब ऐसी रीति अपनाई जाती है ।

सरदार हुक्म सिंह : शिक्षा तथा अन्य पूर्व-संस्थाओं को बेचे गये वैज्ञानिक भाण्डार, अर्थात् वैज्ञानिक यन्त्रजाल, सामान आदि का मूल्य क्या था ?

श्री बुरागोहिन : मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : भाण्डार को बातचीत द्वारा, सार्वजनिक नीलाम करके अथवा टेंडर बुलाकर बेचने के प्रश्न का निर्णय केवल महानिदेशक ही करते हैं या कि कोई समिति ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, जैसे कि मैंने पहले कहा है, जब साधारण रीतियों द्वारा बिक्री नहीं की जा सकती उस अवस्था में महानिदेशक को यह अधिकार है कि वह ५०,००० रुपये तक के पुस्तमूल्य वाले भाण्डार को बातचीत द्वारा बेच डाले । यदि यह मूल्य इस राशि से अधिक हो, तो उसको मन्त्रालय की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है ।

श्री बोगावत : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हुं कि किन किन देशों को रक्षा विभाग भाण्डार बेचा जाता है और किस देश को कितनी राशि के मूल्य का सामान दिया गया है ?

श्री बुरागोहिन : मेरा विचार है कि हम यह सामान विदेशों को नहीं बेचते हैं ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं यदि गत वर्ष, अर्थात् १९५१-५२ में मोटर गाड़ियां और वायुयानों के अंग भी बेचे गये थे ?

श्री बुरागोहिन : जी हां, श्रीमान् ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार ने वायुयान भी बेच डाले हैं, तथा यदि बुलाये जाने पर भी टेंडर न आने के उपरान्त ही इस बिक्री के लिये बातचीत आरम्भ की गई थी ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, ७० क्यूटिस कमांडो वायुयान तथा जुदा अंग गत वर्ष में बिक्री के लिये विज्ञप्त किये गये थे और इसके फलस्वरूप गत वर्ष के नवम्बर मास में यह सारा सामान बेचा गया । परन्तु क्रेतापक्ष रुपये अदा करने और बैंक की प्रत्याभूति प्रस्तुत करने की शर्त पूरा न कर सका और परिणामस्वरूप यह बिक्री गत अप्रैल के महीने में रद्द कर दी गई । तीन लाख की निक्षिप्त प्रतिभूति जब्त कर ली गई और वायुयान तथा जुदा अंग पुनः विश्व भर में विज्ञप्त किये गये । इस विज्ञप्ति की कालावधि इस मास के मध्य में समाप्त होगी ।

एक माननीय सदस्य : क्या मैं जान सकता हूं यदि एक करोड़ रुपये के मूल्य वाले टायर बिक्री के लिये रखे गये थे ?

श्री बुरागोहिन : मुझे इस की पूर्व-सूचना चाहिये । मुझे स्मरण होता है कि कुछ समय पूर्व इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने दिया था । परन्तु मुझे निश्चय नहीं है ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि इस अतिरिक्त भाण्डार में वह भाण्डार भी सम्मिलित है जिस में ऐसा सामान भी है जिस की उचित नामावली के अभाव के कारण पहिचान नहीं की जा सकती ।

श्री बुरागोहिन : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं वायुयानों की बिक्री के सम्बन्ध में जान सकता हूं यदि यह दूसरी बार उसी क्रेतापक्ष को दिये गये जिसका पहला ठेका रद्द कर दिया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठेका लेने के लिये किसी के लिये भी अभी समय है । माननीय सदस्य उत्तर को नहीं समझे हैं । बिक्री के बारे में विज्ञापन हुआ है और अभी भी इस मास के मध्य तक कोई भी ठेका ले सकता है । यदि सदस्य चाहें तो वह भी ... **(अन्तर्बाधा)**

लोहा इस्पात और एल्यूमीनियम

*१५२१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि हमारे देश में उत्पादित लोहे, इस्पात तथा एल्यूमीनियम का मूल कच्चा माल हमारी वार्षिक अपेक्षा से कम है और कितना कम ; तथा

(ग) इस कमी को आगाम्य वर्ष में दूर करने के सम्बन्ध में सरकार क्या करने का सोच रही है ? कमी का कितना भाग उत्पादन की वृद्धि से और कितना आयात द्वारा पूरा किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् । इस समय लगभग ३००,००० टन कच्चे लोहे, दस लाख से अधिक टन इस्पात तथा ११,२५० टन एल्यूमीनियम की कमी है ।

(ख) लोहे और इस्पात के उद्योग-धंधे की वर्तमान इकाइयों के सामर्थ्य में वृद्धि लाने के लिये कुछ योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है और वह नई इकाइयां स्थापित करने की भी योजना कर रही है । एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिये भी सरकार एक और इकाई स्थापित करने का विचार रखती है । यह योजनायें व्यवहार में लाये जाने पर हमारी कितनी कमी पूरी होगी और हमें कितना कुछ आयात करना पड़ेगा, इसके बारे में अभी कुछ कहना अकालज है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन आवश्यक वस्तुओं की सीमित प्राप्ति के दृष्टिगोचर सरकार ने इस बात का निर्णय किया है कि प्राप्त किये जा सकने वाली दैनिक मात्रायें किन विशेष उद्योग-धंधों के बीच बांटी जायेंगी?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, ऐसा प्रतिदिन किया जाता है। वास्तव में, विशेष उद्योग-धंधों के बीच बंटन आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : यदि वर्तमान लक्ष्य प्राप्त हो जाये, तो क्या हमारे कुछ यन्त्रोद्योग आत्म-निर्भरता प्राप्त करेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वर्तमान स्थिति तो यह है कि इस समय उपभोक्ता को कुछ नहीं मिलता, और औद्योगिक तथा कृषि-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अपने मित्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं कल्पना के संसार में चक्कर काटता हूं और मेरा अनुमान है कि लक्ष्यप्राप्ति के उपरान्त यह सम्भव है कि उद्योग-धन्धा आत्मनिर्भर हो जाये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि इस्पात तैयार करने वाले उद्योगों के बीच इस्पात के बंटन में कुछ पतन हो गया है ? यदि हो गया है, तो किस कारण ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय मंत्री के दिये गये उत्तर से ज्ञात होता है कि कृषकों की आवश्यकताओं को कुछ पूर्ववर्तिता दी जाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि कृषकों की आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत पूरा किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा यह सुझाव है कि इसके लिये एक अलग प्रश्न की सूचना हो।

कच्चा लोहा

*१५२२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि यह तथ्य है कि योजना आयोग ने कच्चे लोहे के उद्योग के विकास को श्रेष्ठतम पूर्ववर्तिता दी है; तथा

(ख) यदि दी है तो १९५२-५३ में इस विकास के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कच्चे लोहे के उत्पादन में वृद्धि के अभिप्राय से विद्यमान उत्पादकों की सहायता के लिये योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या केवल कच्चे लोहे के उत्पादन के सम्बन्ध में योजना की जा रही है या कि इस्पात के लिये भी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सारा प्रश्न विचाराधीन है। हमारे पास कई वैकल्पिक योजनायें हैं। इस समय हम विद्यमान इकाइयों के उत्पादन को बढ़ाने की सोच रहे हैं, और यदि हमारा वर्तमान परीक्षात्मक कार्यक्रम सिद्ध हो जाये, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अधिक इस्पात होगा, और अधिक कच्चा लोहा प्रति वर्ष ३००,००० से ३५०,००० टन होगा। इतनी वृद्धि केवल विद्यमान इकाइयों के उत्पादन के बढ़ने से होगी। सरकार साथ ही एक तीसरी इकाई स्थापित करने की सोच रही है। पर किस प्रकार और कैसे ऐसा करेगी। इन प्रश्नों पर अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है। उस अवस्था में सम्भव है कि कच्चे लोहे की प्राप्ति में और भी वृद्धि होगी।

सरदार हुक्म सिंह : योजना के अनुकूल यह दो नये महायन्त्र कब उत्पादन का कार्य आरम्भ करेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का अभिप्राय भली भांति नहीं समझ पाया हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अनुकूल यह महायन्त्र उत्पादन का कार्य इन पांच वर्षों में या उसके पश्चात् भी आरम्भ करने के योग्य बन जायेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यदि हमारी आशा पूरी हो जाये तो यह महायन्त्र १९५७ से पूर्व ही पूर्ण उत्पादन करते होंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या शीघ्र ही भविष्य में स्थापित किये जाने वाले महायन्त्र के लिये कोई स्थान देख लिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने कहा है, इन प्रश्नों पर गम्भीर विचार किया जा रहा है । सरकार वैकल्पिक योजनाओं पर विचार कर रही है । जहां तक विद्यमान इकाइयों का सम्बन्ध है हम ने इस बात का निर्णय कर ही लिया है कि हम इनका उत्पादन बढ़ाने में इनकी सहायता करेंगे । अब रहा नयी इकाइयों का प्रश्न, इस के बारे में हम सम्भावनाओं की खोज कर रहे हैं और इस समय मैं कोई उत्तर देकर अपने आप को बाग्बद्ध नहीं कर सकता ।

श्री माधव रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में किसी जापानी व्यवसाय संघ के साथ कोई क़रार हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, श्रीमान ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं यदि मध्य प्रदेश में कच्चे लोहे का महायन्त्र स्थापित करने के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम ने अभी तीसरी इकाई के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है । जब ऐसा कोई निर्णय हो जाये तब इस बात का भी पता चलेगा कि इस यन्त्र की स्थापना कहां होगी ।

ब्रिटिश औपनिवेशक विकास निगम की प्रार्थना

*१५२३. **श्री वैलायुधन :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ब्रिटिश औपनिवेशिक विकास निगम की ओर से भारत सरकार से भारतीय श्रमिकों के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी; तथा

(ख) यदि की गई थी, तो भारत सरकार इस विषय में क्या करने का विचार रखती है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). जी हां। निगम का एक प्रतिनिधि उत्प्रवास के महा नियंत्रक के साथ अनियमित रूप से भारत से उत्तरी बोर्नियो में काम पर लगाये जाने के लिये श्रमिक प्राप्त करने की सम्भावना पर बातचीत करने के लिये आया था । उसको समझाने के लिये भारत उत्प्रवास अधिनियम के उन उपबन्धों की व्याख्या की गई जिन के अधीन अप्रवीण श्रमिकों के उत्प्रवास पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और प्रवीण श्रमिकों के उत्प्रवास की अनुमति दी जा सकती है । आज तक निगम से कोई ठोस प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है । इसलिये इस समय सरकार की ओर से कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार ने प्रवीण तथा अप्रवीण भारतीय श्रमिकों को बोर्नियो में देशान्तर वास करने की अनुमति दी है ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसे कि मैं ने कहा है, अनियमित रूप से बोर्नियो के लिये एक प्रार्थना की गई है और यह अभी सरकार के पास विचाराधीन है ।

श्री नम्बियार : बोर्नियो सरकार भारत सरकार से ही श्रमिक भेजने की मांग क्यों कर रही है ? क्या वह और कहीं से श्रमिक ला नहीं सकते ? क्या केवल हम ही ऐसे लोग हैं जो उन को श्रमिक दे सकते हैं ।

श्री सतीश चन्द्र : भारत सरकार को अप्रवीण श्रमिकों को बोर्नियो उत्प्रवास करने की अनुमति देने का विचार नहीं ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार इस बात से विदित है कि इंगलिस्तान का औपनिवेशिक विकास निगम केवल ठेके पर लगाये गये श्रमिकों की संस्था है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं इस बात से विदित नहीं कि यह संस्था किस प्रकार की है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं यदि बोर्नियो सरकार ने भारत सरकार से उत्तरी बोर्नियो में स्थायी रूप से निवास करने के लिये भारतीयों के वहां भेजे जाने की सम्भावना पर बातचीत की ?

श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्रमिक भविष्य–निधि

*१५२४. **श्री वैलायुधन :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे यदि सरकार ने श्रमिकों को भविष्य निधि देने की योजना को अन्तिम रूप दिया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : कर्मचारियों को भविष्य निधि देने की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । आशा है ऐसा शीघ्र ही होगा और फिर इस योजना को प्रकाशित किया जायेगा ।

चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार

*१५२५. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चैकोस्लोवाकिया के साथ सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ की व्यापार संविदाओं की शर्तें क्या थीं ; तथा

(क) इन दो वर्षों में प्रति वर्ष चैकोलोस्वाकिया को निर्यात तथा वहां से आयात वस्तुओं की मात्रा तथा उनका मूल्य क्या था ;

(ग) क्या चैकोस्लावाकिया के साथ १९५२-५३ के लिये कोई व्यापार संविदा किया गया है ?

(घ) यदि किया गया है तो किन शर्तों पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५०-५१ में किये गये व्यापार संविदा की शर्तें भारत ज़ेक व्यापार संविदा (१९५०-५१) में लिखी हैं, जिस की प्रतिलिपियां सदन के पुस्तकालय में हैं । इस देश के साथ १९५१-५२ में कोई व्यापार संविदा नहीं किया गया था ।

(ख) दो विवरण जिन में कि मांगी हुई सूचना मिलेगी, सदन पटल पर रखे हैं । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) १९५२-५३ के लिये दो देशों के बीच एक व्यापार संविदा के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है ।

(घ) यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी अन्तरावधि के पश्चात् चैकोस्लावाकिया के साथ फिर से व्यापार संविदा किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृणमाचारी : जैसे कि मैं ने कहा है, १९५१-५२ में उस देश के साथ

कोई संविदा नहीं किया गया। यदि वर्तमान बातचीत सफल रहे तो यह बात स्पष्ट ही है कि नया संविदा एक वर्ष की अन्तरावधि के पश्चात् होगा।

श्री एस० सी० सामन्त: विवरण से मुझे यह पता लगा है कि १९५१-५२ में लगभग १४४,००० पौंड रंग तथा तारकोल से बनाये गये चर्मशोधन करने का सामान भारत में आयात हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में तारकोल से रंग बनाये जाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

डा० पी० एस० देशमुख: सन् १९५१-५२ में किन कारणों से कोई संविदा न हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: दीख पड़ता है कि दोनों पक्ष संविदा के लिय तैयार नहीं थे।

डा० जयसूर्य : दूसरा पक्ष तैयार नहीं था या कि हमारा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य जैसे चाहते हैं वैसे समझ लें, बात तो यह है कि ऐसे संविदा के लिये दो पक्षों का सहमत होना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ऐसी बातों में यदि माननीय मंत्री को जानकारी न हो, तो उन को कहना चाहिये था कि वह इस बात का पता लगायेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, मेरे पास तो इस बात की जानकारी है, पर स्थिति तो यही है।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि स्थिति यह है कि हमारी सरकार संविदा नहीं करना चाहती थी और यदि यह कोई रहस्य बात है, तो माननीय मंत्री को ऐसा न बताने का अधिकार है, नहीं तो जो कोई रहस्य नहीं, वह सरकार की नीति बता सकते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी श्रीमान्, क्या मैं स्थिति की व्याख्या कर सकता ? ऐसे संविदा के लिये आवश्यकता पड़नी चाहिये। सम्भवत: विद्यमान व्यापार व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है। हम ने इंगलिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका अथवा फ्रांस जैसे महादेशों के साथ तो कोई व्यापार संविदा नहीं किया है। कभी कभी हमें वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार संविदा करना पड़ता है और एसी स्थिति में संविदा करना आवश्यक है। नहीं तो साधारण व्यापार प्रणालियां स्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं। इस का यह अभिप्राय नहीं कि बिना किसी संविदा के दो देशों के बीच व्यापार होना बन्द हो जाता है।

श्री जोशिम अलवा : वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के अधिकारी विभाग के वर्तमान स्थानापन्न सचिव के नेतृत्व में एक दो वर्ष पहले चैकोस्लावाकिया गये थे। क्या वे स्कोडा नामक कारखाने पर गये थे और क्या उन्होंने यह पता लगाया कि कौन सी मूल वस्तुयें अधिकतम लाभ पर भारत आयात की जा सकती थीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न की सूचना दें, तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त: विवरण से ज्ञात होता है कि कच्ची धातुयें, आयात तथा निर्यात की गई हैं। क्या मैं इन के गुण प्रकार जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं यदि कभी भारत सरकार ने चैकोस्लोवाकिया सरकार से मूल वस्तुओं के बारे में बात चीत की थी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार ने स्पेन, जर्मनी, आस्ट्रिया तथा रूस के साथ व्यापार की कोई व्यवस्था की है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ।

फ़्रांस के लिये भारतीय कपास

*१५२६. **डा० पी० एस० देशमुख:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि फ़्रांस ने कुछ भारतीय कपास लेने की मांग की है ;

(ख) यदि की है तो कितनी मात्रा के लिये, किस गुण-प्रकार की और प्रति गट्ठा किस दाम पर ?

(ग) फ़्रांस द्वारा और कपास खरीदे जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये जाते हैं ; तथा

(घ) यदि यह सच है कि फ़्रांस अमरीकी कपास के बदले भारतीय कपास चाहता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार ने इस दिन तक कुल ३०२,००० गट्ठे की मात्रा में विशेष गुण-प्रकार का कपास निर्यात किये जाने की घोषणा की है और निर्यात करने वाले व्यापारी कई स्थानों को, जिन में फ़्रांस भी एक है, कपास भेज सकते हैं । सरकारी स्तर पर कोई लेन देन नहीं होता । व्यक्तिगत रूप से वे निर्यात करने वाले भारतीय व्यापारी जिन में अभ्यंश बांट दिये गये हैं, फ़्रांस के क्रेताओं के साथ व्यापार कर सकते हैं ।

(ख) सरकार को इस की जानकारी नहीं ।

(ग) भाग (क) के उत्तर के दृष्टि-गोचर यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(घ) सरकार को इस की जानकारी नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार विदेशों के साथ छोटे रेशे वाली रूई का व्यापार युद्ध से पूर्व वाले स्तर पर फिर से लाने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे मित्र द्वारा उठाये प्रश्न में अन्तर्ग्रस्त एक ऐसा अंगी-करण है जिस के लिये मैं तैयार नहीं । उत्तर में बताई गई सीमा से अधिक छोटे रेशे वाली रूई के निर्यात की अनुमति देने को हम व्याकुल नहीं हैं । इसलिये, यदि प्रश्न हमारी ओर से निर्यात बढ़ाने का है, तो वह तो उत्पन्न ही नहीं होता ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि देश में उत्पादित छोटे रेशे वाली रूई का कितना भाग भारतीय कारखानों में काम में लाया जा सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य ने पहले भी इस विषय के सम्बन्ध में बहुत प्रश्न पूछे हैं और उन को यह पता है कि इस वर्ष हमारी स्थानीय कपास की उत्पादि लग भग ३४ लाख गट्ठे होने की आशा है । इस में अधिकांश भाग छोटे रेशे वाला ही है और अनुमान है कि इस की अधिकांश मात्रा कारखानों में उपयोग में लाई जायेगी । निर्यात नीति कारखानों की आवश्यकतायें पूरी होने के बाद बाकी रूई की आगणित मात्रा पर निर्भर है । यह मात्रा जैसे कि उत्तर में बताया गया है, तीन लाख गट्ठे हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं यदि भारतीय मिलों द्वारा छोटे रेशे वाले कपास के उपभोग में

कोई बढ़ोतरी हुई है और यदि हुई है तो कितनी ?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या गत वर्ष से ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: स्थिति यह है कि सन् १९४७-४८ से हमारे छोटे रेशे वाले कपास के निर्यात में जो कि तब काफी था, पतन होता रहा है । अनुभव यही होता है कि मिलें हमारी उत्पादि का उपयोग कर रही ह । साथ ही अभी हाल में उत्पादि में भी काफी वृद्धि हुई है ।

इंगलिस्तान में भारतीय चाय

***१५२७. डा० राम सुभग सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ब्रिटिश बाजारों में पाकिस्तान, श्री लंका, इंडोनेशिया तथा पूर्वी अफ़्रीका की चाय के मुकाबले में भारतीय चाय का प्रति पौंड मूल्य क्या है ;

(ग) यदि सरकार को इस मूल्य सत्र को घटाने का विचार है; तथा

(ख) यदि (ग) का उत्तर "हां" है तो सरकार को इस विषय में क्या व्यवस्था करने का विचार है :

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) इस विषय में एक विवरण सदन पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उत्पन्न ही नहीं होता ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं यदि कुछ चाय रोपियों ने सरकार को यह सूचना दी है कि वे अपने चाय के खेतों में काम करना बन्द करेंगे यदि चाय का मूल्य तथा उत्पादन की लागत कम न किये जायें ?

श्री करमरकर: मुझे इस बात का पता लगाना होगा ।

श्री वैलायुधन: क्या मैं जान सकता हूं यदि इंगलिस्तान द्वारा अधिकांश क्रय अब भी प्रचलित है ?

श्री करमरकर: जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं जान सकता हूं कि हाल में विभाग द्वारा कराई जांच का क्या परिणाम रहा है ?

श्री करमरकर: समिति ने उत्तर भारत में जांच की है और अब यह दक्षिण भारत गई है । हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं जान सकता हूं यदि अभी हाल में इंगलिस्तान में चाय का राशन बढ़ाये जाने के फलस्वरूप इंगलिस्तान द्वारा चाय की मांग में कुछ बढ़ोतरी हुई है ?

श्री करमरकर: इतनी जल्दी तो यह कहा नहीं जा सकता, परन्तु हमारी चाय के लिये मांग अवश्य बढ़ जायेगी ।

श्री ए० सी० गुहा: कलकत्ता में नीलाम किये जाने के अभिप्राय से कलकत्ता में चाय जमा करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री करमरकर: मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

सिख यात्री

***१५२८. डा० राम सुभग सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में जनवरी से मई की कालावधि में जो सिख यात्री पाकिस्तान तीर्थ-यात्रा के लिये गये, उन की संख्या क्या थी ;

(ख) जो हिन्दू इसी कालावधि में पाकिस्तान स्थित तीर्थों की यात्रा के लिये गये, उन की संख्या क्या थी; तथा

(ग) इसी कालावधि में पकिस्तान से भारत तीर्थ यात्रा पर आये हुए मुसलमानों की संख्या क्या थी ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ४६० ।

(ख) ९९ ।

(ग) ६९१ ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि दोनों देशों में आये हुए यात्री, अविमत कालावधि में, किसी भी मनचाही जगह पर जा सकते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : नहीं, श्रीमान् । वह लोग केवल वहां जा सकते हैं जहां उन के तीर्थ हैं ।

श्री दाभी : क्या मैं पाकिस्तान में हिन्दुओं तथा सिखों के तीर्थों की संख्या तथा उन स्थानों के नाम जहां यह तीर्थ स्थित हैं जान सकता हूं ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं पाकिस्तान में सारे तीर्थों की नाम सूची नहीं दे सकता । मैं उन स्थानों के नाम बता सकता हूं जहां भारतीय दल गये थे । सिखों के जत्थे पुंजा साहिब, गुरुद्वारा सच्चा सौधा, ननकाना साहिब, तथा लाहौर में स्थित गुरु अर्जुन देव की समाधि पर गये थे । हिन्दू गुजरांवाले के तीर्थ, लाहौर में स्थित समाधि तथा देवाश्रम और मुल्तान के मन्दिरों की यात्रा के लिये गये थे ।

श्री नामधारी : यदि केवल इतनी थोड़ी संख्या में लोग तीर्थ-यात्रा को जा सकते हैं तो आगामी बीस वर्ष में केवल बीस हजार लोग तीर्थ-यात्रा कर सकते हैं । इस बात के दृष्टिगोचर क्या मैं जान सकता हूं यदि जगतपिता परमात्मा की दया प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिये सामूहिक रूप से लोगों की तीर्थ-यात्रा की व्यवस्था करने की सम्भावना पर सरकार विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार आशा करती है कि इस बीच में लोगों की आदतें बदल जायेंगी ।

सरदार हुकम सिंह : क्या यात्रियों की संख्या की सीमा वही सरकार निश्चित करती है जिस से प्रार्थना की जाती है, या कि दोनों में से कोई एक सरकार महत्तम निश्चित करती है ?

श्री सतीश चन्द्र : कोई महत्तम निश्चित नहीं होता । दलों की ओर से प्रार्थना की जाती है जो पाकिस्तान सरकार के पास भेजी जाती है । कई दलों की प्रार्थना स्वीकार की जाती है और कइयों की अस्वीकृत होती है । ऐसे ही भारत सरकार भी पाकिस्तानी दलों को, जो भारत में स्थित तीर्थों की यात्रा करना चाहते हों, अनुमति देती है या नहीं देती ।

श्री हुकुम सिंह : अभी हाल में भारत के कई हिन्दुओं और सिखों का इस विषय में एक सम्मेलन बुलाया गया । क्या इस सम्मेलन का कुछ निश्चित उद्देश्य था ? यदि था तो परिणाम क्या रहा ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री दाभी : पाकिस्तान में स्थित हिन्दुओं और सिखों के मन्दिरों के प्रबन्ध के बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माना जाता है कि वहां उचित प्रबन्ध है, और यात्री सुलभता से वहां जा सकते हैं ।

संयुक्त राज्य अमरीका में संश्लेषित रबड़ का उत्पादन

***१५३०. श्री एल० एन० मिश्र :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे यदि यह ठीक है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार संश्लेषित रबड़ के उद्योग को अनिश्चित सीमा तक सहायता दे रही है और कम मूल्य वाले बनावटी रबड़ के उत्पादन से रबड़ की तेज मांग समाप्त हो जायेगी ?

(ख) यदि ऐसी स्थिति है तो इस का हमारे रबड़ के उद्योग पर क्या प्रभाव होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय रबड़ के उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह एक रक्षित उद्योग है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ निरीक्षण संघ ने जिसकी बैठक ओटावा में हुई थी, विश्व के रबड़ उद्योग को सुस्थिर करने की कुछ सिफारिशें की हैं ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री वेंकटारमन् : क्या मैं पूछ सकता हूं कि भारतीय रबड़ के मूल्य तथा विश्व के और क्षेत्रों के रबड़ के मूल्य की तुलनात्मक अवस्था क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री : (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) . मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं । भारतीय रबड़ का मूल्य १२२ रुपये प्रति १०० पौंड है लन्दन के बाज़ार में रबड़ का मूल्य २ शिलिंग या इससे थोड़ा सा अधिक है । अभी हाल में ही दो शिलिंग थी। अब मूल्य बढ़ रहा है। आजकल मेरे विचार में मूल्य दो शिलिंग से एक या दो पैंस ऊपर है। उतार चढ़ाव होता रहता है।

श्री वेलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं यदि बनावटी रबड़ की बनी हुई वस्तुएं भारत आयात की जाती हैं ? यदि की जाती हैं तो क्या वह स्थानीय रबड़ से बनाई वस्तुओं से सस्ती हैं ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में बनावटी रबड़ की वस्तुएं आयात नहीं की जाती हैं ।

श्री पी० टी० चाको : माननीय मंत्री ने कहा कि भारत का रबड़ उद्योग अप्रभावित रहेगा। क्या मैं जान सकता यदि इस का कारण यह है कि भारत में रबड़ का नियंत्रित मूल्य भारत से बाहर रबड़ के मूल्य से कम है ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान् । इस समय मुझे इस बात की जानकारी है कि कई विदेशी बाज़ारों में रबड़ का मूल्य १२८ रुपये प्रति १०० पौंड है और इसके मुकाबले में हमारा नियंत्रित मूल्य, जो कि १२९ रुपये है, अधिक है ।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि १२८ रुपये प्रति १०० पौंड वाला मूल्य भारत आयात किये जाने वाले रबड़ के लिये हमारे दिये हुए मूल्य का केवल एक तिहाई है ?

श्री करमरकर : हमें जितने रबड़ की आवश्यकता है उस का थोड़ा सा भाग आयात किया जाता है, लगभग एक तिहाई ।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं किस कारण रबड़ का नियंत्रित मूल्य उस मूल्य से कम है जो हम आयात किये जाने वाले रबड़ के लिये देते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अवस्था अब नहीं है । गत दो वर्षों में ऐसी अवस्था थी । मैं ने कुछ समय पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया था जब मैं ने कहा था कि मलाया में रबड़ का मूल्य चार शिलिंग साढ़े आठ पैंस प्रति पौंड की ऊंची सीमा तक पहुंचा और उस समय थोड़ी मात्रा में रबड़ भारत आयात हुआ । वास्तव में हमारे कच्चे रबड़ की कुल वार्षिक उत्पादि १६,००० टन है और हमें २०,००० टन की आवश्यकता है इस समय भारत तथा विदेशों में रबड़ का मूल्य लगभग एक सा ही है ।

श्री जोशिम अलवा : पिछले संसद् में रखी गई शिकायत, कि रबड़ बनाने में सम्पृक्त स्वार्थ वाले डनलप आदि रबड़ का मूल्य

अल्पसीमित रखना चाहते थे, के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह तो एक भूतकाल में बीत चुकी बात है। जैसे कि मैं ने कहा, वर्तमान स्थिति काफी सन्तोषजनक है।

अम्लीय रंग तथा सल्फा औषधियां

*१५३२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हम प्रति वर्ष कितनी मात्राओं में अम्लीय रंग तथा सल्फा औषधियों का प्रयोग करते हैं और हम यह वस्तुयें कहां से तथा किस मूल्य पर आयात करते हैं ?

(ख) अतुल फैक्टरी प्रति वर्ष कितनी मात्रा का उत्पादन करेगा ?

(ग) फैक्टरी को स्थापित करने में क्या प्राथमिक लागत आई है ?

(घ) यदि यह सामान देश में बनाया जाये तो कितनी वार्षिक बचत होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ख) आशा है कि कारखाने की उत्पादि यह होगी :

अम्लीय रंग..... ९६०,००० पौंड

सल्फा औषधियां ... २५०,००० पौंड

(ग) सूचना प्राप्त नहीं है।

(घ) यदि वर्तमान आशा पूरी हो जाये तो अम्लीय रंग के सम्बन्ध में लगभग २० लाख रुपये और सल्फा औषधियों के सम्बन्ध में लगभग एक करोड़ रुपया।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि अतुल के अतिरिक्त और भी कोई कारखाने हैं जो इन औषधियों को बनाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हां, श्रीमान्, और भी कारखाने हैं। परन्तु वे सामर्थ्य से कम निर्माण करते हैं और उन की उत्पादि बहुत थोड़ी है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या मैं इन कारखानों के नाम जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरा विचार है कि इस प्रश्न का उत्तर पहले ही सदन में दिया जा चुका है। मुझे पूर्वसूचना चाहिये। मुझे इन कारखानों के नामों की स्मृति नहीं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: हमारे कारखानों में उत्पादन की लागत तथा इस भेषज के आयात मूल्य की कैसे तुलना हो सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: नया कारखाना अभी उत्पादन नहीं कर रहा है और जब तक इस का उत्पादन कार्य आरम्भ न हो जाये हमारे पास तुलनात्मक आंकड़े नहीं होंगे। मे और बेकर का कारखाना भी यद्यपि इस का उत्पादन सामर्थ्य ज्ञात है अभी पूर्ण रूप से उत्पादन नहीं करता।

श्री बैलायुधन: क्या मैं जान सकता हूं कि अतुल कारखाने में कितनी कितनी भारतीय तथा विदेशी पूंजी लगाई गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस उद्योग की प्राधिकृत पूंजी ५ करोड़ रुपये है। इस में से १० प्रति शत का स्वामित्व अमरीकी है। इस के अतिरिक्त शुद्ध बिक्री के मूल्य का, ढाई प्रति शत स्वामित्व विदेशी कम्पनी को दिया जाता है। निर्गमित पूंजी १ करोड़ रुपया है।

श्री वेलायुधन: इस में कम्पनी का भाग कितना है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या मैं जान सकता हूं यदि हमारे देश में स्थापित कारखाने का उत्पादन सामर्थ्य हमारे उपभोग के लिये आवश्यक मात्रा से कम है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: बहुत ही कम ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: इस कमी को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिस का यह एक उदाहरण है ।

श्री के० के० बसु: क्या हम जान सकते हैं यदि मे और बेकर कम्पनी में कोई भारतीय भाग है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

मैसूर रेशम कारखाने का बन्द होना

*१५३३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे यदि मैसूर राज्य में चनवापथान तथा कनोकनाहली में काते हुए और कोये से निकाले रेशम के कारखाने बन्द कर दिये गये हैं ?

(ख) उन के अकस्मात बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या विदेशी रेशम के आयात के विषय में तात्कालिक भविष्य में कोई नीति परिवर्तन होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) चनवापथान में स्थित मैसूर काते हुए रेशम की सीमित मिल्ज़ (मैसूर स्पन सल्क मिल्ज़ लिमिटेड) का काते हुये रेशम का विभाग तथा कनोकनाहली में स्थित कोये से रेशम निकालने का सरकारी कारखाना क्रमशः १७ और २९ मार्च, १९५२ में बन्द कर दिये गये ।

(ख) बन्द किये जाने का कारण वर्तमान सामान्य मन्दी है जिस के फलस्वरूप दाम गिर गये और काते हुए रेशम के धागे तथा कच्चे रेशम की संचित राशि बढ़ती गई ।

(ग) जुलाई से दिसम्बर १९५२ की कालावधि के लिये आयात नीति के सम्बन्ध में अभी हाल में की गई घोषणा से ज्ञात होगा कि कच्चे रेशम के बारे में नीति का विवरण बाद में दिया जायेगा, अर्थात्, कच्चे रेशम के आयात की कोई अनुज्ञप्ति उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक कि स्थिति का पुनर्निरीक्षण न किया जाये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने श्रमिक नौकरी से निकाले गये हैं ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, मुझे ज्ञात हुआ है कि काते हुए रेशम की मैसूर मिल्ज़ के बन्द होने से कुल १५०० श्रमिकों में से १५० दुष्प्रभावित हुए हैं । इस समय मेरे पास कोये से रेशम बनाने के कारखानों के बारे में कोई जानकारी नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार ने इन श्रमिकों को आन्तरिम सहायता देने का कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री करमरकर: यह प्रश्न उस स्थापना से सम्बन्धित है, हम से नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि कोयों तथा रेशम के धागे से बने हुए सामान का मूल्य स्थिर रखने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री करमरकर: जैसा कि मेरे माननीय मित्र को ज्ञात होगा, हम परियात आयोग (जिस को पहले परियात बोर्ड कहते थे) के

साथ प्रायः परामर्श करते रहे हैं। परियात आयोग इस महीने फिर इस विषय की जांच करेगा पहले उन्हों ने ३३ रुपये १० आने बिक्री का उचित मूल्य निश्चित किया था और उद्योग को जो अब सुरक्षा मिलती है वह, उसी के आधार पर ३० प्रति शत तथा ३ रुपये १४ आने प्रति पौंड आयात-शुल्क है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैसूर राज्य को रेशम के उद्योग को उन्नति देने के लिये क्या अनुदान राशि दी जाती है ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिये। हां इतना कह सकता हूं कि गत वर्ष में कुछ अनुदान दिया था।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: इस उद्योग के सामर्थ्य तथा कार्यपटुता को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री करमरकर: जैसा कि मेरे माननीय मित्र को ज्ञात है, हमारे यहां एक केन्द्रीय रेशम बोर्ड है। और यह बोर्ड प्रायः रेशम के विकास सम्बन्धी गवेषणा में सहायता देता रहता है। उन द्वारा किये गये उपायों में से एक यह है कि उन्हों ने जापान से दो आवापित करने वाली मशीनें लाईं जो आवापन के काम में लाभकारी सिद्ध हुई हैं। कोयों के लिये भी मैसूर में एक गवेषणा केन्द्र है और भारत सरकार मैसूर सरकार को सहायता दे रही है।

श्री एम० एस गुरुपादस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार एक जांच समिति स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

श्री करमरकर: किस बारे में ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: इस उद्योग के मामलों की जांच करने के लिये।

श्री करमरकर: स्थिति तो स्पष्ट है। जांच किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तटकर पर्षद पहले ही सुरक्षा मात्रा से विदित है।

श्री नम्बियार: क्या सरकार रेशम की उत्पादि में घोर पतन तथा मूल्य की अस्थिरता के दृष्टिगोचर इस विषय में पूरी जांच कराये जाने पर विचार करेगी ?

श्री करमरकर: मेरे माननीय मित्र की धारणा ठीक नहीं। कुछ समय पहले तक, अभी हाल में रेशम की उत्पादि बढ़ती रही है। वास्तव में गत वर्ष में उत्पादि पिछले कुछ वर्षों में सब से अधिक थी। केवल मूल्य गिर जाने के कारण रेशम के उद्योग को थोड़ी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि यह उद्योग इस असुविधा को दूर कर लेगा।

खद्दर के व्यापारियों का अनुज्ञापन

*१५३४. **श्री एस० एन० दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १४५० के सम्बन्ध में दिये हुए उत्तर को निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारूप किये हुए खद्दर के व्यापरियों को अनुज्ञप्ति देने के उपबन्धों से सम्बन्धित आदर्श विधेयक के अनुसार, जिस की प्रतिलिपियां कई राज्य सरकारों को भेजी गई थीं, किस किस सरकार ने विधान-निर्माण किया है ;

(ख) यदि भारत सरकार ने उन राज्य सरकारों के उत्तरों का निरीक्षण किया है जिन्हों ने ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ; तथा

(ग) यदि किया है तो किस निर्णय पर पहुंचा गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) बिहार तथा त्रावनकोर-कोचीन की सरकारें ।

(ख) तथा (ग) उन के उत्तर का निरीक्षण किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्हों ने इस विषय में आगे बढ़ने में असमर्थता प्रकट की है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । कई राज्यों ने अपनी असुविधायें बताई हैं । और कइयों ने कहा है कि वह पालन नहीं कर सकते । क्या मैं सब राज्यों के नाम पढ़ूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो बहुत सारे प्रश्न पड़े हुए हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं केवल उन राज्यों के नाम जानना चाहता हूं जिन्हों ने इस विषय में आगे बढ़ने की असमर्थता प्रकट की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संभवतः माननीय मंत्री को विश्लेषण कर के अलग अलग खण्ड बनाने होंगे क्योंकि कई राज्यों ने अपनी इच्छा स्पष्ट रूप में न प्रकट की हो ।

अवैधानिक रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती तथा निवारण सम्बन्धी विधेयक

*१५३९. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि सरकार का ध्यान इस सूचना की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान का एक विधेयक पारित करने का विचार है जिस का नाम "अवैधानिक रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती तथा निवारण सम्बन्धी विधेयक" रखा जायेगा; तथा

(ख) यदि ऐसा हुआ है तो क्या (१) भारत सरकार ने विधेयक के उपबन्धों का इस दृष्टिकोण से निरीक्षण किया है कि इस से पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जातियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; तथा

(२) यदि सरकार इस विधेयक के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ कोई पत्र व्यवहार कर रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ४६० ।

(ख) (१) तथा (२) प्रत्यक्ष रूप से तो इस विधेयक को एक अशासकीय सदस्य ने प्रवर्तित किया है । केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कार्य के राज्य मंत्री से पाकिस्तान सरकार की इस विधेयक के प्रति नीति के स्पष्टीकरण के लिये लिखा है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार के पास पाकिस्तान की विशेष कर पूर्वी पाकिस्तान की, अल्पसंख्यक जातियों से कोई अभिवेदन आया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे विचार में कोई अभिवेदन तो नहीं आया है, पर कई समाचार-पत्रों में, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में, कई आशंकायें प्रकट की गई हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं यदि "अवैधानिक रूप से अर्जित सम्पत्ति" वाले शब्दों में 'भारत में कोई सम्पत्ति भी सम्मिलित है ?

श्री सतीश चन्द्र : विधेयक का पाठ तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है जो कि संभवतः माननीय सदस्य ने भी देखा होगा । पाकिस्तान संविधान सभा द्वारा विचार किये जाने के लिये अभी इस विधेयक को हाथ में नहीं लिया गया है ।

पश्चिमी जर्मनी के साथ संधि

*१५४०. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच सन्धि पर हस्ताक्षर होने से पहले भारत सरकार को यह संधि दिखाई गई थी या यदि इस पर हस्ताक्षर होने से पूर्व भारत से परामर्श किया गया था;

(ख) यदि जर्मनी में कभी कोई भारत की आधिपत्य करने वाली सेना रही है और यदि रही है तो उस की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) भारत पश्चिमी जर्मनी के साथ कब कोई संधि करेगा; तथा

(घ) क्या यह एक पृथक् संधि होगी या कि वही जिस पर चार बड़े राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ). अभी हाल में चार में से तीन आधिपत्य करने वाले देशों—अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त राजतन्त्र तथा फ्रांस—और जर्मन फैडरल गणराज्य के बीच हस्ताक्षर किये गये करारों के स्वरूप को माननीय सदस्य ने गलत समझा है। इन करारों को "तीन बड़े राष्ट्रों और जर्मन फेडरल गणराज्य के बीच सम्बन्ध का करार और अन्य सम्बन्धित करार" कहते हैं। इस करार ने इन राष्ट्रों के अधीन तीन क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी पहले आधिपत्य संविधि का स्थान लिया है। इस के अन्तर्गत आधिपत्य का अन्त हो गया और जर्मन फेडरल गणराज्य को विशेषित प्रभुत्व मिला। भारत कभी भी जर्मनी पर आधिपत्य करने वाला देश नहीं रहा है। इसलिये भारत द्वारा ऐसे करार पर हस्ताक्षर किये जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। जर्मनी के साथ शांति संधि करना एक पृथक् बात है। ऐसी संधि पर तभी हस्ताक्षर हो सकते हैं जब जर्मनी पर आधिपत्य करने वाले चार बड़े देशों अर्थात् सोवियट् समाजवादी गणराज्य संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त राजतन्त्र तथा फ्रांस, के बीच मतभेद दूर हो जायें। इन राष्ट्रों के बीच इस विषय पर जो बात चीत हो रही है उस की ओर भारत सरकार विशेष ध्यान रख रही है।

श्री ए० सी० गुहा : (ङ) हमें यह समझना चाहिये कि अभी तक नियमानुसार इन राष्ट्रों और पश्चिमी जर्मनी के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): युद्ध विराम तो हुआ है पर नियमानुसार संधि नहीं हुई है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या भारत सरकार एक पृथक् संधि के लिये बात चीत करेगी या कि अन्य राष्ट्रों के साथ ही उन की संधि पर हस्ताक्षर करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे लिये तो कोई युद्ध की बात ही नहीं और हम ने यह घोषणा की है कि आगे और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। हमारे जर्मनी के साथ राजनयिक सम्बन्ध हैं और हम राजनयिक सम्बन्ध तब तक स्थापित कर ही नहीं सकते जब तक कि यह रुकावटें दूर न हो जायें।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं यदि पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी दोनों के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं. केवल पश्चिमी जर्मनी के साथ।

भारतीय कच्चा पटसन

*१५४१. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय कच्चे पटसन का वर्तमान औसत मूल्य क्या है ;

(ख) पाकिस्तानी कच्चे पटसन का रुपयों के रूप में क्या भूमिगत मूल्य है;

(ग) क्या यह सच है कि मिलें कच्चे पटसन का सामान्य क्रय नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं कर रही हैं तो इस का क्या कारण है और भारत में पटसन उगाने के उद्योग पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा; तथा

(ङ) पटसन के कृषकों के पास भारतीय कच्चे पटसन का कितना स्कन्ध है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५२ के जून महीने में कलकत्ता के बाजार में आसाम बोटम्स का औसत मूल्य २७ रुपये ७ आने प्रति मन था। जुलाई १९५२ के पहले तीन दिनों का औसत मूल्य २६ रुपये १३ आने प्रति मन था।

(ख) पाकिस्तान में निश्चित १७ रुपये (पाकिस्तानी) प्रति मन के न्यूनतम मूल्य के आधार पर कलकत्ता में जाट बोटम्स का औसत भूमिगत मूल्य लगभग ३८ रुपये (भारतीय मुद्रा) प्रति मन है।

(ग) से (ङ). कुछ समय से मिलें पाकिस्तानी पटसन के ऊंचे मूल्य के कारण उसका क्रय नहीं कर रही हैं और उत्पादन जारी रखने के लिये पूर्ण तथा भारतीय पटसन के क्रय पर निर्भर हैं। इस के फलस्वरूप सामान्य रूप में पटसन का क्रय संतोषजनक रहा है और सरकार को यह अवबोध है कि कृषकों ने फरवरी के मध्य तक कच्चे पटसन के फसल का अधिकांश भाग बेच डाला है। परन्तु यह सूचना मिली है कि कई बाहरी क्षेत्रों में, जहां का उत्पादित पटसन घटिया प्रकार का है, काफी मात्रा में बिक्री न किया गया स्कन्ध पड़ा है और इस विषय पर उद्योग के साथ बात चीत हो रही है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अभी हाल में कच्चे पटसन के भारतीय आयात करने वालों के लिये कुछ विभेदजनक मूल्य-दर नियत किये हैं ? यदि किये हैं, तो वे क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पाकिस्तान ने अभी हाल में निर्यात शुल्क घटाया। पर साथ ही उन्होंने भारत निर्यात किये जाने वाले पटसन पर २ रुपये आठ आने (पाकिस्तानी मुद्रा) प्रति मन अनुज्ञप्ति शुल्क लगाया।

सरदार हुकम सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि यह सच है कि भारत को जिस मूल्य पर पटसन दिया जाता है वह अन्य देशों को जिस मूल्य पर दिया जाता है, उस मूल्य से अधिक है ? यदि ऐसी स्थिति हो तो क्या यह विभेद नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यही है। जब भारत निर्यात किये जाने वाले पटसन पर दो रुपये आठ आने (पाकिस्तानी मुद्रा) प्रति मन अनुज्ञप्ति शुल्क लगता है तब विभेद तो है ही।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सच है कि यह ढाई रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा) भारतीय आयात व्यापारियों के लिये व्यवहारिक रूप में सवा तीन रुपये होंगे और यदि ऐसे हो तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस विभेद को हटवाने के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह धारणा ठीक है कि भारतीय मुद्रा में अधिक लागत बढ़ जायेगी। जहां तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, इस विषय पर समुचित स्तर पर विचार किया जा रहा है। परिणाम क्या होगा, यह तो दूसरी बात है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि अमरीका को यूरोप से पटसन की

बनी वस्तुएं भारतीय मिलों की अपेक्षा कम मूल्य पर दी जाती हैं यद्यपि भारतीय मिलों को कच्चे माल के मूल्य में स्पष्ट सुविधा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारे निर्यात शुल्क घटाने से पूर्व ऐसी अवस्था थी । उसके उपरान्त मूल्य में अन्तर नहीं रहा और अमरीका भारतीय पटसन खरीद रहा है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार का भारत में कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का कोई विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री ए० सी० गुहा: माननीय मंत्री ने कहा है कि भारत में उत्पादित कुछ कच्चा पटसन घटिया प्रकार का है । क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार ने इसका धौलापन और कड़ापन हटाकर इसके गुण-प्रकार को उन्नति देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्री से पूछा जाये ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मेरा विचार है कि यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित है क्योंकि पटसन उद्योग के पास एक गवेषणा संस्था है .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसका उत्तर देने के समर्थ नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : पर उन्होंने मुझे खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर निर्दिष्ट करने का प्रयत्न किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो यह कहने का दूसरा ढंग है कि उनके पास इस विषय में जानकारी नहीं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं यदि भारत में कच्चे पटसन की उत्पादि भारतीय मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, वर्तमान काल में है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : इस देश से निर्यात किये जाने वाली पटसन की वस्तुओं पर, पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाये गये उद्ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के परोक्ष रूप में लगाये गये उद्ग्रहण का हमारे देश में पटसन की वस्तुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हम ने पाकिस्तान से कोई ऐसा पटसन आयात नहीं किया है जिस पर कि अनुज्ञप्ति शुल्क दिया गया हो, और जब तक हम ऐसा पटसन आयात न करें हम यह नहीं कह सकते कि इस अनुज्ञप्ति शुल्क का हमारे उद्योग पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: भारत से पाकिस्तान में आयात की गई पटसन की वस्तुओं पर पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाये शुल्क का क्या कुछ बुरा या भला प्रभाव पड़ा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी इतनी बड़ी मात्रा में आयात नहीं किया गया है जिस से कि यह पता चले कि क्या प्रभाव पड़ा है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मिलें जितने घंटे काम करती हैं इसके दृष्टिगोचर, क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि भारत में पड़े हुये स्कन्ध के आधार पर तथा पाकिस्तान

से कुछ भी न लिये जाने की अवस्था में यह मिलें कितने मास चल सकती हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आंकड़े प्रस्तुत न करते हुये, मैं सदन को यह बता सकता हूं कि मैंने अभी हाल में जब भारतीय पटसन मिलों की संस्था के प्रधान के साथ, जब कि वह और किसी विषय में यहां आये थे, बातचीत की । वह अनुभव करते हैं कि वर्तमान स्कन्ध स्थिति संतोषजनक है और मिलें नये फ़सल के तैयार होने तक काम चला सकती हैं । मेरे लिये यह कहना आवश्यक है कि यह शोधन आधीन है क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने बताया मैं ने उसी को वास्तविक स्थिति माना है ।

श्री के० के० बसु : इस स्थिति के दृष्टिगोचर कि भारत में 'ए' ग्रेड गुण-प्रकार के पटसन की उत्पादि नहीं होती तथा हम पाकिस्तान से भी पटसन नहीं ले रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं यदि इस का हमारे उद्योग पर कुछ दुर्प्रभाव पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो ऐसा विषय है जिस पर भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं । प्रश्न यह है कि उच्च गुण-प्रकार का पटसन पाकिस्तान से आयात नहीं किया जाता, न ही यहां उसका उत्पादन होता है, तो इसका हमारे उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह माना जाता है कि पाकिस्तान पटसन उच्च गुण-प्रकार का है । पर बंगाल तथा बिहार में उत्पादित पटसन इस से निचला नहीं है । निचले किस्म का पटसन बिम्ली किस्म का है । मेरे विचार में कोई दुर्प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि मिलें पड़े हुये स्कन्ध में से ही पटसन की वस्तुएं बना रही हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने पाकिस्तानी पटसन का कलकत्ता में भूमिगत मूल्य बताया है । क्या इस में सारी लागतें सम्मिलित हैं या कि यह केवल मूल्य है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अपने माननीय मित्र को समझाने का इच्छुक हूं । जाट बाटम्स का प्रति मन न्यूनतम मूल्य १७ रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा में) पाकिस्तान पटसन बोर्ड द्वारा निश्चित कर दिया गया है । निर्यात शुल्क ३ रुपये १२ आने है । यह शुल्क पक्के गट्ठों और कच्चे गट्ठों के लिये भिन्न है । बताया गया शुल्क कच्चे गट्ठों पर लगता है । पक्के गट्ठों पर निर्यात शुल्क ३ रुपये है । अनुज्ञप्ति शुल्क २ रुपये आठ आने है और पाकिस्तान में यातायात का व्यय २ रुपये है । यह कुल २५ रुपये चार आने (पाकिस्तानी मुद्रा में) बनते हैं । भारतीय मुद्रा में यह ३६ रुपये ६ आने बनता है और कमीशन तथा अन्य खर्च १ रुपया १२ आने आता है । अतः मूल्य ३८ रुपये २ आने बनता है । यदि मैं ने कहा हो कि मूल्य ३८ रुपये है तो मुझ से छोटी सी भूल हुई है ।

श्री के० के० बसु : क्या मंत्री को हाल ही में कलकत्ता के कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित की गई इन सूचनाओं से विदित हैं कि कच्चे पटसन की कमी के कारण कई मिलें काम के घंटे कम करने का विचार रखती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने ऐसी बात नहीं देखी है और न ही मुझे इस पर विश्वास है ।

आसाम में विस्थापित मुसलमान

*१५४२. **जनाब अमजद अली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम में गोलपाडा, काम रूप तथा कचार जिलों में से कितने कुटुम्बों को

सन् १९५० के दंगा फिसाद में घर छोड़कर जाना पड़ा ;

(ख) औसत मात्रा में प्रति कुटुम्ब कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई ;

(ग) कितने लोगों के खोये हुये ढोर जिला या अल्पसंख्या बोर्डों द्वारा उनको लौटाये गये ;

(घ) क्या अभी भी विस्थापित मुसलमानों की भूमि के लिये काफी संख्या में याचिकाएं अधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़ी हैं ; तथा

(ङ) यदि ऐसी स्थिति है, तो क्यों ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) (क) कुटुम्बों की लगभग की संख्या यह है :

गोलपाड़ा		२३,०००
कामरूप	...	१०,८००
कचार		१००

(ख) मांगी गई जानकारी प्राप्य नहीं

(ग) ज़िला अधिकारियों द्वारा लगभग ५०,००० ढोर लौटाये गये ।

(घ) तथा (ङ) लगभग सारे विस्थापित मुसलमानों को जो अपने घरों को वापस आये, उनकी भूमि लौटा दी गई है ।

जनाब अमजद अली : क्या सरकार आसाम राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग को यह आदेश देने के लिये तैयार है कि न्याय-युक्त स्वामियों को शेष भूमि, जो उनको अभी नहीं दी गई है लौटा दी जाये ?

श्री सतीश चन्द्र : सारे विस्थापित मुसलमानों को, जो अपने घरों को वापस आये भमि लौटा दी गई है ।

जनाब अमजद अली : देखिये, आप ने शब्द "लगभग" साथ रखा है । उत्तर है : "लगभग सारे विस्थापित मुसलमान..." शेष का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वही नीति है । वैसा ही होगा ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आदेश समय समय पर दिये गये हैं । हो सकता है कि कई व्यक्तिगत मामलों में उनको व्यवहार में न लाया गया हो ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : वास्तव में आसाम से मिली सूचना से ज्ञात होता है कि पाकिस्तान गये हुये मुसलमानों से अधिक संख्या में मुसलमान गोलपाड़ा ज़िले में लौट आये हैं । बहुत से ऐसे लोगों को भी, जो पाकिस्तान गये ही नहीं थे, भूमि दी गई ।

श्रीमती खोंगमन : क्या यह सच नहीं कि पाकिस्तान से आसाम आने वाले गैरमुस्लिमों की संख्या पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संख्या से बहुत अधिक थी ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

सोवियट समाजवादी गणराज्य संघ के साथ व्यापार

*१५४४. **श्री बंसल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० मई, १९५२ में सोवियट समाजवादी गणराज्य संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि सोवियट समाजवादी गणराज्य संघ से १९५१-५२ में १.३८ करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाले आयात विवरण में इस कालावधि में सोवियट समाजवादी

गणराज्य संघ से आयात किया गया गेहूं भी सम्मिलित हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस व्यापार सांख्यकी से यह अनाज के श्रेष्य अपवर्जित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि विवरण १ में वस्तु-विनिमय के आधार पर भारत द्वारा निर्यात की गई सारी वस्तुएं सम्मिलित हैं ; तथा

(घ) १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में सोवियट् समाजवादी गणराज्य संघ के साथ हमारे व्यापार संतुलन की अन्तिम स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) निर्देश किये गये १.३ करोड़ वाले कुल मूल्य में सरकारी लेखे में आयात किये गये गेहूं का मूल्य सम्मिलित नहीं है । इस कुल मूल्य का समन्वय होना है ।

(ग) जिनका समन्वय होना है उनको छोड़ शेष सारी वस्तुएं जो वस्तु-विनिमय के आधार पर निर्यात की गई हैं विवरण में सम्मिलित हैं ।

(घ) पूछी गई जानकारी जिस विवरण में दी गई है वह सदन पटल पर रखा गया है ।

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४३]

रूसी दूतावास

*१५४५. **प्रो० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली में रूसी दूतावास के कर्मचारीवृन्द में कोई भारतीय कर्मचारी नहीं है ; तथा

(ख) इस समय मास्को में भारतीय दूतावास में कितने रूसी नागरिक काम कर रहे हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । प्राप्य जानकारी के अनुसार रूसी दूतावास में १२ स्थानीय कर्मचारी नौकर रखे गये हैं । वह संदेशवाहक, चपरासी आदि का काम करते हैं ।

(ख) दस, जिन में दूतावास (चान्सरी) में काम करने वाली नौकरानियां, ड्राइवर और एक अनुवाद कर्त्ता सम्मिलित हैं ।

प्रो० अग्रवाल : यदि भाग (क) का उत्तर नहीं है तो मैं समझता हूं कि रूसी दूतावास में कुछ भारतीय नागरिक काम करते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी क्या संख्या है ।

श्री सतीश चन्द्र : रूस में ?

प्रो० अग्रवाल : यहां, भारत में ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो पहले ही संख्या बता दी है ।

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने कहा है कि १२ हैं ।

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह लोग किस कर्मचारी-श्रेणी में हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : संदेशवाहक, चपरासी, फर्राश, आदि ।

विदेशी समवाय

*१५४६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन विदेशी समवायों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत पांच वर्षों में भारतीय व्यवसायसंघों के साथ सहभागी होकर अथवा अन्य किसी रूप में भारत में कारखाने खोले हैं ;

(ख) उन के चलाये उद्योगों के क्या नाम हैं ;

(ग) इन उद्योगों की उत्पादि का कुल मूल्य क्या है ;

(घ) सरकार ने इन कम्पनियों के साथ सहभागी होकर कितनी पूंजी लगाई है ;

(ङ) क्या इन कम्पनियों को वैसे ही विशेषाधिकार दिये गये हैं जैसे कि भारतीय कम्पनियों को ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्य नहीं है । सन् १९४८ से १९५१ तक के वर्षों में जिन मुख्य उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाने की मंजूरी दी गई थी, उनकी नाम सूची तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के उत्तर में १२ जून, १९५२ को सदन पटल पर रखी गई थी ।

(ङ) भारत में प्रवर्तित विदेशी व्यवसायसंघ उन विशेष शर्तों के अतिरिक्त और किसी विशेष शर्त अथवा निर्बन्धन के अधीन नहीं, जो कि सरकार ने उनके भारत में प्रवेश करने के समय पूंजी लगाने, भारतीयों को प्रबन्ध के कार्य में सम्मिलित करने तथा भारतीय कर्मचारियों को टैक्निकल प्रक्रिया में प्रशिक्षण के सम्बन्ध में रखी हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : सन् १९६१-५२ में इन कम्पनियों ने कुल कितनी लाभांश राशि इस देश से बाहर भेजी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि इस विषय में जानकारी कल कागजों में पाये गये विदेशी कम्पनियों के लाभांश तथा दिये गये ब्याज सम्बन्धी अन्तिम विवरण में दी गई है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या हमारे पास इन विदेशी व्यवसायसंघों द्वारा नौकर रखे गये भारतीयों के बारे में आंकड़े हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे यह अंगीकार करने में कोई संकोच नहीं कि आज उत्तर दिये जाने के लिये एक और प्रश्न पटल पर रखा गया था जो कि पूछा नहीं गया । वह प्रश्न इसी विशेष विषय से सम्बन्धित है । इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं यदि अभी इस की जानकारी दी जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं यदि भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाने में बढ़ौती हो रही है या घटौती ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि आप १९५१-५२ के आंकड़े देखें तो उन से प्रतीत होता है कि बढ़ौती हो रही है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं यदि भारतीय उद्योग में इस विदेशी पूंजी का लगाया जाना हमारे उद्योगों में भारतीय पूंजी लगाये जाने के लिये क्षतिकारक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो अपने अपने अनुभव की बात है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार भारतीय कर्मचारी नौकरी लगाने के सम्बन्ध में इन व्यवसायसंघों पर कुछ शर्तें रखती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्। यह प्रश्न व्यवहारिक रूप में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में १९४९ में दिये गये प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अधीन है। प्रश्न के (ङ) भाग के उत्तर में निश्चित रूप से कहा गया है कि प्रवेश के समय जब कि पूंजी निर्गमन की मंजूरी दी जाती है तथा व्यवसायसंघ को प्रवर्तन की अनुज्ञा दी जाती है। उस समय कुछ शर्तें रखी जाती हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार के पास कोई ऐसा व्यवसाय है जिस से यह पता लगाया जा सके कि विदेशी कम्पनियों पर जो शर्तें लगाई गई हैं उन पर वास्तव में पालन किया जा रहा है और विशेषकर यह कि भारतीय प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, श्रीमान्। सरकार के पास आवश्यक व्यवसाय तथा साधन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिकर का भुगतान

*१५२९. **सेठ अचल सिंह** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों को उन की पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के दावों के लिये कब तक और किस अनुपात में भुगतान किया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान १९ मई १९५२ को ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ९३ के मेरे उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं।

लोचन सम्बन्धी वस्तुयें

*१५३१. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत आयात किये जाने वाली लोचन सम्बन्धी वस्तुओं का कुल मूल्य क्या है ?

(ख) क्या ऐसे कोई भारतीय व्यवसाय-संघ भी हैं जो लोचन सम्बन्धी सामग्री, विशेषकर लैंसों का निर्माण करते हैं ?

(ग) क्या कोई ऐसी शिकायतें हैं कि यह लोचन सम्बन्धी लैंस लक्ष्य से निम्न हैं तथा इनके उपयोग से लोचन दोष बढ़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५१-५२ में ९६ लाख।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) सरकार को ऐसी किसी शिकायत की सूचना नहीं।

अभारतीय व्यवसायसंघों में भारतीय कर्मचारी

*१५३५. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अभारतीय स्वामित्व अथवा नियन्त्रण वाले भारत में प्रवर्तित व्यवसाय-संघों तथा उद्योगों में भारतीयों के नौकरी लगाये जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) यदि सरकार के पास ऐसे व्यवसायसंघों तथा उद्योगों में अनुसचिवीय पदों को छोड़ अन्य पदों पर नियुक्त भारतीयों तथा गैरभारतीयों की संख्या की जानकारी है ; तथा

(ग) यदि (ख) का उत्तर "नहीं" हो तो क्या सरकार जानकारी एकत्रित कर के सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) सरकार की नीति सारे व्यवसायसंघों में भारतीयों को नौकरी लगाये जाने में प्रोत्साहन देना है, चाहे इन व्यवसाय-संघों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण ग़ैरभारतीयों के हाथ हो या नहीं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

अधिगृहीत घर

*१५३६. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में ऐसे घरों की संख्या क्या है जो अभी भी अधि-गृहीत हैं?

(ख) गत एक वर्ष में कितने घरों को अधिग्रहण मुक्त किया गया?

(ग) अधिगृहीत भवनों के लिये सर-कार ने कुल कितना किराया दिया?

(घ) इस में से कितनी राशि उन में रहने वालों से प्राप्त हो गई?

(ङ) अब तक अधिगृहीत घरों में से कितने सरकार के प्रयोग के लिये हैं तथा किन किन मन्त्रालयों के लिये हैं?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ४७२।

(ख) ४७।

(ग) ८,२३,००० रुपये वार्षिक।

(घ) मकानों में रहने वालों से जो किराया लिया जाता है वह कोई निश्चित राशि नहीं, अपितु समय समय पर भिन्न भिन्न होती है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के विषय में अधिक से अधिक किराया उन के वेतन का १० प्रतिशत हो सकता है। कुल वसूली लगभग आठ लाख रुपये प्रति वर्ष होती है।

(ङ) लगभग ४०० मकान केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के पदाधिकारियों के निवास के लिये उपयोग में लाये गये हैं। यह मकान भिन्न भिन्न मंत्रालयों में बांटे नहीं गये हैं। पात्रता के अनुसार बंटन उन सर-कारी कर्मचारियों के बीच की जाती है जो कि इस विषय से सम्बन्धित समूह में से लिये जाते हैं। उन की पात्रता उन को दिल्ली में पद-नियुक्ति की तिथि तथा जिस वेतन वर्ग में वे हों उस पर निर्धारित है।

अतिरिक्त भांडार तथा उत्सर्जन संघटन

*१५३७. **सेठ गोविन्द दास**: (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महायुद्ध के कुल कितने भाण्डारों का अभी तक उत्सर्जन नहीं हुआ है?

(ख) इस श्रेणी की वस्तुओं के विक्रय से गत वर्ष तथा चालू वर्ष में कितनी धन राशि प्राप्त हुई थी?

(ग) सरकार ने गत वर्ष जो वचन दिया था उस के अनुसार क्या उत्सर्जन संघटन को बन्द कर दिया गया है?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संघटन के कब बन्द किये जाने की सम्भावना है?

(ङ) क्या इस संघटन में अभी हाल ही में कोई छंटनी भी की गई है और यदि हां, तो इस प्रकार छांटे गये व्यक्तियों की संख्या क्या है और क्या इस प्रकार के कर्मचारियों को अन्य मन्त्रालयों में पुनः काम पर लगा लिया गया है?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) महायुद्ध के अतिरिक्त भाण्डार के पृथक् आंकड़े प्राप्य नहीं, और नियमित अतिरिक्त भाण्डार पृथक् नहीं रखे जाते। १ जून १९५२ को व्यवस्थापन

किये जाने वाले कुल अतिरिक्त भाण्डार का पुस्तमूल्य लगभग ३६ करोड़ रुपये था।

(ख) सन् १९५१-५२ में विक्रय से कुल ६.७७ करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई और १९५२ में अप्रैल से मई तक ०.५५ करोड़ की।

(ग) तथा (घ) १ मार्च १९५१ से व्यवस्थापन महा अधिदेश का पृथक् अस्तित्व अन्त हुआ। कर्मचारिवृन्द में अतीव घटौती कर दी गई और शेष को रसद संस्था के साथ सम्मिलित करके उसको एक पृथक् शाखा के रूप में रखा गया।

(ङ) १ अप्रैल १९५१ से ३१ मार्च १९५२ तक की कालावधि में व्यवस्थापन शाखा में से छांटे गये कर्मचारियों की संख्या ६६३ थी, जिस में २० घोषित तथा ६४३ अघोषित पदाधिकारी थे। हां, २७१ अघोषित पदाधिकारियों को छोड़, शेष सारे अन्य कार्यालयों में नौकर रखे गये या रसद संस्था में रिक्त पदों पर नियुक्त किये गये।

कपड़ा तथा सूत

*१५३८. **श्री विद्यालंकार**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) डालर क्षेत्र से आयात किये गये तथा भारत से इस क्षेत्र को निर्यात किये गये कपड़े और सूत की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं; तथा

(ख) स्टर्लिंग क्षेत्र के सम्बन्ध में उपरोक्त विषय में आंकड़े क्या हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४४]

जापान को कोयले का निर्यात

*१५४३. **श्री गणपति राम**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) यदि जापान सरकार को चालू वर्ष में भारतीय कोयला आयात करने का विचार है;

(ख) कितनी मात्रा में और किन निबन्धनों के अधीन कोयला जापान निर्यात किया जायेगा; तथा

(ग) यदि जापान ने कोयले की कोई मात्रा १९५०-५१ में आयात की थी और किस भाव?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) सन् १९५२ में निर्यात के लिये निर्धारित भाग १,०००,००० टन निश्चित किया गया है।

निर्यात की व्यवस्था नक़द देनगी के आधार पर की गई है। प्रत्येक देश के सम्बन्ध में जहां जहां भारतीय कोयला निर्यात किया जाता है, मूल निर्यात मूल्य निश्चित किया गया है। जापान के सम्बन्ध में वर्ष के पहले तीन मास के लिये मूल निर्यात मूल्य ऐसे निश्चित किया गया है कि जहाज़ भाड़ा सहित कलकत्ता के मूल्य के साथ कोक बनने योग्य कोयले पर ४ रुपये और कोक न बनने योग्य कोयले पर ३ रुपये प्रति टन जोड़ दिया जायेगा। पहली अप्रैल १९५२ से उपरोक्त राशियों को घटा कर क्रमशः २ रुपये तथा १ रुपया रखा गया है।

(ग) जी हां। जापान द्वारा १९५०-५१ में भारत से आयात किये गये कोयले की मात्रा १३२,९१७ टन थी। यह संभरण नियन्त्रित मूल्य पर किया गया था।

प्रयोगात्मक दूरप्रेक्ष (टैलिविजन) केन्द्र

*१५४७. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) यदि वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार दूरप्रेक्ष (टैलीविज़न)

में प्रशिक्षण का अवसर दिये जाने के अभिप्राय से अब तक प्रयोगात्मक दूरप्रेक्ष केन्द्र स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है तो कहां, और स्थापित करने पर क्या लागत आई है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो कब तक यह केन्द्र बनने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) नहीं, श्रीमान् । इसमें अन्तर्ग्रस्त शिल्पिक तथा वित्तीय मामलों के कारण अभी भारत म दूरपेक्ष केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस अवस्था में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती है ।

केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किये गये निर्माण कार्य

*१५४८. **सरदार ए० एस० सहगल**: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आयकर अनुसन्धान आयोग ने केन्द्रीय जन वास्तु विभाग से यह मांग की थी कि सन् १९४८ से १९५२ के मार्च तक इस विभागीय पदाधिकारियों द्वारा निर्मित किये गये निर्माण कार्यों का सहमूल्य विवरण प्रस्तुत किया जाये ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो कितने पदाधिकारियों के विषय में ऐसी जानकारी भेजी गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि इन में से एक पदाधिकारी वह कार्यपालिका यांत्रिक भी है जो १९४२-४३ के दिल्ली उद्दयन के मुकदमों में अन्तर्ग्रस्त थे ; तथा

(घ) भाग (ग) में उपरोक्त कार्यपालिका यांत्रिक ने कितना निर्माण कराया और कितने समय में ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । परन्तु जिस कालावधि के लिये निर्माण के विषय में विवरण मांगा गया था वह १९३९ से १९४३ तक की कालावधि थी, १९४८ से मार्च १९५२ तक की नहीं ।

(ख) आयकर अनुसन्धान आयोग ने केवल एक पदाधिकारी के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) कार्यपालिका यांत्रिक द्वारा किये गये निर्माणों में लगभग २,७४,५८,७९५ रुपये की धनराशि लगी थी । और यह आंकड़े जनवरी १९३९ से सेप्टेम्बर १९४३ तक की कालावधि के हैं ।

तिब्बत के साथ व्यापार

*१५४९. **श्री डी० एन० राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत से तिब्बत को निर्यात की गई और तिब्बत से भारत में आयात की गई वस्तुओं के मूल्य क्या थे ;

(ख) भारत से तिब्बत निर्यात की गई तथा तिब्बत से इस देश में आयात की गई वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या तिब्बत पर चीन का आधिपत्य होने के पश्चात् भारतीय वस्तुओं के वहां निर्यात होने पर कोई दुर्प्रभाव पड़ा ;

(घ) भारत सरकार इस देश और तिब्बत के बीच व्यापार-सम्बन्ध बढ़ाने के लिये क्या कुछ कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). मुझे कहना पड़ता है कि हमारे तिब्बत के साथ व्यापार के सम्बन्ध में आंकड़े पृथक् रूप में प्राप्य नहीं, परन्तु हमारे भूटान तथा सिक्खिम के साथ व्यापार के आंकड़ों से सम्मिलित हैं। यह सम्मिलित आंकड़े भी मूल्य के नहीं, वस्तुओं की मात्रा के हैं। मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिस में भारत से तिब्बत, सिक्खिम तथा भूटान दोनों वर्षों १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में निर्यात की गई वस्तुओं की मात्रायें पृथक् पृथक् दी गई हैं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ग) प्राप्य सांख्यकीय जानकारी के आधार पर यह कहना सम्भव नहीं यदि तिब्बत पर चीन का आधिपत्य होने से हमारे तिब्बत के साथ निर्यात व्यापार पर दुर्प्रभाव पड़ा है। परन्तु तिब्बत, भूटान तथा सिक्खिम के साथ निर्यात व्यापार के आंकड़ों से पता चलता है कि मात्रा घट गई है। १९५०-५१ में १५६,३३९ मन के प्रति १९५१-५२ में १२२,६७७ मन थी।

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है।

संसद् के लिये मुद्रणालय

*१५५०. **श्री मादिया गौड़** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे यदि यह सच है कि केवल संसदीय कार्य के लिये कोई पृथक् मुद्रणालय नहीं है और इस कारण संसद् की कार्यवाही तथा अन्य संसदीय पत्रों के छापने में देर लगती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इस समय केवल संसदीय कार्यवाही छापने के लिये कोई पृथक् मुद्रणालय नहीं है। वर्तमान भारत सरकार के मुद्रणालय को ऐसे विकसित किया जा रहा है कि इसी में एक पृथक् आत्म-तुष्ट संसदीय शाखा रखी जा सके। भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है और इस मास के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त भूखण्ड

*१५५१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त भूखण्ड तथा नागा आदिमजाति क्षेत्र में पाठशालाओं की क्या संख्या है ;

(ख) इन क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम क्या है ; तथा

(ग) सरकार ने इन क्षेत्रों में आदिम-जातियों की भाषा को वृद्धि देने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ११७।

(ख) प्राथमिक पाठशालाओं में, जहां जहां भी इस भाषा को जानने वाले अध्यापक मिलते हैं, आदिमजाति भाषा ही माध्यम है, और मैदानी क्षेत्रों के निकट ग्रामों में आसामी है।

(ग) महत्वपूर्ण आदिमजाति भाषाओं के शब्दकोश तथा व्याकरण बनाये गये हैं। आदिमजाति क्षेत्रों में नियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वह स्थानीय भाषायें सीख लें।

चीनी मिलों में श्रमिकों के वेतन

*१५५२. **श्री बी० एन० राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चीनी मिलों में नौकर रखे गये श्रमिकों का न्यूनतम वेतन-अनुक्रम राज्यवार क्या है ; तथा

(ख) यदि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसा कोई सुझाव दिया है कि जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है चीनी मिलों के प्रत्येक विभाग में विभिन्न वेतन-अनुक्रमों का स्तरोन्नयन किया जाये ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४६]

(ख) चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की मजूरी के स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं की है। हां, हाल ही के वर्षों में औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के फलस्वरूप मजूरी के सम्बन्ध में कुछ एकरूपता लाई गई है। मजूरी में अग्रेतर स्तरोन्नयन तभी सम्भव है जब कि औद्योगिक श्रमिकों की उचित मजूरी सम्बन्धी विधान, जो सरकार के विचाराधीन है, पारित हो जाये।

केन्द्रीय कपास परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट

*१५५३. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय कपास परामर्शदात्री समिति ने हाल ही में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कपास के मूल्य तथा वितरण के सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं ; तथा

(ख) इन सिफारिशों के परिपालनार्थ भारत सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य शायद कपास परामर्शदात्री पर्षद् की सिफारिशों की ओर निर्देश करते हैं। यदि ऐसा ही है, तो कपास परामर्शदात्री पर्षद् की सिफारिशों तथा उनके परिपालनार्थ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४७]

लम्बे रेशे वाली कपास

*१५५४. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में किन किन प्रकारों की लम्बे रेशे वाली कपास उगायी जाती है ;

(ख) प्रति वर्ष कपास की भिन्न भिन्न प्रकारों की क्रमशः कितनी उत्पादि होती है ; तथा

(ग) हर प्रकार का रेशा कितना कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४८]

कम्बोडिया की कपास

*१५५५. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में मध्य प्रदेश में कम्बोडिया कपास की कितनी उत्पादि हुई थी ;

(ख) क्या इस प्रकार की कपास लम्बे रेशे वाली कपास की श्रेणी में आती है ; तथा

(ग) इस प्रकार की कपास का रेशा कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मध्यप्रदेश में कम्बोडिया

कपास की उत्पादि लगभग ७,७६० टन प्राक्कलित की गई है।

(ख) मध्य प्रदेश की कम्बोडिया प्रकार की अधिकांश कपास लम्बे रेशे वाली श्रेणी में नहीं आती। लम्बा रेशा ७ 1/8" या इससे अधिक होना है।

(ग) मध्य प्रदेश की कम्बोडिया प्रकार की कपास के रेशे की लम्बाई २४.३२" से २७.३२" तक है।

चलचित्र

*१५५६. श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) उन विदेशी चलचित्र निर्माताओं और कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको जनवरी १९५० से भारत में चलचित्र निर्माण करने के लिये सुविधायें अनुदान की गई हैं;

(ख) यदि ऐसी कुछ प्रार्थनायें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या सोवियट संघ ने भी भारत में भारतीय सहयोग से चलचित्र बनाने में सुविधायें दिये जाने की प्रार्थना की थी?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में मांगी गई सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) सोवियट चलचित्र उद्योग तथा इस मंत्रालय के चलचित्र विभाग के सहयोग से एक रंगीन रूपक चलचित्र बनाने की प्रस्थापना की गई थी।

चीन गये हुये सांस्कृतिक शिष्टमंडल का प्रतिवेदन

*१५५७. श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) यदि चीन गये हुये सांस्कृतिक शिष्टमंडल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन भेजा है; तथा

(ख) यदि यह प्रतिवेदन समक्ष रख जाने पर सदन पटल पर रखा जायेगा?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) शिष्टमंडल के नेता तथा अन्य सदस्यों से कई प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) ऐसे प्रतिवेदन सामान्य रूप में गोपनीय समझे जाते हैं और प्रकाशित नहीं किये जाते। ३० जुलाई १९५२ को प्रश्न संख्या १३२६ के अनुपूरक उत्तर में यह बात सदन के सामने स्पष्ट की गई थी।

शेतिहाली तथा अजरा में बांध

*१५५८. **श्री दातार**: क्या **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) यदि २१ अप्रैल, १९५२ को कर्णाटिक प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से एक शिष्ट मंडल योजना आयोग से मिला था;

(ख) यदि इस शिष्ट मंडल ने आयोग से यह प्रार्थना की थी कि सारी योजना, जिसमें दाहने तथा बायें किनारे की ओर नहरें बनाना और शेतिहाली तथा अजरा में बान्ध बनाना सम्मिलित हैं, आने वाले पांच वर्षों में पूरी की जाये;

(ग) यदि इस योजना का बम्बई राज्य में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के साथ गाढ़ा सम्बन्ध है; तथा

(घ) यदि आयोग ने यह सिफ़ारिश करने का निर्णय किया है कि यह सारी

योजना अन्तिम पंचवर्षीय योजना में या उसके किसी भाग में सम्मिलित की जाये, और यदि किसी भाग में सम्मिलित की जाये तो किस भाग या किन भागों में ?

योजना तथा सिंचाई व विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) घाटप्रभा बायें किनारे की योजना बम्बई राज्य के अन्न की उत्पत्ति बढ़ाने के कार्यक्रम से सम्बन्धित योजनाओं में से एक है।

(घ) घाटप्रभा योजना के अग्रेतर क्रम वर्तमान पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में इस समय योजना आयोग के पास कोई प्रस्थापना नहीं है।

नारियल तथा नारियल का तेल

*१५५९. **श्री अच्युतन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) सन् १९५० तथा १९५१ के वर्षों भारत में नारियल की कुल उत्पादि का कितना प्रतिशत त्रावंकोर-कोचीन में उत्पादित हुआ ;

(ख) सरकार ने किन कारणों के विवश हाल ही में नारियल के तेल पर आयात कर में घटौती की ;

(ग) क्या त्रावंकोर-कोचीन सरकार तथा नारियल समिति या दोनों में से एक के साथ उपरोक्त घटौती करने से पूर्व विचार विमर्श किया गया था ;

(घ) क्या इसके पश्चात् समिति ने इस घटौती के सम्बन्ध में अपने विचार लेख्यगत किये ; तथा

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर 'हां' हो, तो समिति की क्या राय है और इस ने क्या सुझाव दिये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५० तथा १९५१ में उत्पादि के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं, परन्तु १९४९-५० में त्रावनकोर-कोचीन का भाग कुल सारे देश की उत्पादि का ३ : प्रतिशत था।

(ख) घटौती इस अभिप्राय से की गई थी कि नारियल तथा नारियल के तेल का मूल्य कम करके एक उचित स्तर पर लाया जाये और इस के फलस्वरूप औद्योगिक तथा घरेलू उपभोक्ताओं को सुविधायें दी जायें।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् इस रूप में नहीं। भारत की केन्द्रीय नारियल समिति ने अपने ज्ञापन में केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि यह सुनिश्चित किया जाये कि नारियल तथा नारियल के तेल का ऐसा आयात न किया जाये जिस से घरेलू उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़े, तथा ऐसे मामलों पर निर्णय करने से पूर्व इस समिति से विचार-विमर्श किया जाये।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता।

नारियल के रेशे का निर्यात

*१५६०. **श्री अच्युतन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५० तथा १९५१ में कोचीन तथा अलैप्पी पत्तनों से कुल कितना नारियल का रेशा तथा उस से बनाई वस्तुयें निर्यात की गई थीं और किन देशों को ;

(ख) यदि १९५१ में कुछ घटौती हो गई थी तो किन कारणों से ;

(ग) रेशे के सूत से बनाई वस्तुओं के निर्यात के लिये भारत से बाहर नये बाज़ार प्राप्त करने के अभिप्राय से क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) सरकार ने श्रीलंका में कच्चे रेशे से निर्मित अन्य विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में कोई पूछताछ की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) कोचीन तथा अलैप्पी से हुये निर्यात के आंकड़े व्यापार लेखा में पृथक् रूप में लेख्यगत नहीं किये जाते हैं। भारत से विभिन्न देशों को कुल निर्यात किये गये नारियल के रेशों के सूत तथा इस से निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५०**]

लगभग ८९ प्रतिशत निर्यात साधारणतः कोचीन और अलप्पी से ही होता है।

(ख) १९५० की अपेक्षा १९५१ में नारियल के रेशे के सूत तथा इस से निर्मित वस्तुओं के कुल निर्यात में कुछ कटौती हुई है। हां, १९५१ में किये गये निर्यात का मूल्य १९५० की अपेक्षा अधिक था। १९४९ की अपेक्षा १९५१ में किया गया निर्यात सारतया अधिकतर था। इस फ़ेरफ़ार का कारण विदेशी मांग में चढ़ाव उतार है।

(ग) निर्यात उत्तेजित करने के लिये विदेशों में भारतीय व्यापार आयुक्तों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) नारियल के रेशे, रस्से और अन्य रेशे वाले उद्योगों सम्बन्धी तालिका ने इस विषय में कुछ पूछताछ की थी। इस तालिका ने अपना प्रतिवेदन १९४७ में प्रस्तुत किया। इस की राय में रेशे के उद्योग को श्रीलंका की ओर से गम्भीर प्रतियोगिता की सम्भावना नहीं थी।

पैनिसिलीन फ़ैक्टरी

*१५६१. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पैनिसिलीन का निर्माण करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के विषय में स्वीडन के मेसर्ज़ कर्णगेलागेट और संयुक्त राज्य संघ के मेसर्ज़ मैर्क के साथ द्विदलीय बात चीत असफल होने के कारण सरकार को यदि कोई हानि हुई तो कितनी राशि की ?

(ख) सरकार द्वारा सल्फा औषधियों तथा मलेरिया विरोधी भेषज का निर्माण अपने हाथ में न लेने का निर्णय किन कारणों से किया गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) भारत सरकार मेसर्ज़ कर्णगेलागेट को करार के निबन्धनों के अनुसार अंशांशतः कुल २,३३,००० रुपये देने में बाध्य थी। इस में से १,३९,००० रुपये सरकार द्वारा करार अन्त करने के विनिश्चय से पूर्व दे दिये गये थे और शेष राशि उसके पश्चात् दी गई है। स्वीडन के व्यवसाय सब से पहले ही प्राप्त की गई शिल्पिक मन्त्रणा जिस में बम्बई में बोतलें भरने के महायन्त्र की स्थापना के सम्बन्ध में दी गई मन्त्रणा भी सम्मिलित है, तथा दो भारतीय शिल्पिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने के दृष्टिगोचर ऐसा नहीं समझा जाता कि कोई हानि हुई है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संघटन तथा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष वह दो संघटन हैं जिन के सहयोग से सरकार अब इस कारखाने को स्थापित करने की योजना कर रही है। इन संघटनों ने केवल पैनिसिलीन के सम्बन्ध में शिल्पिक

तथा वित्तीय सहायता दी, और इस कारण सरकार ने सल्फा औषधियों तथा मलेरिया विरोधी भेषज का निर्माण हाथ में न लेने का निर्णय किया।

फ़ीरोज़ाबाद की फ़ैक्टरियों को कोयला

*१५६२. **चौ० रघुवीर सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फ़ीरोज़ाबाद, ज़िला आगरा में स्थापित विभिन्न कारख़ानों को कोयला नियमपूर्वक सम्भरण किया जाता है ;

(ख) यदि किया जाता है, तो ऐसे कितने कारख़ानों को नियमित निर्धारित भाग मिलता है; तथा

(ग) क्या सरकार ने यह पूछताछ की है यदि यह कारखाने विद्यमान हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) भिन्न भिन्न कारख़ानों में कोयले का वितरण राज्य कोयला नियंत्रक के अधिकार में है। राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायेगी।

टूंडला की कांच फ़ैक्टरी को कोयला

*१५६३. **चौ० रघुवीर सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि टूंडला, ज़िला आगरा, में कोई कांच का कारख़ाना है ;

(ख) यदि इस कारख़ाने को नियमपूर्वक कोयले का निर्धारित भाग सम्भरण किया जाता है और यदि कोयले की कमी के कारण यह कारख़ाना स्थगित हो गया है ;

(ग) यदि यह सच है कि टूंडला में इस कांच के कारख़ाने के कर्मचारियों की कुछ संख्या नौकरी से इस कारण निकाली गई है कि यह कारख़ाना स्थगित हो गया है ;

(घ) यदि सरकार इस कारख़ाने को सम्भरण करने के लिये भी कोयले का एक नियमित निर्धारित भाग निश्चित करने का विचार रखती है; तथा

(ङ) यदि ऐसा होना है तो कब ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्। एक है।

(ख) से (ङ). उत्तर प्रदेश में कांच के उद्योग के लिये कोयले के निर्धारित भाग का नियन्त्रण राज्य कोयला नियन्त्रक करते हैं। इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायेगी।

कुटीर उद्योग

*१५६४. **श्री दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि यह सच है कि सरकार ने उद्योग के विकास को अधिकतम पूर्वप्रीति देने का विनिश्चय किया था ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' है, तो उन मुख्य कुटीर-उद्योगों के क्या नाम हैं जिन के विकास को अधिकतम पूर्वप्रीति देने का विनिश्चय किया गया है और उनके विकास तथा उन्हें सदृश बड़े परिमाण उद्योगों की प्रतियोगिता से संरक्षित रखने के अभिप्राय से सरकार क्या व्यवहारिक कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि सरकार हाथ से काते और हाथ से बुने हुए कपड़े का विशेष संरक्षण करने का विचार रखती है; तथा

(घ) यदि रखती है, तो किस प्रकार संरक्षण करने का ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् । कुटीर तथा छोटे परिमाण वाले उद्योगों को अधिक पूर्व वर्तिता दी जा रही है।

(ख) से (घ) यह मामले विचाराधीन हैं।

मिस्र के साथ व्यापार क़रार

*१५६५. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत और मिस्र के बीच व्यापार करार के निबन्धन क्या हैं ; तथा

(ख) क्या इस करार में भारत से मिश्र वर्धित निर्यात करने की सुविधा के लिये कोई विशेष उपबन्ध हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २८ जून, १९५२ को पत्र विनिमय द्वारा अग्रेतर १२ मास के लिये लागू रखे गये मिस्र के साथ व्यापार करार की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ख) यद्यपि करार में इस विषय में कोई विशेष उपबन्ध नहीं हैं, इसका सारा उद्देश्य यही है कि दोनों देशों का एक दूसरे के साथ निर्यात व्यापार बढ़ जाये ।

रबड़ फ़ैक्टरियां

*१५६६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में भारत में चालू रबड़ के कारखानों की कुल संख्या क्या थी और यह कहां कहां स्थापित थे;

(ख) इसी कालावधि में प्रत्येक कारखाने की कुल उत्पादि क्या थी ;

(ग) उत्पादि में से कुल कितनी राशि निर्यात की गई ; तथा

(घ) इन कारखानों के श्रेष्ठ कर्मचारिवृन्द में भारतीयों की कुल संख्या क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विव सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) सन् १९५१-५२ में मुख्य रबड़ निर्माण की कुल उत्पादि सदन पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(घ) जानकारी प्राप्य नहीं ।

भारत में चाय का उपभोग

*१५६७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत में कुल कितनी चाय का उपभोग हुआ ;

(ख) क्या उपभोग के आंकड़े राज्य-वार प्राप्त हैं; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे आंकड़े रखने की परामृश्यता पर विचार करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत में चाय का प्राक्कलित उपभोग लगभग १५० पौंड प्रति वर्ष है ।

(ख) हां, श्रीमान् । चाय का उपभोग करने वाले मुख्य भारत के राज्यों के बारे में प्राप्य जानकारी एक विवरण में दी गई है जो सदन पटर पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय जन वास्तु विभाग में निर्माण की लागत में से वेतन पाने वाला कर्मचारिवृन्द

*१५६८. **श्री विट्टल राव** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल, १९५१ तथा १ अप्रैल, १९५२ को केन्द्रीय जन वास्तु विभाग में नौकर रखे गये निर्माण की लागत में से वेतन पाने वाले कर्मचारिवृन्द की कुल कितनी कितनी संख्या थी ;

(ख) इन्हीं तारीखों पर दिल्ली में ऐसे कर्मचारियों की क्या संख्या थी ;

(ग) इन में से कितने अस्थायी हैं और कितने स्थायी ;

(घ) १ अप्रैल, १९५१ से ३१ मार्च, १९५२ की कालावधि में कितनी संख्या में कर्मचारियों को स्थायी बनाया गया था; तथा

(ङ) क्या अस्थायी कर्मचारिवृन्द में से किसी को इस वर्ष में स्थायी बनाया जायेगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) निर्माण की लागत में से वेतन पाने वाले कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या १ अप्रैल, १९५१ तथा १ अप्रैल, १९५२ को क्रमशः १२,९१७ तथा १२,१९६ थी।

(ख) दिल्ली म ऐसे कर्मचारिवृन्द की संख्या इन्हीं तारीखों पर क्रमशः ७,७८८ तथा ७,६१६ थी ।

(ग) १ अप्रैल, १९५१ को निर्माण की लागत में से वेतन पाने वाले स्थायी, अर्ध-स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारिवृन्द की संख्या क्रमशः ९२०, २०९० तथा ९९०७ थी, और १ अप्रैल, १९५२ को क्रमशः १०१३, १४०९ तथा ८७७४ थी ।

(घ) ९३ ।

(ङ) इस अवस्था में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता । यह बात भरणपोषन-निर्माण के सम्बन्ध में स्थायी कर्मचारिवृन्द की कुल अपेक्षा पर निर्भर है और यह विषय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विचाराधीन है ।

कोरिया में रोगिवाहन-निकाय

*१५७०. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे यदि सरकार को इस बात का संतोष है कि दक्षिण कोरिया में सेना-विधि लागू होने से भारतीय रोगिवाहन-निकाय को कोई खतरा नहीं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दक्षिण कोरिया में सेना-विधि लागू होने से भारतीय रोगिवाहन-सैन्यदल पर किसी भी रूप में प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कुंओं तथा छोटी वायुयानशालाओं सम्बन्धी मुक़द्दमा

*१५७१. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि ३० अप्रैल, १९५१ को पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६३५ तथा ११ अक्तूबर, १९५१ को श्री आर० के० सिधवा द्वारा पूछे गये अल्प सूचना वाले प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर में निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री के कथनानुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली वायुयान खण्ड के अधीन बहादुरगढ़ विमान-क्षेत्र में कुंए और छोटी वायुयान-शालाओं के निर्माण विषयक मुकदमे से सम्बद्ध उपविभागीय पदाधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि यह सच है कि विशेष पुलिस विभाग ने कुंओं के मुकदमे में अभियुक्त व्यक्ति के प्रति अभियोजन की सिपारिश की थी ; तथा

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो किन कारणों प्राप्य ठोस साक्ष्य के होते हुये भी अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) उपविभागीय पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी , हां।

(ग) सरकार के वैधानिक परामर्शदाता के परामर्श के अनुसार अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई।

जहाजी गोदाम में कुलियों का काम से निकालना

*१५७२. **श्री वैलायुधन** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि दक्षिण भारतीय निगम (ए० डी० सी० कार्य) के अधीन काम करने वाले कुलियों की कुछ संख्या ३० अप्रैल, १९५२ को काम से निकाली गई है ;

(ख) यदि यह श्रमिक तब काम से निकाले गये थे जब एक न्यायनिर्णयन अभिकरण इनके काम की दशा, वेतन आदि के संबन्ध में अनुसन्धान कर रहा था ;

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार का श्रम सौमनस्य पदाधिकारी इस झगड़े के बीच में आया ;

(घ) यदि अधिकरण ने थुरमुघा-थोज़िलाली संघ को 'दुकान बन्द' के अधिकार अनुदान किये हैं ;

(ङ) यदि पत्तन भार-वाहक श्रमिक संघ तथा जहाजों पर कुलियों का काम करने वाले श्रमिकों की कार्यकारिणी समिति की ओर से इस पंचाट तथा इसके परिपालन के प्रति विरोध सरकार को प्राप्त हुआ है ; तथा

(च) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सरकार को जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ३० अप्रैल, १९५२ से दक्षिण भारतीय निगम द्वारा नौकर रखे गये २०० नैमित्तिक श्रमिक काम से निकाले गये थे, पर तब से उन में से अधिकांश लोगों को कोचीन-थुरमुघा-थोज़िलाली संघ के अभिकरण से नौकरी मिल गई है।

(ख) न्यायनिर्णयन की विचाराधीनता के काल में श्रमिक काम से निकाले गये थे, परन्तु श्रमिकों के नैमित्तिक नौकर होने के दृष्टिगोचर यह कहना संशय-पूर्ण है कि उनका काम से निकालना पदच्युत करने के समान है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार को ऐसा कोई ज्ञान नहीं।

(ङ) अधिकरण ने कुलियों और उनके नियोजकों के बीच झगड़े के सम्बन्ध में

कोई पंचाट नहीं दिया है, इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(च) नई दिल्ली के मुख्य (केन्द्रीय) श्रम आयुक्त को समादिष्ट किया गया है और वह पहले ही कोचीन जा चुके हैं जहां वह स्थिति की जांच करेंगे और अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष रखेंगे।

लोदी कालोनी स्थित केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के कार्यालय में से लेख्यों की चोरी

*१५७३. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लोदी कालोनी स्थित केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के कार्यालय से क्या क्या लेख्य चोरी हुए और कब ;

(ख) यह लेख्य महत्वपूर्ण थे या कि मामूली ;

(ग) चोरी होने के कारण इन लेख्यों की च्यति का उत्तरदायित्व किस पर है; तथा

(घ) क्या अब तक चोर का कुछ पता लगा है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लोदी कालोनी स्थित केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के पूछ ताछ कार्यालय से जो लेख्य चोरी हुये उनकी विस्तृत सूची निम्न है :

(१) दो विभाग-पदाधिकारियों के 'अधिकार सौंपने' और 'अधिकार लेने' की टिप्पणियां।

(२) बाहर दिये गये मेज पर रखने वाले पंखों की पंजी।

(३) छत वाले पंखों की लेखा-पंजी।

(४) निर्माण की लागत में से वेतन पाने वाले कर्मचारिवृन्द की अनियमितताओं तथा निकार्यपटुता के विषय में किये गये पत्र-व्यवहार सम्बन्धी फाइल।

(५) मेज पर रखने वाले पंखों के बाहर देने और प्राप्त करने से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार।

(६) सामग्री तथा महायन्त्रों की पंजियां।

(७) बाहर दिये सामान की (पुरानी) पंजियां।

(८) कार्यालय के आदेशों की पंजी।

यह लेख्य ५ जून, १९५२ को शाम के ५ बजे और रात के ११ बजे के बीच चोरी कर लिये गये।

(ख) सम्बन्धित लेख्य मामूली हैं।

(ग) पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह निश्चित किया जायेगा कि च्युति का उत्तरदायित्व किस पर है।

(घ) जी नहीं।

निजी भूमि से निर्प्राधिकृत अधिवासियों की निस्मृति

*१५७४. **श्री बी० आर० वर्मा**: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) यदि प्रवर समिति का सिफारिशों के अनुसार तथा २९ मई, १९५१ को इस सदन में तत्कालीन निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्री श्री गाडगिल, द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुकूल अक्तूबर, १९५१ में पारित किये गये, दिल्ली मकानादि (अधिग्रहण तथा निस्सृति) संशोधन अधिनियम के अधीन सरकार ने

निर्प्राधिकृत अधिवासियों को निजी भूमि से निस्सृत किया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है और यदि है तो कब ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). मालूम होता है कि स्थिति को गलत समझा गया है। माननीय सदस्य ने जिस अधिनियम की बात की है उसका तो कभी निरसन हुआ है पर उस अधिनियम के उपबन्धों को सरकारी मकानादि (निस्सृति) अधिनियम, १९५० में सम्मिलित किया गया है। इन दो अधिनियमों में कोई एक भी सरकार को निजी भूमि के निर्प्राधिकृत अधिवासियों को निस्सारित करने का अधिकार नहीं देता, न ही चुनी समिति ने यह सिपारिश की थी कि ऐसे ~~निकृत~~ अधिवासी सरकार द्वारा निस्सारित किये जायें। सामान्य वैध प्रणाली द्वारा निस्सृति कराना मालिकों का काम है। यदि किसी को निस्सारित करने का यत्न किया जाये और यदि सरकार को इस मामले के सम्बन्ध में दो में से किसी एक पक्ष द्वारा सूचित किया जाये तो वह माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट की गई चुनी समिति की सि[फारि]शों के अनुकूल मालिक और निर्प्राधिकृत अधिवासी के बीच समझौता कराने का प्रयत्न करेगी। और कोई समझौता न हो जाने की अवस्था में, यदि आवश्यक हो तो सरकार निस्सारित किये गये निर्प्राधिकृत अधिवासी को भूभाग दे देगी।

पथरिया पहाड़ियों से कुसियारा नदी तक सीमाविभाजन रेखा

***१५७५. श्री एस० सी० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि आसाम में पथरिया पहाड़ियों से कुसियारा नदी तक भारत-पाकिस्तान सीमान्त क्षेत्र में सीमाविभाजन रेखा खीचने का कार्य शीघ्र हाथ में लिये जाने का विचार है ;

(ख) क्या इस कार्य को अतिशीघ्र हाथ में लिये जाने में कोई असुविधा है ; तथा

(ग) यदि है तो क्या, यदि नहीं तो यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). भारत सरकार इस सीमा रेखा के खींचने का कार्य शीघ्र आरम्भ करने का प्रत्येक प्रयास कर रही है। रेखा खींचने की रीति के विषय में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद होने के कारण इस में विलम्ब हुआ। दो सरकारों के बीच पत्र व्यवहार हो रहा है और ज्यों ही सहमति प्राप्त हो जाये कार्य आरम्भ किया जायेगा।

विदेशों के साथ व्यापार सम्बन्ध विषयक प्रक्रिया

***१५७७. श्री आर० एन० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत और भारत के साथ व्यापार करने वाले विदेशों के बीच व्यापार सम्बन्ध किस प्रक्रिया के आधीन है ;

(ख) विदेशों के आयात व्यापारियों द्वारा संविदा तोड़ने के फलस्वरूप जिन भारतीय व्यापारियों को हानि हो क्या उनको इस से बचाने के लिये हमारे पास कोई व्यवसाय है ; तथा

(ग) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय निर्यात व्यापारियों के नाम, विदेशी आयात व्यापारियों द्वारा उनको दुराचार का प्रतिवेदन किये जाने पर भारत सरकार के आदेशानुसार काली सूची में लिखे गये हैं ;

और यदि लिखे गये हैं तो क्या विदेशी सरकारें भी विदेशी निर्यात व्यापारियों के ऐसे ही दुराचार के विरुद्ध ऐसी ही कार्यवाही करते हैं ? यदि करते हैं, तो कैसी कार्यवाही ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत और विदेशों के बीच व्यापार का, सम्बन्धित देशों की विधियों, अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा नियम और विशेष संविदाओं में निश्चित निबन्धनों के अनुसार विनियमन होता है ।

(ख) संविदाओं के तोड़े जाने से जो मकदमे उत्पन्न हो जाते हैं उनका विनिश्चय सामान्यत: मध्यस्थ-निर्णय द्वारा होता है जिस के लिये अधिकांश संविदाओं में विशेष उपबन्ध रखे जाते हैं । विदेशों में भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधि भारतीय व्यापारियां के ऐसे मुकदमों के निबटारे में यथासम्भव सहायता देते हैं ।

(ग) दो व्यापार व्यवसायसंघों को १९५० में छोटी अवधियों के लिये इस कारण अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने से प्रतिवादित किया गया था कि उनके विरुद्ध शिकायत की गई थीं जिन की जांच करने पर यह प्रतीत हुआ कि उनका आचार आपत्तिजनक था और इस से भारतीय निर्यात व्यापारियों का अच्छा नाम कलंकित होने की सम्भावना थी । हां, नियमित रूप से सरकार व्यवसायसंघों के विरुद्ध केवल संविदा तोड़ने के आरोप लगाये जाने पर ही कोई कार्यवाही नहीं करती है, यह कहना सम्भव नहीं कि विदेशी सरकारें विदेशी निर्यात व्यापारियों के दुराचार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करती हैं ।

विन्ध्य प्रदेश में नौगांव का रेडियो स्टेशन

***१५७८. श्री आर० एस० तिवारी:** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विन्ध्य प्रदेश में नौगांव के स्थान पर कोई रेडियो स्टेशन खोलने का कोई निश्चय किया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो इस स्टेशन को स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

(ग) स्टेशन के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) विन्ध्य प्रदेश में नौगांव में कोई रेडियो स्टेशन स्थापित करने का विचार नहीं ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

मशीनी औजार फ़ैक्टरी के लिये इस्पात

***१५७९. श्री मादिया गौडा:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मशीनी औजार फ़ैक्टरी जब अधिकतम सामर्थ्य से काम करेगी तो इस के लिये प्रति वर्ष कितनी मात्रा में इस्पात चाहिये ?

(ख) मैसूर लोहा तथा इस्पात निर्माण इस कारखाने की मांग किस हद तक पूरा करेगा ?

(ग) क्या इस कारखाने को अधिक इस्पात संभरण करने के उद्देश्य से भद्रावती में इस्पात की उत्पादि को वर्धित करने की कोई योजना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) लगभग २,००० टन ।

(ख) मैसूर लोहा तथा इस्पात निर्माण की वर्तमान उत्पादि इस कारखाने की इस्पात की सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगोचर यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

एक कमरे वाली कुटीरों का किराया

*१५८०. **श्री दामोदर मैनन:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) दिल्ली राज्य के अनेक प्रकार के उपनगरों में एक कमरे वाली कुटीरों के निर्माण पर क्या लागत आई है ;

(ख) प्रति एक कमरे वाली कुटीर का १० रुपये से १२ रुपये तक का मासिक किराया किस आधार पर निश्चित किया गया है ;

(ग) क्या किराया निश्चित करते समय सरकार ने सड़कों, जल निकास, समुदाय स्नानघर, टट्टियों, सड़कों के विद्युत-करण, सड़कों पर पानी के प्रबन्ध तथा देखभाल आदि सम्बन्धी विकास व्यय को विचार में रखा ; तथा

(घ) क्या सरकार इस विकास के का के पूरा होने पर इस से सम्बन्धित व्यय के लिये किरायेदारों से कुछ लेने का विचार रखती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (घ) तक। सामान्यत: सरकार मकान आदि के निर्माण की लागत के ५.६ प्रति शत और भूमि तथा विकास की लागत के ३.५ प्रति शत के आधार पर किराया निश्चित करती है। इस के साथ, जहां जहां सम्पत्ति कर अभियोज्य हो, वह भी जोड़ा जाता है। स्थान में प्रचलित किराये को भी विचार में रखा जाता है। बनावट स्थायी है या अस्थायी, यह भी किराया निश्चित करने का एक आधार है। दिल्ली में निर्माण की लागत का हिसाब नहीं लगाया गया है और किराया इस के आधार पर निश्चित नहीं हुआ है। अभी तो तदर्थ रियायती किराये निश्चित किये गये हैं।

नारियल तथा नारियल का तेल

३५४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन १९५१-५२ में भारत आयात किये गये नारियल तथा नारियल के तेल की मात्रा क्या थी ;

(ख) जिन देशों से आयात किये गये, उनके नाम क्या हैं ; तथा

(ग) सन् १९४९, १९५०, १९५१ में नारियल तथा नारियल के तेल की स्थानीय उत्पादि कितनी थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग) दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५६]**

'डी' विभाग में घूस का मुकदमा

३५५. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री ११ अक्तूबर, १९५१ को श्री सिधवा द्वारा "केन्द्रीय जन वास्तु विभाग में भ्रष्टता" नामक चौपतिया के सम्बन्ध में पूछे गये अल्प सूचना वाले प्रश्न के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर निर्देश करके, यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक सम्पति राजसेवा की इस जांच के होते हुए भी कि निर्माण कार्य विशेष निर्देशों से निम्न है, यह धारणा किन कारणों से रही कि 'डी' खण्ड में घूस के मुकदमे में किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करने का मामला ही नहीं था ?

(ख) क्या ठेकेदार की हुंडी में से रकम काटी गई थी, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) इस मुकदमे के विषयक अनुसन्धान तथा इसके अभियोजन पर कितना व्यय हुआ और इस में कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस बात के होते हुए भी कि न्यायालय ने सब अभियुक्त व्यक्तियों को विमुक्त किया, मुकदमे में अन्तर्ग्रस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की गई थी। उपविभागीय पदाधिकारी पर एक यह आरोप लगाया गया था कि उसने वह निर्माण कार्य होने दिया जो विशेष-निर्देश से निम्न था। विभागीय जांच में यह कहा गया कि यद्यपि सैनिक सम्पत्ति राज सेवा द्वारा अटकलपच्चू लिये गये नीव के कंकरीट, सीमेंट के पलस्तर तथा फर्श के कंकरीट के नमूनों को, विश्लेषण किये जाने पर, विशेष निर्देश से निम्न पाया गया, फिर भी इस बात का कोई निश्चायक प्रमाण नहीं था कि सारा निर्माण का कार्य विशेष-निर्देश से निम्न था।

(ख) आरोपित व्यक्तियों की न्यायालय द्वारा विमुक्ति तथा की गई विभागीय जांच के दृष्टिगोचर ठेकेदार की हुण्डी से कोई धन राशि काटी नहीं गई।

(ग) सारे ठेके की कुल प्राक्कलित राशि लगभग साडे बारह लाख थी। मुक़द्दमे के अनुसन्धान तथा अभियोजन पर आई लागत की गणना करना असम्भव नहीं।

कार्यालय के 'के' ब्लाक के मामले

३५६. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** ११ अक्तूबर, १९५१ को, श्री सिधवा द्वारा "केन्द्रीय जन वास्तु विभाग में भ्रष्टता" नामक चौपतिया के सम्बन्ध में पूछे गये अल्प सूचना वाले प्रश्न के उत्तर में संसद पटल पर रखे गये विवरण की ओर निर्देश करके, यह बताने की कृपा करेंगे यदि सरकार ने उन दो सैनिक पदाधिकारियों के कुटुम्बों को कोई मुआवजा दिया जिन की मृत्यु इस निर्माण के एक भाग के सिमेंटने के कारण हुई (१९४५ के कार्यालय के 'के' ब्लाक के मामले)।

(ख) क्या परीक्षण न्यायालय के इस टीका की ओर कोई ध्यान दिया गया था कि सैनिक पदाधिकारियों की मृत्यु का उत्तरदायित्व उन पर ही था जो इस निर्माण को चला रहे थे ; और यदि ध्यान दिया गया तो क्या उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ;

(ग) उन ठेकेदारों की हुण्डियों का क्या हुआ जिनकी देनगी रोकी गई थी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जानकारी इस समय प्राप्य नहीं है।

(ख) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर 'हां' है। दूसरे भाग के विषय में भाग (क) में निर्दिष्ट किये गये विवरण के पद (३) के अतिरिक्त मैं नें कुछ नहीं कहना है।

(ग) जिन ठेकेदारों की देनगी रोकी गई थीं उनको अभी भी कुछ नहीं दिया गया है और उनकी हुण्डियों की छानबीन हो रही है।

ईटों और कोयले के मामले

३५७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** ११ अक्तूबर, १९५१ को श्री सिधवा द्वारा "केन्द्रीय जन वस्तु विभाग में भ्रष्टता" नामक चौपतियां के सम्बन्ध में पूछे गये अल्प

सूचना वाले प्रश्न के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले वाले विशेष खण्ड संख्या १ (१९४४) के ईंटों और कोयले के मुकदमों के सम्बन्ध में जिन पदाधिकारियों (कार्याधिकारी यान्त्रिक तथा उपविभागीय पदाधिकारी) को अभियोग पत्र दिये गये थे उनके विरुद्ध यदि अन्तिम रूप में कोई कार्यवाही की गई थी तो वह क्या थी ?

(ख) उस उपविभागीय पदाधिकारी के मुकदमे का जिसका निवृत्ति-वेतन रोका गया था, क्या निर्णय हुआ था ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) सम्बन्धित पदाधिकारी का निवृत्ति-वेतन घटा कर उसको सामान्य रूप में मिलने वाले निवृत्ति-वेतन का ७५ प्रतिशत रखा गया है ।

भूतपूर्व निर्माण विभाग का निर्माण काष्ठ का मामला

३५८. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** ११ अक्तूबर १९५१ को श्री सिंघवा द्वारा "केन्द्रीय जन वास्तु विभाग में भ्रष्टता" नामक चौपतिया के सम्बन्ध में पूछे गये अल्प सूचना वाले प्रश्न के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे यदि भूतपूर्व निर्माण विभाग (१९४५) के निर्माण-काष्ठ के मामले में विभाग ने किसी कार्याधिकारी यान्त्रिक को भी अभियोग-पत्र दिया था ?

(ख) यदि दिया था तो जांच किये जाने के पश्चात उसका क्या बना ?

(ग) उस उपविभागीय पदाधिकारी के विरुद्ध अन्तिम रूप में क्या विभागीय कार्यवाही की गई थी जिस का मुकदमा चल रहा था ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

विस्थापित व्यक्तियों को भिक्षादान

३५९. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने निश्चय किया है कि अनाश्रित, बूढ़े तथा दुर्बल विस्थापित व्यक्तियों को जो भिक्षादान मिल रहा है उसका दर खाद्य का मूल्य बढ़ जाने के कारण वर्धित किया जाये ; तथा

(ख) यदि ऐसा हो तो नया दर क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के भिक्षादान दर हाल ही में बढ़ाये गये थे, मूल्य में तो कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव हर समय होता ही रहता है और यह सम्भव नहीं कि अति प्रायः भिक्षादान के दर में परिवर्तन किया जाये ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

३६०. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के सहायता कोष में से, इस कोष के स्थापित किये जाने के समय से विभिन्न राज्यों को दिये गये अनुदाय की कुल राशि क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): एक विवरण, जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५७]

बहुत सारे प्राप्त किये गये अनुदाय विशेष अभिप्रायों के लिये निश्चित किये गये थे, विशेषकर उन क्षेत्रों की खाद्य सहायता के लिये जहां विपत्ति आई थी और खाद्य की दुर्लभता थी। बिहार तथा मद्रास में खाद्य सहायता देने के लिये अनाज के लिये गत वर्ष में की गई अपील के फलस्वरूप बहुत अनुदाय प्राप्त हुये। अन्तिम रूप में यही व्यवहारिक समझा गया कि इस अनाज का स्थानीय विक्रय कर के इस से प्राप्त मूल्य को बिहार और मद्रास भेजा जाये। १६,६३,२४४ रुपये की एक बड़ी राशि आसाम में भूकम्प सहायता दिये जाने के लिये प्राप्त हुई और इस को आसाम के राज्यपाल द्वारा स्थापित भूकम्प सहायता कोष में भेजा गया था।

विभिन्न राज्यों को अनुदान सामान्यतः राज्यपाल अथवा मुख्य मंत्री के पास भेजे जाते हैं।

नमक पर उपकर

३६१. **श्री राजगोपाल राव:** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नमक पर आज कल जो उपकर लगाया जाता है उसकी राशि क्या है ?

(ख) इस उपकर के लागू होने से आज तक प्रति वर्ष कुल कितनी राशि का संचयन होता है ?

(ग) यह उपकर संचय करने के कार्य पर कितनी राशि का व्यय होता है ?

(घ) क्या यह सच है कि जब नमक शुल्क लागू था तब औद्योगिक प्रक्रिया में काम में लाया जाने वाला नमक इस शुल्क से मक्त था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) सरकारी कारखानों से दिये जाने वाले नमक पर साढ़े तीन आने प्रति मन और अनुज्ञप्ति प्राप्त निजी कारखानों से दिये जाने वाले पर दो आने प्रति मन उपकर लिया जाता है। समुद्र के रास्ते जापान निर्यात किये जाने वाला नमक उपकर से मुक्त है। उन अनुज्ञप्ति रहित नमक कारखानों की उत्पादि पर, जिन का भूमि क्षेत्र १० एकड़ से अधिक न हो, कोई उपकर नहीं लगाया जाता है।

(ख) एक विवरण जिसमें उपकर के वार्षिक संचय की कुल राशि दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है।

(ग) उपकर संचय करने के लिये कोई पृथक् कर्मचारी-वर्ग नहीं रखा गया है। निर्माता स्वयं ही उपकर की राशि खजाने में जमा करते हैं।

(घ) नमक का औद्योगिक उपयोग करने वालों को शुल्क के बराबर अवहार दिया जाता था।

विवरण

उपकर १ अप्रैल, १९४७ से लागू हुआ था। इस तारीख से आज तक संचय की गई कुल वार्षिक राशियां यह हैं :—

वर्ष		उपकर की कुल राशि
१९४७-४८	..	७७,६३,०००
१९४८-४९	..	५७,४१,०००
१९४९-५०	..	६८,३४,०००
१९५०-५१	..	८०,८३,०००
१९५१-५२	..	७९,१०,०००

भारतीय ठेकेदारों की पाकिस्तान सरकार के पास प्रतिभूतियां

३६२. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि विभाजन से पूर्व भारत सरकार (रसद तथा उत्सर्जन महानिदेशालय) द्वारा स्वीकृत टेंडरों के अधीन निर्माण का कार्य करने के लिये भारतीय ठेकेदारों की निक्षिप्त प्रतिभूतियों की अधिकांश राशि अभी पाकिस्तान सरकार के पास ही है ; तथा

(ख) यदि ऐसा हो, तो क्या भारत सरकार ने कभी पाकिस्तान सरकार के साथ उन निक्षेप करने वालों को, जो देश के विभाजन होने पर भारत में प्रव्रजित हुये, प्रतिभूतियां लौटाने का प्रश्न उठाया ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जहां तक पता चला है, विभाजन से पूर्व रसद तथा उत्सर्जन महानिदेशालय द्वारा दिये गये ठेकों के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा निक्षेप की गई प्रतिभूतियों की १,८६,०५० रुपये की राशि पाकिस्तान सरकार के पास है और अभी तक ठेकेदारों को लौटाई नहीं गई है । इस राशि में से १,७१,०५० रुपये उत्सर्जन ठेकों से सम्बन्धित हैं और शेष १५,००० रुपये एक विक्रय के ठेके के हैं ।

(ख) जी हां । पाकिस्तान सरकार को सूचित किया गया है कि १९५० में १८ से २१ दिसम्बर तक सांचिविक स्तर पर हुये भारत पाकिस्तान सम्मेलन में किये गये करार के अनुकूल, ठेकों से सम्बन्धित निक्षिप्त प्रतिभूतियों का प्रश्न ठेकों के दायित्व के प्रश्न के साथ ही लिया जाना चाहिये और पाकिस्तान सरकार को यह निक्षिप्त राशियां लौटानी चाहियें ।

संयुक्तराज्य अमरीका में भारतीय रसद मंडल

३६३. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) संयुक्तराज्य अमरीका में भारतीय रसद मंडल में पदाधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उन द्वारा किये गये विक्रय की कुल राशि कितनी है ; तथा

(ख) क्या यह मंडल सौदा करने से पूर्व सरकार से पुष्टिकरण करवाता है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहन) : (क) इस समय वाशिंग्टन स्थित भारतीय रसद मंडल में काम करने वाले पदाधिकारियों की कुल संख्या यह है :–

घोषित पदाधिकारी	१५
अघोषित पदाधिकारी	७७

सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के पिछले दो वर्षों में भारतीय रसद मंत्री द्वारा दिये गये ठेकों के मूल्य यह हैं :–

१९५०-५१	... ५२.०९	करोड़ रु०
१९५१-५२	... १६४.३७	„ „

(ख) जी हां, श्रीमान्, जहां जहां इसकी आवश्यकता हो ऐसा किया जाता है । वाशिंगटन में स्थित भारतीय रसद मंडल के संचालक अनिवार्य रूप से सारे महत्वपूर्ण विक्रयों के विषय में वाशिंगटन में स्थित भारत के राजदूतावास से आसक्त वित्तीय परामर्शदाता से विचार-विमर्श करते हैं ।

प्रसारण का विकास

३६४. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में प्रसारण के विकास सम्बन्धी वैज्ञानिक समिति के कृत्य तथा निर्देश्य शर्तें क्या हैं ;

(ख) समिति की कमकर-मंडली किस प्रकार की है ;

(ग) समिति ने क्या क्या सफलता प्राप्त की है ;

(घ) क्या प्रसारण के विकास के विषय में वैज्ञानिक परामर्शदाता समिति की सिपारिशें और योजना आयोग के साथ परामर्श करके दोहराई हुई आल इण्डिया रेडियो की इस विषय से सम्बन्धित योजनायें एक ही धारणा पर चलती हैं ; तथा

(ङ) यदि नहीं, तो दोनों में किस प्रकार के और किस हद तक अन्तर हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :(क) समिति सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को इन इन विषयों पर परामर्श देती है :–

(१) प्रसारण के विकास के वैज्ञानिक पहलू और उच्चतम उन्तराष्ट्रीय स्तर के अनुकूल प्रसारण राजसेवा बनाने के सम्बन्ध में नई रीतियों तथा शिल्पिक मामले ; तथा

(२) गवेशणा का कार्य जिसका संचालन, स्तर को नित्य बढ़ाने के लिये तथा उच्चतम कार्यपटुता के स्तर पर राजसेवा चलाये जाने को सुनिश्चित करने के अभिप्राय से आल इण्डिया रेडियो को करना चाहिये ।

(ख) समिति की कमकर-मंडली इस प्रकार है :

(१) मुख्य यान्त्रिक, आल इंडिया रेडियो ।

(२) डा० के० एस० कृष्णन, डी० एससी०, एफ० आर० एस०, संचालक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ।

(३) प्रो० के० श्रीनिवासन, भारतीय वैज्ञानिक संस्था, बंगलौर ।

(४) श्री एस० एन० कालरा, उप-मुख्य यान्त्रिक, समुद्रपार संचार राजसेवा, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(ग) समिति की बैठक २६ सितम्बर १९५१ को हुई । यह बैठक समन्वेषणात्मक थी । इस में की गई सिपारिशों का संक्षिप्त वर्णन यह है :

(१) प्रसारण पट्टी में वारम्बारताओं को क्षेत्र के लिये भारत के विभिन्न भागों में कोलाहल-स्तर निश्चित करना ; मध्य तरंग पर प्रसारण के लिये माने हुये स्तरों के अनुकूल अपेक्षित कोलाहल अनुपात की संज्ञप्ति को निश्चित करने के अभिप्राय से एक वर्ष की कालावधि के लिय आपरीक्षण करना ;

(२) भारत के विभिन्न भागों में मिट्टी की संवाहिता के सम्बन्ध में शुद्ध आंकड़े संग्रह करना ;

(३) भारत में पहला प्रयोगात्मक दूरप्रेक्ष केन्द्र स्थापित करना जिस से इस की शक्यता का निरीक्षण हो सके और ऐसी चर्चा के लिये आवश्यक कर्मचारिवृन्द को प्रशिक्षण मिल सके ;

(४) आल इंडिया रेडियो के गवेषणा विभाग के लिये उचित अधिवास दिया जाये ।

(घ) आल इंडिया रेडियो की पंचवर्षीय विकास योजना के मूल विशेषताओं पर समिति ने कोई आलोचना नहीं की ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

संसद् सदस्यों के लिये मकान (फ्लैट)

३६५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** १७ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१०, के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि साउथ एविन्यू में कुछ मकान अभी खाली हैं ;

(ख) यदि पश्चिमी कमांड के असैनिक विभाग में काम करने वाले कोई विस्थापित

तथा कोई बेकार विस्थापित लोग परिवारों समेत झोंपड़ियों में उस स्थान पर रह रहे हैं जहां संसद सदस्यों के लिये कुछ और मकान बनाने का विचार है ;

(ग) क्या उन को कोई और रहने की जगह देने का कोई प्रबन्ध किया गया है; तथा

(घ) यदि किया गया है तो किस स्थान पर ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पांच 'ए' प्रकार के तथा तीन 'बी' प्रकार के साउथ एविन्यू में खाली हैं ।

(ख) इस स्थान पर कोई झोंपड़ियां नहीं हैं परन्तु एक तम्बुओं का कैम्प है और यहां पश्चिमी कमांड के प्रधान कार्यालय के सैनिक तथा असैनिक विस्थापित कर्मचारी रहते हैं। इन कर्मचारियों में से कइयों के पास अपने बेकार नातेदार रह रहे हैं ।

(ग) अभी नहीं। इस मामले की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सकेन्द्रित जस्ता

३६६. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कहां संकेन्द्रित जस्ता पाया जाता है;

(ख) प्रति वर्ष पद्रावण के लिये कितने टन निर्यात किये जाते हैं और कहां;

(ग) इस से कितना प्रतिशत जस्ता प्राप्त होता है ;

(घ) रेल तथा जहाज द्वारा यातायात पर प्रति टन क्रमश: कितनी लागत आती है;

(ङ) कितना प्रति शत इस का पद्रावक के मालिक लेते हैं और कितना भारत वापस भेजा जाता है ;

(च) विदेशों के लोग किन शर्तों पर इस का पद्रावण करना स्वीकार करते हैं और वह इस के लिये क्या लेते हैं;

(छ) इस के साथ मिलाये जाने वाली चान्दी के सम्बन्ध में क्या अवस्था है; तथा

(ज) भारत में जस्ता पद्रावक प्रतिष्ठापित करने की कब सम्भावना है और कहां ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उदयपुर राजस्थान में ज्वार के स्थान पर सीसा-जस्ता खानों से।

(ख) सन् १९५१ में १९६५ टन यूरोप निर्यात किये गये थे ।

(ग) औसतन ५० प्रति शत ।

(घ) विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५८**]

(ङ) जितनी धातु की मात्रा हो उस का ५५ प्रति शत भारत को लौटाया जाता है और शेष पद्रावक के मालिक रखते हैं ।

(च) संकेद्रित जस्ता इस शर्त पर यूरोप भेजा जाता है कि इस से प्राप्त धातु की मात्रा का ५५ प्रति शत भारत को लौटा दिया जायेगा । सरकार के पास इस विषय में जानकारी नहीं कि पद्रावण के लिये कितनी धन राशि ली जाती है ।

(छ) एक टन संकेद्रित जस्ता में सामान्य रूप में २३४ ग्राम चान्दी होती है ।

(ज) यह मामला सरकार द्वारा नियुक्त की गई जस्ता (पद्रावण) समिति के विचाराधीन है ।

राजस्थान से अभ्रक

३६७. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में औसतन अभ्रक की वार्षिक उत्पादि कितनी है;

(ख) गत १५ वर्षों में राजस्थान से कितना और किस मूल्य का अभ्रक निर्यात हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष में विदेशी व्यापारियों ने राजस्थान से निर्यात किया गया अभ्रक लेना इस कारण अस्वीकार किया कि यह घटिया किस्म का था; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'नहीं' है, तो इस गलत फ़हमी को दूर करने के अभिप्राय से एक विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ३०,००० हंड्रवेट ।

(ख) राजस्थान से किये गये निर्यात के पृथक आंकड़े लेख्यगत नहीं किये जाते । श्री धुलेकर द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ९३५ के उत्तर में जैसे पहले कहा जा चुका है, सारी उत्पादि निर्यात की जाती है । राजस्थान में वार्षिक उत्पादि लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के मूल्य की होती है ।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

सीसा

३७८. **श्री बलवन्त सिन्हा महता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सीसे की कुल कितनी अपेक्षा है;

(ख) इस समय ज़वार खानों के खनि से कितनी प्रति शत अपेक्षा पूरी होती है;

(ग) इन खानों में पूर्ण रूप से का चलने पर कितनी उत्पादि की आशा है;

(घ) ज़वार की खानों से निकाली वाला संकेंद्रित ज़स्ता कहां भेजा जात इस में से कितनी मात्रा निष्कर्ष करने के लि भेजी जाती है और इस से कितनी प्रति श वसूली होती है ;

(ङ) यातायात पर प्रति टन कित लागत आती है;

(च) पद्रावण के लिये कितने स सीसा-अयस्क तथा संकेंद्रित सीसा अब निर्यात किये गये हैं;

(छ) कितने टन सीसा अब तक वस हुआ हैं; तथा

(ज) इस के साथ जो चान्दी मि होती है उस की कितनी मात्रा वसूल हुई है

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग १३,० टन प्रति वर्ष ।

(ख) लगभग ६.६ प्रति शत ।

(ग) लगभग २३ प्रति शत ।

(घ) यह बिहार में स्थापित भारत धातु निगम के पद्रावक को भेजे जाते भेजी जाने वाली मात्रा पद्रावक की अपे पर निर्भर है। वसूली लगभग ४८.५ प्रति है ।

(ङ) विवरण संलग्न है । [दे **परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या ५९**]

(च) कुछ नहीं । पद्रावण भारत ही होता है ।

(छ) १ जनवरी, १९४७ से ३ १९५२ तक की कालावधि में ३,३७८

(ज) चान्दी आज कल नहीं निकाली ती है ।

निर्यात

३६९. श्री बंसल : क्या **वाणिज्य तथा द्योग** मंत्री १९५२ में अप्रैल, मई तथा के महीनों में क्रमशः, सूती कपड़े, पटसन माई वस्तुओं, चाय, तेल तथा तेल के खाल तथा चमड़े और कुटीर-उद्योगों रा निर्मित वस्तुओं के निर्यात की मात्रा तथा ल्य के सम्बन्ध में सदन पटल पर एक विवरण वने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या ६०**]

कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के मई तथा जून १९५२ के आंकड़े और अन्य विषयों सम्बन्धी जून १९५२ के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं और यथा समय सदन पटल पर रखे जायेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्मेलन की रिपोर्ट

३७०. श्री बंसल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्मेलन द्वारा जारी की गई प्रथम वार्षिक रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रखी है ।

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1953

Tuesday 8, July, 1952

अंक ३

संख्या १

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सची

समिति के निर्वाचिन—

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद् [पृष्ठ भाग २४२७]

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् [पृष्ठ भाग २४२७—२४२८]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८—२४२९]

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् [पृष्ठ भाग २४२९—२४३०]

विनियोग (रेलवेज) संख्या २ विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २४३०—२४३५]

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित [पृष्ठभाग २४३५—२४७७]

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २४७७—२४९२]

(मूल्य ६ आने)

391 PSD

लोक सभा

मंगलवार, ८ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर असीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिय भाग १)

९-१५ म० पू०

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन का विधायिनी कार्यक्रम आरम्भ होगा : श्री सी० डी० देशमुख द्वारा बुधवार, २८ मई, १९५२ को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार :

"संविधान के अनुच्छेद २८६ के खंड (३) के अनुसार कुछ एक वस्तुओं को समुदाय के जीवन के हेतु सारभूत घोषित करने वाले विधेयक को निम्न सदस्यों श्रीमती बी० खोंगमन, डा० राम सुभग सिंह, श्री तुलसीदास किलाचन्द, आचार्य श्रीमान् नारायण अग्रवाल, श्री पी० टी० चाको, श्री बी० दास, श्री गुरमुख सिंह मुसाफ़िर, करनल बी० एच० जैदी, श्री एस० बी० एल० नरसिंहम्, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री जी० डी० सोमानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री राजाराम गिरधरलाल दूबे, श्री केशवदेव मालवीय, श्री अरुण-चन्द्र गुहा, श्री लीलाधर जोशी, श्री बलवन्त सिंह मेहता, श्री देव-कान्त बरुआ, श्री सारंगधर दास, श्री महावीर त्यागी, श्री एम० वी० कृष्णप्पा, डा० शौकतुल्ला शाह अन्सारी, श्री एन० आर० एम० स्वामी तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय तथा प्रवर समिति को अपना प्रति-वेदन दिनांक ११ जुलाई, १९५२ तक उपस्थित करने का निर्देश दिया जाये।"

श्री गुरुपाद स्वामी अपना भाषण दे रहे थे। वे इसे जारी रखेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : यह विधेयक साधारण सा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस विधेयक के रचयिताओं ने कुछ ऐसी वस्तुओं को जिनका समुदाय के जीवन से अत्यधिक सम्बन्ध है सारभूत घोषित किया है।

संविधान के अनुच्छेद २८७ के अनुसार भारत सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के हेतु उपयोग की जाने वाली बिजली को करों से विमुक्त किया गया है।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

इस अनुच्छेद में रेलों के निर्माण, बनाए रखन तथा चलाने में उपभोग होने वाली बिजली को भी विमुक्त किया गया है। अनुसूची में 'घरेलू उपभोग को छोड़कर अन्य उपभोग में आने वाली बिजली' का उल्लेख है। संविधान के अन्तर्गत निजी उद्योग तथा घरेलू कामों में उपभोग होने वाली बिजली को ही विमुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इस पर करारोपण हो सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक द्वारा सरकार निजी उद्योग में उपमुक्त बिजली को भी विमुक्त करना चाहती है। मुझे इस पर कोई आपति नहीं है। यदि सरकार निजी उद्योगों की इस प्रकार से सहायता करना चाहती है तो भले ही करे परन्तु यह बात खुले ढंग से होनी चाहिये। स्पष्ट रूप से उन का उल्लेख होना चाहिये।

यह भी मेरी समझ में नहीं आता कि घरेलू कामों में उपमुक्त बिजली को क्यों इस विमुक्ति से वंचित रखा गया है। मध्यम श्रेणी के लोग ही बिजली का अधिक उपभोग करते हैं और उन्हीं पर ही करों का बोझ अधिक पड़ता है। अतः घरेलू उपभोग की बिजली को भी अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

मूंगफली, खड्डी के रेशम तथा गुड़ के विषय में तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन्हें विमुक्त करना चाहये। इन के अतिरिक्त कुछ और वस्तुएं भी हैं जो जनता के जीवन के लिये अत्यावश्यक हैं। वह हैं खली और बिनौला जो कृषकों के काम आने वाली वस्तुएं हैं। इन के अतिरिक्त लाल मिर्च तथा इमली को और एलुमीनिअम तथा ताम्बे को भी विमुक्ति मिलनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इन वस्तुओं को भी सूची मे सम्मिलित किया जाए।

इसी प्रकार से इंधन और लकड़ी का कोयला भी जन साधारण के प्रतिदिन के उपभोग की वस्तुएं हैं, अतः इन्हें भी करों से विमुक्ति मिलनी चाहिये। मेरे इन सुझावों से राज्यों की करारोपण शक्ति तो अवश्य कम होती है, परन्तु जन साधारण की सुविधा के लिये ऐसा होना आवश्यक है।

इस के अतिरिक्त अनुसूची में कुछ थोड़े से स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता है, अर्थात् यह कि क्या अनाज में चावल भी सम्मिलित है, क्या दालों में चना भी सम्मिलित है। वित्त मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा हो।

अन्त मे मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जब यह विधेयक प्रवर समिति से लौट कर आये तो इस का प्रारूप सुधरा हुआ होना चाहिये क्योंकि इस समय यह कहीं कहीं अस्पष्ट सा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य सदन में नये हैं मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि जहां तक किसी विधेयक पर बोलने का प्रश्न है उन्हें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को बारी बारी से बोलने का अवसर मिल सकेगा और यह सदन पर ही निर्भर है कि कोई सदस्य १५ मिनट बोलता है या १५ घन्टे।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मैं इस विधेयक से सामान्यतः सहमत होते हुए केवल दो विषय ही सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रथम तो यह कि कतिपय वस्तुओं को सारभूत घोषित करते

समय हमारा सामान्य सिद्धान्त यह होना चाहिये कि हम उन वस्तुओं को इस सूची में ले लायें जिन का उपभोग पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से तो वह लोग कर से बच जायेंगे, यद्यपि जैसा कि मैं समझता हूं, हमारा उद्देश्य जन साधारण के हितों की रक्षा करना है। अर्थात् ऐसे लोगों के हितों की जो करों का भार उठाने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूची में सम्मिलित विमुक्त वस्तुओं की संख्या को हम जितना अधिक बढ़ाते जाएंगे उतनी ही राज्यों की करारोपण शक्ति कम होती जाएगी, अतः इसका कुप्रभाव उन की आय पर पड़ेगा। लोहे, इस्पात, मोटर के तेल, पेट्रोलियम आदि को विमुक्त करने से तो केवल धनी व्यक्तियों को ही लाभ हो सकता है। राज्यों के राजस्व में कमी होने से उनकी जन स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से सम्बन्धित योजनाएं निष्फल रह जाएंगी। इसी प्रकार से अनुसूची की क्रम संख्या ६ में 'कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा उपकरण' में ट्रेक्टर सम्मिलित नहीं होने चाहिए तथा उन्हें कर से विमुक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेक्टर साधारण कृषिकों के उपभोग की वस्तु नहीं है। मेरे विचार से खाने योग्य तेल को भी अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि यह भी निर्धन लोगों के उपभोग की वस्तु है।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) : इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में माननीय वित मंत्री ने बतलाया है कि इसके द्वारा करों में किसी सीमा तक एकरूपता लाई जा सकती है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि इस उद्देश्य की सिद्धि किस प्रकार से हो सकती है। मद्रास राज्य में खाद्यान्न पर कितनी ही बार कर लग जाता है। उत्तर प्रदेश में मिल के बने हुए क्षुद्र तथा मध्यम प्रकार के कपड़े पर कर लगता है। पश्चिमी बंगाल में कोयले और कोक पर करारोपण हो रहा है। मध्य प्रदेश में मिल के बने हुए क्षुद्र तथा मध्यम प्रकार के कपड़े पर कर लगाया जा रहा है। देहली में भी ऐसा ही होता है। इस विधेयक का प्रभाव केवल उन्हीं राज्य विधियों पर पड़ेगा जो इसके प्रवर्तन के पश्चात् बनाई जाएंगी। तो फिर एकरूपता किस प्रकार से आ सकेगी! इस दशा में तो यही अच्छा होगा कि राज्यों से यह आग्रह किया जाए कि वे अपनी पूर्व निर्मित विधियों को ढीला कर दें अथवा वापस ले लें। कुछ सदस्यों ने घरेलू काम काज में उपयुक्त बिजली के विषय में कहा है कि इसे भी कर से विमुक्ति मिलनी चाहिए। उनके इस सुझाव का मैं भी समर्थन करता हूं। यह भी मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोगों के लिए एक आवश्यक तथा सारभूत वस्तु है। इन में दुकानदार, छोटे कृषक आदि सम्मिलित हैं। अच्छा हो यदि माननीय वित्त मंत्री इस विषय में कोई आश्वासन दे सकें।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्): बिक्री कर राज्य विषय है जैसा कि राज्य सूची, क्रम संख्या ५४, से स्पष्ट है। सर्व प्रथम यह मद्रास राज्य में लागू हुआ और तद्-पश्चात् अन्य राज्यों ने भी मद्रास का अनुकरण करते हुए यह कर लगाना आरम्भ कर दिया। इस समय यह कर लगभग सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्याधार सा बन रहा है। कृष्णामाचारी रिपोर्ट की एक मुख्य सिपारिश यह थी कि ट्रावन्कोर-कोचीन जैसे राज्यों को बिकरी-कर के रूप में अतिरिक्त कर की प्राप्ति से अपने वित्तीय संसाधनों का विकास करना चाहिये।

[श्री ए० एम० टामस]

यहां हुई चर्चा का झुकाव अनुसूची को बढ़ाने की ओर रहा है, परन्तु मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह अनुसूची जितनी छोटी रखी जाए उतनी ही अच्छी रहेगी। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं समझा जाना चाहिये कि मैं जीवन की नितान्त आवश्यक वस्तुओं पर करारोपण के पक्ष में हूं। मैं अपने माननीय मित्र, श्री राव, से सहमत हूं कि इस चीज़ को पूर्णतया सम्बद्ध राज्यों के स्वविवेक तथा सद्बुद्धि पर ही छोड़ देना चाहिए। मेरा मत यह है कि इस कर के भार के सम्बन्ध में विनियमन का दायित्व राज्यों पर ही होना चाहिए क्योंकि वही अपनी विशेष स्थानीय परिस्थितियों को जान सकते हैं।

हमें राज्य सरकारों के स्वविवेक पर प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहियें। संविधान के अन्तर्गत हम ने राज्यों को बिकरी कर आरोपित करने का अधिकार प्रदान किया है, अतः यह उचित नहीं कि जो चीज़ हम एक हाथ से दे चुके हैं उसे दूसरे हाथ से वापिस ले लिया जाए। परन्तु इस के साथ ही यह बात भी है कि संविधान ने इस सदन को यह निर्धारण करने का अधिकार सौंपा है कि वह सारभूत वस्तुएं कौनसी हैं जिन्हें कर से विमुक्त रखा जाना चाहिए। अतः मैं इस विधेयक के मूल सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं, यद्यपि मैं यह बात भी कहूंगा कि इस विधेयक की अनुसूची को अत्यधिक बढ़ाना ठीक नहीं होगा।

श्री जोशिम अलवा (कनारा) : वित मंत्री इस विधेयक के पुरःस्थापन के लिए बधाई के पात्र हैं। इस से पूर्व उन्होंने समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर लगने वाले बिकरी कर के सम्बन्ध में विधेयक पुरः स्थापित करके बड़ा उपकार किया था, क्योंकि राज्य उस समय समाचार पत्रों पर कर लगाए जा रहे थे। उस विधेयक द्वारा इस प्रकार के करारोपण का अधिकार राज्यों से हटा लिया गया है। राज्यों में बिकरी कर का प्रभाव अत्यन्त हानिकारक रहा है। अतः यह प्रसन्नता की बात है कि राज्यों के इस अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। जहां तक इस कर का सम्बन्ध है विभिन्न राज्यों में इसके रूप सर्वथा भिन्न हैं। मद्रास में बहुत थोड़ी वस्तुएं ऐसी हैं जो इस कर से मुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में मिल के बने हुए क्षुद्र तथा मध्यम प्रकार के कपड़े पर अब भी कर लागू होता है। बम्बई में तो पके खाने पर भी आध आना प्रति रुपया बिक्री कर लगता है। बिहार में कच्चे माल पर जो अत्यन्त लाभकारी वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है बिक्री कर लगाया जा रहा है।

भारत में उत्पादित अथवा निर्मित अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं पर कितने ही प्रक्रमों पर करारोपण होता है जो २० प्रतिशत तक जा पहुंचता है। इस बात को देखते हुए यह विधेयक ठीक समय पर लाया गया है। इस करारोपण के कृत्य पर केन्द्र का नियन्त्रण होना अत्यावश्यक है।

यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष जा रहा है, अतः एक विषय ऐसा है जिस पर उनकी ओर से विचार होना आवश्यक है। लोहा, इस्पात आदि वस्तुयें जो गृहनिर्माण कार्य में उपभुक्त होती हैं अनुसूची में सम्मिलित हैं परन्तु टाइलें उसमें सम्मिलित नहीं हैं। टाइलें जन साधारण के काम की वस्तु हैं, अतः उनका भी अनुसूची में उल्लेख होना चाहिए।

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : इस विधेयक के खंड ३ में संविधान के एक अनुच्छेद के शब्दों तथा उपबन्धों को जो दुहराया गया है इसकी कुछ आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में इस विधेयक का इस रूप में लाया जाना भी आवश्यक नहीं था। सरकार को केवल यह घोषणा कर देनी चाहिए थी कि अमुक अमुक वस्तुएँ जन साधारण के जीवन के हेतु सारभूत अर्थात् आवश्यक हैं। ऐसी घोषणा का परिणाम यह होता कि राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित इस प्रकार की विधि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रक्षित रहती।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : अन्यथा अपने वर्तमान रूप में तो यह विधेयक संविधान के संशोधन के तुल्य है।

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी अवस्था में तो इसके लिए सर्वथा भिन्न प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त विधेयक में उसके प्रारम्भन की तिथि का कोई उल्लेख नहीं है। यदि यह अनुमान लगाया जाए कि वह तुरन्त ही प्रारम्भ हो सकेगा तो उस दशा में उन अधिनियमों का जो इस समय प्रवर्तित है तथा उन भिन्न दरों का जो विभिन्न राज्यों में लागू हैं क्या होगा ? क्या इस विधेयक के पारित हो जाने के फलस्वरूप उन अधिनियमों में किसी प्रकार का रूपभेद हो सकेगा ? विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के अनुसार इस से करों में एकरूपता लाने में सहायता मिलने की आशा है, तथा यह कि सारभूत वस्तुओं को अनुचित करारोपण से बचाया जा सकेगा। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या एकरूपता के उद्देश्य से किसी कर को हटाया भी जा सकेगा या नहीं। सम्भवतः सरकार का अभिप्राय बिक्री कर को सर्वथा हटा देने का नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वर्तमान विधान पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या यही अभिप्राय है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यही अभिप्राय है।

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ भी हो जब कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है, उक्त समिति का इस विषय पर विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका प्रभाव केवल आगामी विधान पर पड़ेगा।

डा० पी० एस० देशमुख : अनुसूची के सम्बन्ध में इस समय तक दो विचार प्रकट किये जा चुके हैं। कुछ एक माननीय सदस्य तो इसका विस्तार चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इसके संकुचित रखे जाने के पक्ष में हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में भेद होने का आधार यह है कि कुछ लोग तो समस्त देश के हित का ध्यान रखते हैं और कुछ केवल किसी राज्य विशेष के हित का। परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि कई अवस्थाओं में यह कर कष्ट का कारण बन रहे हैं और कई एक राज्य तो इन्हें अपनी वित्तीय स्थिरता का एक मात्र साधन समझ बैठे हैं। अतः यदि इस अनुसूची का यथा सम्भव विस्तारण किया जा सके तो इससे राज्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला जा सकता है जिस से वे इस प्रकार के काम करते समय पूरे सोच विचार से काम ले सकें। अतः मैं अनुसूची के विस्तारण के पक्ष में हूं, इसके संकुचन के पक्ष में नहीं।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद-उत्तर) : मैं न तो विधेयक के प्रारूप से सहमत हूं और न उस से संलग्न अनूसूची से ही। संविधान के अनुच्छेद २८६ (३)

(श्री मूलचन्द दूबे)

को विधेयक के खंड ३ के रूप में देनें की अपेक्षा तो यह अच्छा होता कि इसे प्रस्तावना का अंग बना दिया जाता।

मुझे विधेयक के नाम के सम्बन्ध में भी मतभेद है जो अत्याधिक लम्बा है। 'सारभूत वस्तुओं सम्बन्धी विधेयक, १९५२' से काम चल सकता था।

मुझे विधेयक से संलग्न अनुसूची के विषय में भी कुछ कहना है। मेरे विचार से संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) का उद्देश्य यही था कि ऐसी वस्तुओं के लिए, जो जन साधारण के जीवन के लिये आवश्यक हैं, राज्यों की करारोपण शक्ति को अनुबन्धित किया जाए, क्योंकि किसी ऐसी वस्तु के प्रदाय, अभाव आदि के विषय में जितना पूर्ण ज्ञान केन्द्र को हो सकता है वह राज्यों को नहीं हो सकता। इसलिए मुख्य रूप से इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अनुसूची में उल्लिखित वस्तुएं वास्तव में समुदाय के जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। ऐसी वस्तुएं मुख्यतः तीन हैं, अर्थात् खाद्यान्न, कपड़ा और आश्रय। अनुसूची में सर्वप्रथम अनाज, दाल आदि का उल्लेख है, परन्तु कोष्ठकों में लिखा गया है "किसी ऐसी वस्तु को छोड़ कर जो बन्द डिब्बों में बिकती हो"। मेरी समझ में नहीं आता कि इन शब्दों के बढ़ाये जाने का क्या उद्देश्य है। क्या डिब्बों में बन्द होनें से खाद्यान्न खाद्यान्न नहीं रहता ?

इसी प्रकार से खंड २ में भी जहां हरी अथवा सूखी तरकारी आदि का उल्लेख है डिब्बों में बन्द माल को अपवाद के रूप में दिखलाया गया है जो मुझे ठीक प्रतीत नहीं होता।

अनुसूची के खंड ९ में जो लोहे और इस्पात का उल्लेख है उस से यह पता नहीं चलता है कि इन में से निर्मित अन्य वस्तूऐं भी सम्मिलित हैं या नहीं। मेरे विचार से इन से निर्मित वस्तूएं भी सम्मिलित होनी चाहिएं।

यद्यपि रोटी कपडे को तो ध्यान में रखा गया है, 'आश्रय' की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। मेरा निवेदन यह है कि ईंटें, टाइलें, सीमेन्ट तथा एसबेस्टांस की चादरें भी अनुसूची में बढाई जानी चाहिए, क्यों कि केवल लोहे तथा इस्पात से तो काम नहीं चल सकता।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : जो विधान इस समम सदन के विचाराधीन है वह संविधान के एक अनुच्छेद के आधार पर लाया गया है। यह हमारे स्वागत का पात्र है परन्तू हमें यह भी देखना है कि कहां तक यह वास्तव में संविधान की अन्तरात्मा और उसके अभिप्राय की अभिपूर्ति करता है। एक आपत्ति उठाई गई है कि इस विधेयक का प्रारूपण उचित प्रकार से नहीं हआ है क्योंकि इस में संविधान की भाषा को ही दुहराया गया है। यह भी कहा गया है कि ऐसा करना मानो संविधान का संशोधन करना है। यह आपत्ति इस विधेयक के खंड ३ के सम्बन्ध में की गई है। परन्तु मेरे विचार से यह खंड अनुच्छेद २८६ के उपबन्धों की अभिपूर्ति करता है और इस का अभिप्राय संविधान का संशोधन करना नहीं है। मेरा यह भी विचार है कि खंड में संविधान की भाषा का प्रयोग कोई दोष की बात नहीं है।

वास्तविक कठिनाई विधेयक के उपबन्धों से उत्पन्न नहीं होती वरन अनुसूची से तथा अनूच्छेद २८६ के खंड ३ के निर्वचन से उत्पन्न होती है। कई एक माननीय सदस्यों ने तथा माननीय वित्त मंत्री ने भी ऐसा कहा

है कि इस बिधेयक का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा परन्तु किसी भी विधि को पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, जिस से उस के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी शंका न रह सके और संसद् और सरकार का अभिप्राय ठीक ठीक व्यक्त हो सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि इस का निर्वचन संदेह पूर्ण हैं तो यह निश्चित करना कि इस का प्रभाव भूतलक्षी होगा अथवा नहीं किस का काम है, विधान मंडल का अथवा न्यायालय का ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : यह कुछ अच्छी बात नहीं है कि एक अधिनियम पारित किया जाय और जब कोई न्यायालय उस के सम्बन्ध में प्रतिकूल निर्वचन दे दे तो उसे उलटने के लिए एक और अधिनियम पारित किया जाए। ऐसा होता रहा है, परन्तु इस से तो यही अच्छा होगा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहो कि न्यायपालिका संसद तथा कार्यपालिका को पृथक पृथक निर्वचन देने पड़ें किसी प्रकार की शंका हो तो उसका निवारण अभी से हो जाना चाहिए।

इस विधेयक का अभिप्राय करों में एकरूपता लाना तथा अनुचित अथवा अत्यधिक भारी करों की रोक थाम करना हैं। यह बात उद्धेश्यों तथा कारणों के विवरण से भी स्पष्ट है। तो ऐसी दशा में यदि यह विधि भूतलक्षी नहीं होगी तो यह एकरूपता किस प्रकार से लाई जा सकेगी और जो अनुचित कर विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जा चुके हैं उन्हे कैसे हटाया जा सकेगा ?

तीसरा विषय जिसकी ओर वित्त मंत्री तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है यह है कि कई एक वस्तुओं पर दो अथवा तीन बार कर लग जाता है। मेरे मित्र श्री अल्वा ने इस्पात कर को घोषणा तथा विनियमन) विधेयक उद्योग की ओर निर्देश किया है। मुझे इस बात का निजी ज्ञान है कि इस वस्तु पर तीन बार कर लगता है, पहले कच्चे लोहे पर फिर चादरों पर और फिर उस से बनाने वाली बाल्टियों पर। मैं समझता हूं कि सदन तथा सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए और प्रवर समिति में इस विधेयक में कुछ इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए जिस से यह बार बार का करारोपण रोका जा सके।

की ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : इस के कितने ही और उदाहरण हैं, जैसे कागज।

श्री श्यामनन्दन सहाय : और भी बहुत हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या लोहें और इस्पात में निर्मित माल भी सम्मिलित है ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : जी हां। यही अभिप्राय जान पड़ता है।

श्री सी० डी देशमुख : मैं ऐसा नहीं समझता। यहां केवल कच्चे माल की ओर ही निर्देश है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : यह माल लोहे और इस्पात से ही बनता है, परन्तु कुछ भी हो सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण कर देना चाहिय।

अन्त में यह जानना भी आवश्यक है कि क्या खाद में खली भी सम्मलित है क्योंकि इसका अत्यधिक उपयोग खाद के रूप मे होता है। इस विधेयक में सदन को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि राज्यों से क्या कुछ अपेक्षित है तथा एकरूपता लाने और अत्यधिक भारी करारोपण की रोकथाम करने के लिये क्या होना चाहिय।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): इस बात को देखते हुए कि यह विधेयक प्रवर समिति में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

जा रहा है अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पंडित भार्गव की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, अर्थात् यह कि क्या खंड ३ का होना उचित है। इस खंड के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी राज्य की ओर से निर्मित कोई ऐसी विधि, जिसके द्वारा किसी ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जाए जो इस अधिनियम द्वारा सारभूत घोषित हो चुकी हों, प्रवर्तित नहीं हो सकेगी जब तक कि उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो जाए। इस विषय पर यह कहा गया है कि यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद २८६(३) के अनुकूल नहीं है। परन्तु ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता जिसके आधार पर इन दोनों चीजों को असंगत कहा जा सके। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एकरूपता लाना है परन्तु भूतकालीन विधान के सम्बन्ध में नहीं। इसका अभिप्राय अगामी विधान के सम्बन्ध में एक रूपता लाना है परन्तु राज्यों को भी तो अपना काम चलाना है, करारोपण करना है। हम उन पर अत्यधिक प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस से किसी सीमा तक एक रूपता आ सकेगी और आवश्यक वस्तुओं पर अनुचित करारोपण को रोक थाम हो सकेगी। लोहे और इस्पात का उदाहरण लिया जाए तो हम देखते हैं कि कई राज्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और यदि वे इन पर अनुचित कर थोप दें तो दूसरे राज्यों पर जो इनका उपयोग करते हैं इसका कुप्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। इस बात को देखते हुए खंड ३ के विषय में यह कहना कि उसे कोई हानि हो सकती है उचित नहीं है। अन्यथः यदि न्यायालयों पर ही छोड़ दिया गया तो इससे राज्यों का सारे का सारा करारोपण का ढांचा संकट में पड़ जाने की सम्भावना है। प्रत्येक प्रकरण उच्चतम न्यायालय के समक्ष आना चाहिये। त्रावनकोर-कोचीन का प्रकरण उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि त्रावनकोर कोचीन के उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद २८६ (१) के आधीन देश से निर्यात होने वाली चाय पर आरोपित बिकरी कर को शक्ति परस्तात घोषित कर दिया हुआ है। एक केन्द्रीय संविधि की आवश्यकता सर्वत्र अनुभव की जा रही है और लगभग सभी राज्य इस विधेयक के सामान्य अभिप्राय से सहमत हैं। खंड ३ के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह अनावश्यक है परन्तु इसके रखने से विधेयक का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है, अतः इसे रहना ही चाहिये।

श्री राघवचारी (पेनुकोंडा): यह विधेयक आज के बहुत पहले आना चाहिये था और अब भी हमें इसे पारित करने में शीघ्रता से काम लेना चाहिये क्योंकि हो सकता है कि इतने में राज्यों द्वारा कुछ और विधान भी बन जायें जिससे एकरूपता के उद्देश्य में और भी बाधा पड़ने का संदेह हो सकता है।

इस विषय पर कुछ संदेह प्रकट किया गया है कि क्या संविधान के प्रवर्तन के पश्चात् राज्यों द्वारा पारित विधान जिससे करारोपण किया गया हो वैध समझे जाएंगे अथवा अवैध। अनुमानतः वर्तमान विधेयक भूतलक्षी नहीं होगा। इसीलिये खंड ३ में यह शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भन के पश्चात्" जोड़े गये हैं। यह खंड अनावश्यक प्रतीत होता है। यदि हम एकरूपता लाना चाहते हैं तो यह प्रश्न कि यह विधि भूतलक्षी होनी चाहिए या नहीं न्यायालयों पर छोड़ देना चाहिये।

यह भी आवश्यक बात है कि सभी ऐसी वस्तुएं जो जनसाधारण के जीवन के लिये सारभूत हैं अनुसूची में सम्मिलित की जाएं। अनुसूची के स प्रकार के विस्तारण से और उसमें अन्य वस्तुओं के बढ़ाये जाने से राज्यों के अधिकार समाप्त नहीं हो जायेंगे, अर्थात वे फिर भी उन पर कर लगा सकेंगे। केवल उन्हें इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करनी होगी।

अनुसूची की क्रम संख्या ५ में "क्षुद्र तथा मध्यम" प्रकार के कपड़े की ठीक परिभाषा दी जानी चाहिये।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर): माननीय वित्त मंत्री ने अपने २८ मई के भाषण में इस विधेयक की पृष्ठभूमि तथा अन्य परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है जिनके कारण इस प्रकार की विधि की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस भाषण में उन्हों ने यह बतलाया कि किस प्रकार से राज्यों की ओर से लगाये गये इन करों का अन्तर्राज्य व्यापार पर कुप्रभाव पड़ा है। सके साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्यों के राजस्व-स्रोत बढ़ने चाहियें। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की है। यह स्पष्ट है कि कितनी ही राज्य सरकारें अपने अधिकांश राजस्व की प्राप्ति बिक्री-कर द्वारा ही कर रही हैं। वित्त मंत्री के इस भाषण को ध्यान से देखने से ऐसा जान पड़ता है कि मानों वे राज्यों की इस नीति का अनुमोदन कर रहे हों। परन्तु कुछ एक माननीय सदस्य इस नीति से चिन्तित हैं क्योंकि यह एक मानी हुई बात है कि बिक्री-कर कोई अच्छा कर नहीं है, विशेषत: जब कि इसे किसी राज्य के राजस्व का मूख्य स्रोत बना लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह सब कुछ इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए सुसंगत है? इसका अभिप्राय केवल कुछ एक वस्तुओं को संविधान के अनुच्छेद २८६ के अन्तर्गत जन साधारण के जीवन के लिये सारभूत घोषित करना है जिसका परिणाम यह होगा कि ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने वाला विधेयक जब भी किसी राज्य विधान सभा में पुर:स्थापित होगा तो उसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। यही इस विधेयक का सीमित सा क्षेत्र है। इस विषय पर तो चर्चा हो सकती है कि क्या कोई अन्य वस्तुएं अनुसूची में आदिष्ट की जाएं अथवा नहीं, परन्तु बिकरी कर के आरोपण के औचित्य अथवा अनौचित्य के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा नहीं हो सकती।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): जब कि यह विधेयक प्रवर समिति को जा रहा है मैं वित्त मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह राजस्व सम्बन्धी विधि है? मुझे विश्वास है कि उनका उत्तर नकारात्मक होगा। इस में राज्य सरकारों के बिकरी-कर सम्बन्धी क्षेत्राधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया गया है। समय आ गया है जब कि यह बिक्री-कर का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार से हटाया जाकर केन्द्र के प्रशासन में ले लिया जाए जिससे एक-रूपता लाई जा सके। मद्रास राज्य में बिकरी-कर लगाए जाने का कारण यह बतलाया गया है कि मद्यनिषेध नीति को सफल बनाने के लिए ऐसा किया गया। १९३८ में जब यह कर लागू हुआ इसकी आय १४ लाख थी, परन्तु आज २२ करोड़ है। परन्तु दु:ख तो यह है कि वह मद्यनिषेध की नीति भी तो सफल नहीं हो सकी, जिससे १८ करोड़ का राजस्व तो नष्ट हो गया और २२ करोड़ बिकरी-कर का बोझ जनता पर लाद दिया

[डा० लंका सुन्दरम्]

गया। यह बिक्री-कर अत्याचार का एकमात्र यंत्र है।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बतलाया गया है कि इस विधेयक द्वारा जनता को इस कर के अनुचित आपात से बचाया जाएगा। परन्तु आसाम, बिहार तथा बम्बई को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पहले से ही बहुस्थानीय कर लागू है, और बम्बई में भी इसके लागू किये जाने का प्रयत्न हो रहा है।

करों के सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट और सीधी होनी चाहिए। यदि राज्य-सूची की क्रम संख्या ५४ के सम्बन्ध में अन्ततः हमें संविधान में संशोधन भी करना पड़ जाए तो इसमें कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से इस विषय पर न्यायालयों में जो झगड़े चल रहे हैं वह भी समाप्त हो सकते हैं। यद्यपि मुझे इस विधेयक के सिद्धांत से पूर्ण सहानुभूति है मैं समझता हूं कि इसके वर्तमान रूप को देखते हुए इसके प्रभावी सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है। राज्यों में जो अंधेर गर्दी बिक्री-कर के नाम पर इस समय चल रही है वह वैसे ही चलती रहेगी। देश को इस विभीषिका से छुटकारा मिलना चाहिए।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तूर) : इस विधेयक का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद २८६ के अन्तर्गत सारभूत वस्तुओं की परिभाषा करना है। परन्तु क्या 'वस्तु' शब्द विद्युत शक्ति के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है? मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता। इस विधेयक को उचित रूप से संशोधित करना चाहिए।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे अपने प्रस्ताव में यह संशोधन करने की अनुमति दी जाए कि प्रवर समिति का प्रतिवेदन ११ जुलाई की जगह १८ जुलाई को प्रस्तुत किया जाए।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यदि यह विधेयक शीघ्र ही पारित नहीं होगा तो कई एक राज्य और नये विधान बना कर हमारे लिए नयी उलझनें उत्पन्न कर देंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा प्रारम्भिक भाषण माननीय सदस्यों के मन से कुछ उतर गया जान पड़ता है क्योंकि कुछ एक विषय ऐसे भी उठाए गये हैं जिन पर मैं अपने उस भाषण में पूर्ण प्रकाश डाल चुका हूं।

एक विषय तो यह था कि यह कर राजस्व से सम्बन्ध रखने वाला है। परन्तु यह एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी करारोपण जांच समिति जो नियुक्त होगी अवश्य विचार करेगी। और मैं ने इस प्रकार की समिति की नियुक्ति इसी वित्तीय वर्ष में करवा लेने का निश्चय कर लिया हुआ है।

जहां तक इस विधेयक के सिद्धांत का प्रश्न है किसी भी सदस्य की ओर से इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। केवल एक सदस्य श्री गुरुपादस्वामी ने कहा है कि इस विधेयक का अभिप्राय जनता की आंख में धूल झोंकना है तथा यह कि यह प्रजातन्त्र पर एकमात्र कुठाराघात के समान है। परन्तु अच्छा ही होगा यदि उनकी इस चेतावनी से सदस्यगण अधिक जागरूक होकर इस विधेयक पर विचार कर सकें।

दूसरा प्रश्न जो कई एक सदस्यों की ओर से उठाया गया है वह एक विधि-सम्बन्धी प्रश्न है और उसकी जो व्याख्या विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री चटर्जी

ने की है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं मैं इस विषय पर कुछ अधिक नहीं कह सकता। यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि तीसरे खंड को आदिष्ट करके हम केवल उसी चीज़ को दुहरा रहे हैं। तो भी हमारा मत यह है कि इससे कुछ ऐसी हानि नहीं होती है और हमारी इस धारणा से कि यह विधेयक भूतलक्षी नहीं हो सकता कुछ न कुछ लाभ ही की सम्भावना है। लाभ यह होगा कि बहुत से लोग अन्धाधुन्ध न्यायालयों की शरण ढूंढ़ने से रुक जायेंगे। न्यायालय से निर्णय की याचना करने या न करने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व उन पर रहेगा और सम्पूर्ण स्थिति पर कोई संकट नहीं होगा। यह तो पूर्णतया स्पष्ट है कि वर्तमान प्रारूपण के तर्क को दृष्टि में रखते हुए यह विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती। जब घोषित वस्तुओं के सम्बन्ध में हम "निर्मित विधि" शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी घोषणा का उक्त विधि के निर्माण से पूर्वगामी होना अवश्यम्भावी है, और वह विधि इन वस्तुओं की घोषणा के पश्चात् ही बनाई जा सकती है। अनुच्छेद २८७ की भाषा की ओर निर्देश किया गया है। परन्तु वहां प्रयुक्त शब्द कुछ भिन्न हैं अर्थात् "प्रवृत्त विधि"। इसीलिये विधान मण्डल ने "प्रवृत्त विधि" और किसी घटना के पश्चात् बनाई गई विधि के बीच भेद रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय: इस धारा के अनुसार ऐसी विधियों को राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किया जाना आवश्यक है। वह सभी विधेयक जो राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित हो चुके हैं राज्यपालों की अनुमति प्राप्त कर चुके हैं, अतः उन्हें अब राष्ट्रपति के विचार के लिय रक्षित नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल विधेयक के प्रक्रम पर ही रक्षित किया जा सकता है इस बात से भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

श्री सी० डी० देशमुख: इस उपबन्ध की भाषा से स्पष्टतया इस विचार की पुष्टि होती है कि इस विधान का प्रभाव भूतलक्षी नहीं हो सकता। परन्तु अब तक की गई सभी चर्चा गुणावगुण के सम्बन्ध में भी और विधि सम्बन्धी स्थिति के विषय में भी, प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत रहेगी, और निस्संदेह इन सभी चीज़ों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् उक्त समिति अपना प्रतिवेदन देगी।

इस चर्चा में न पड़ते हुए कि बिक्री कर नीति के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस समय इस विशेष करारोपण यंत्र द्वारा राज्यों को ४५ करोड़ रुपये की आय हो रही है और ऐसे समय में जबकि हम पंचवर्षीय योजनायें बनाने जा रहे हैं मैं नहीं समझता कि करारोपण पद्धति में किसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाना सम्भव अथवा उचित होगा। मैं इस विधेयक के उद्देश्य को दोहराए देता हूं यद्यपि मैं ने स्वयं "विमुक्ति" शब्द का प्रयोग अपने भाषण में कई जगह अनौपचारिक रीति से किया है, वास्तविक उद्देश्य वही है जो बतलाया गया है। सर्वप्रथम कुछ एक वस्तुओं को समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक घोषित करना है, और तद्पश्चात् अनुच्छेद २८६ (३) तथा उक्त खंड में दिये गये उसके स्पष्टीकरण के अध्ययन की आवश्यकता है। हमारा अभिप्राय यह है कि भविष्य में स्थिति स्पष्ट तथा विनियमित रहे। हो सकता है कि किन्हीं प्रकरणों में हम विमुक्ति के पक्ष में आग्रह करें, परन्तु यह तो प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण पर ही निर्भर रहेगा। कई अन्य वस्तुओं

[श्री सी० डी० देशमुख]

के सम्बन्ध में हम यह आग्रह भी कर सकते हैं कि यह कर एक अधिकतम परिमाप से नहीं बढ़ना चाहिये। कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं जिनकी संविधि-पुस्त पर बिक्री-कर के प्रकार की कोई विधि नहीं है, और मुझे ऐसे राज्यों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वह लोग इस विधान से चिन्तित से हो रहे हैं। अतः मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम उनकी कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तथा यह कि उन्हें यह पूर्व धारणा बना लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है कि हमारा अभिप्राय अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक वस्तु को करारोपण से विमुक्त करना है।

मैंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि कुछ एक प्रकरणों में हम ने कई एक वस्तुएं इसलिए अनुसूची में सम्मिलित नहीं कीं क्योंकि बहुत सी वर्तमान राज्य-विधियों के अन्तर्गत वह पहले से ही विमुक्त हैं--उदाहरणार्थ मांस मछली, खाद्य वस्तुएं इत्यादि। अब पुनर्विचार पर मैं समझता हूं कि यह वास्तव में कोई पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बतलाया है हो सकता है कि नये अधिनियमों में किसी प्रकार के कर का उपबन्ध रखना पड़े और यह एक ऐसा विषय है जिस पर प्रवर समिति को उचित प्रक्रम पर विचार करना होगा। एक ऐसा विषय है घरेलू उपभोग के लिए बिजली। मने अपने पिछले भाषण में भी इसकी ओर निर्देश किया था। मैंने कहा था :

"बहुत सी ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जो इस विधेयक की अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई हैं, मुख्यतः मांस, मछली, घरेलू उपभोग की बिजली, पटसन, कागज़, समाचार पत्रों का कागज़, पुस्तकें इत्यादि।"

इस विधेयक द्वारा विमुक्त की गई वस्तुओं में इन सब का उल्लेख न किये जाने का केवल यही एकमात्र कारण है कोई और विपरीत धारणा नहीं है।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि हो सकता है कि राज्य इस विशेष विधान से अपवंचन के विचार से शीघ्रातिशीघ्र कोई नये विधान बना डालें। मेरी सूचना यह है कि जब से हम उनसे परामर्श के उपरांत सर्वमान्य समझौता कर चुके हैं किसी भी राज्य ने बिक्री-कर सम्बन्धी कोई विधि नहीं बनाई है, और न ही कोई विशेष रूप भेद किया है--यद्यपि इस तथ्य की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

डा० लंका सुन्दरम् : परन्तु आप ने बम्बई की बहुस्थानीय कर सम्बन्धी प्रस्थापना के लिये अपनी सहमति दे दी।

श्री सी० डी० देशमुख : वह तो वस्तुओं का प्रश्न नहीं वरन् करारोपण प्रणाली का प्रश्न है।

डा० लंका सुन्दरम् : मेरा अभिप्राय करापात से है।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे इस प्रयास को विफल करने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि कुछ न कुछ एकरूपता का होना वांछनीय है। मैं यह भी बतला चुका हूं कि यह कार्य प्रायः प्रेरणा से करने का है और यह कि मेरा विचार किसी समय राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

बुलाने का है। उस सम्मेलन में करारोपण स्तर सम्बन्धी वास्तविक सामग्री एकत्रित हो सकती है और फिर उसका वर्तमान विधि के अनुसार विनियमन हो सकता है। यह कुछ आवश्यक नहीं है कि सभी उठाये गये छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर वित्त मंत्री ही दें। यह प्रवर समिति का काम है। किसी विधेयक के द्वितीय वाचन का वास्तविक उद्देश्य यह होता है कि इस बात पर विचार किया जाय कि क्या उसका सिद्धांत सत्याधारित है। मुझे पता चल गया है कि कुछेक सदस्यों को छोड़कर जिनके नाम मैंने लिये हैं शेष सभी इससे सहमत हैं। अब प्रत्येक विषय पर सविस्तार विचार करना प्रवर समिति का काम होगा।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग–पश्चिम): क्या मैं एक बात जान सकता हूं? यदि इस विधि को भूतलक्षी नहीं रखा जायगा तो इसका देश भर में समान प्रभाव कैसे हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने 'कुछ एकरूपता,। का उल्लेख किया है कई एक सदस्यों ने बोलने की इच्छा प्रकट की है परन्तु विधेयक प्रवर समिति में जा रहा है और वहां उनके सभी सुझावों पर विचार हो सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य प्रवर समिति की बैठक में उपस्थित हो कर अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह ऐसा कर सकता है, यद्यपि उसे मत देने का अधिकार तो नहीं होगा।

विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ।

दीवानी व्यवहार संहिता (संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> 'कि दीवानी व्यवहार संहिता, १९०८, में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक बहुत साधारण सा विधेयक है जिसका विषय है विदेशी न्यायालयों की डिग्रियों का पारस्परिक आधार पर भारत में निष्पादन। इस सम्बन्ध में पहले भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ४४-क में उपबन्ध मौजूद है। परन्तु वह उपबन्ध उस समय पारित हुआ था जब कि यह पारस्परिकता एक ओर भारत और दूसरी ओर सयुक्त राजतन्त्र तथा सम्राट के अधिराज्यों में स्थित अन्य देशों के बीच में ही थी। धारा ४४-क की रचना ही कुछ इस प्रकार की थी। भारत के स्वातन्त्र्य प्राप्त करने के पश्चात ऐसा समझा गया कि इस पारस्परिकता का विस्तारण कर के यह सम्बन्ध अन्य ऐसे विदेशों के साथ भी स्थापित किया जाये जा इसके इच्छुक हों। यही एकमात्र इस संशोधक विधेयक का उद्देश्य है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की वर्तमान धारा ४४-क में उपबन्धित है, कि:

> "जब संयुक्त राजतंत्र अथवा किसी पारस्परिकता का सम्बन्ध रखने वाले प्रदेश के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी एक की डिग्री की प्रमाणित प्रति किसी ज़िला-न्यायालय में प्रस्तुत की जाये तो राज्यों में उस डिग्री का निष्पादन उसी प्रकार से होगा जैसे कि वह ज़िला-न्यायालय द्वारा ही जारी की गई हो।"

[श्री बिस्वास]

पारस्परिकता का सम्बन्ध रखने वाले प्रदेश के विषय में धारा ४४-क की उपधारा (३) के स्पष्टीकरण २ में ऐसा उपबन्धित है कि :

> "पारस्परिकता का सम्बन्ध रखने वाले प्रदेश से अभिप्राय है सम्राट के अधिराज्यों के किसी भाग में स्थित कोई ऐसा देश, अथवा प्रदेश, जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के हेतु पारस्परिकता का सम्बन्ध रखने वाला प्रदेश घोषित कर दे।"

और, इस के अतिरिक्त "वरिष्ठ न्यायालयों" के सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है :

> "किसी ऐसे प्रदेश के सम्बन्ध में वरिष्ठ न्यायालयों से अभिप्राय है ऐसे न्यायालय जो विशेषतः उल्लिखित हों।"

इस समय यह धारा केवल संयुक्त राजतन्त्र के वरिष्ठ न्यायालयों तथा सम्राट के अधिराज्यों के किसी भाग में स्थित देशों अथवा प्रदेशों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें, के न्यायालयों को ही लागू होती है। वर्तमान संशोधक विधेयक का आशय स्पष्टीकरण में प्रयुक्त शब्दों 'सम्राट के अधिराज्यों के किसी भाग में स्थित' के स्थान में 'भारत के बाहर' शब्द रखना है, जिस के फलस्वरूप संशोधित स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा :

> "पारस्परिकता का सम्बन्ध रखने वाले प्रदेश से अभिप्राय है संयुक्त राजतंत्र के अतिरिक्त भारत के बाहर कोई देश अथवा प्रदेश।"

'संयुक्त राजतन्त्र' शब्दों को जो धारा ४४-क की उप-धारा १ में दिये गये हैं रख लिया गया है। कई एक संशोधन इस आशय के दिये गये हैं कि यह शब्द उप-धारा १ में से निकाल दिये जायें और भारत से बाहर स्थित सभी देशों के सम्बन्ध में एक सामान्य उपबन्ध रख दिया जाये, तथा यह कि संयुक्त राजतंत्र का विशेष उल्लेख नहीं होना चाहिये। परन्तु ऐसा करने से स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। अन्ततः परिणाम यही होगा कि विदेशों में संयुक्त राजतंत्र तथा उस से बाहर के अन्य देश सभी सम्मिलित होंगे।

उप-धारा १ में इन शब्दों को उन के वर्तमान रूप में ही रहने देने का केवल एक ही कारण है। धारा ४४-क, मैं समझता हूं, लगभग १९३७ में पुरःस्थापित की गई थी। यह एक पारस्परिकता पर आधारित विधि थी जो बृटेन की पार्लियामेन्ट द्वारा १९३३ में पारित अधिनियम, विदेशीय निर्णय (पारस्परिक प्रवर्तन) अधिनियम, १९३३—२३ तथा २४, जार्ज ५—अध्याय १३—को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। उक्त अधिनियम में इस प्रकार उपबन्धित था कि यदि सम्राट की ऐसी धारणा हो कि किसी विदेश के वरिष्ट न्यायालयों को इस विधि के लाभ प्रदान करने से उस देश में पारस्परिकता के आधार पर, संयुक्त राजतंत्र के वरिष्ठ न्यायालयों के निर्णयों को भी उचित लाभ प्राप्ति हो सकती है तो वे निदेश दे सकते हैं कि इस अधिनियम का यह विशेष भाग उस विदेश को भी लागू होगा।

उस अधिनियम के अन्तर्गत सम्राट परिषद्-आदेश द्वारा उक्त भाग के उपबन्धों को संयुक्त राजतंत्र के बाहर स्थिति अपने अधिराज्यों आदि को लागू कर सकते थे। अतः इसी कारण भारत ने यह पारस्परिक विधि बनाने का विचार किया और धारा ४४-क पुरःस्थापित हुई। अब, यदि इसे

निकाल दिया जाता है तो इस का एकमात्र परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय सरकार को फिर से नयी अधिसूचना इस आशय की जारी करनी होगी कि संयुक्त राजतन्त्र को पारस्परिक सम्बन्ध रखने वाला प्रदेश समझा जायेगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : उन में से एक ।

श्री बिस्वास : इस का परिणाम यह होगा कि दोनों देशों के बीच अग्रेतर पत्रव्यवहार चलेगा । इस से यह संदेह भी उत्पन्न हो सकता है कि इस के पीछे कदाचित कोई गुप्त कारण हो । कुछ भी हो इस विधान के अधिनियमन और बहुत कुछ पत्रव्यवहार के पश्चात् अधिसूचना के निर्गमन के बीच कुछ कालान्तर तो अवश्यमेव ही रहेगा । प्रस्तुत संशोधन केवल भावुकता पर आधारित है, किसी ठोस तर्क पर नहीं, क्योंकि इसे माना जाये या न माना जाये बात वही रहती है । हां, यह वास्तविक कठिनाई अवश्य होगी कि संयुक्त राजतंत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से अधिसूचना के निर्गमन में कुछ समय लग जायगा ।

श्री एस० एस० मोरे : परन्तु ऐसा क्यों ?

श्री बिस्वास । वास्तव में, पत्रव्यवहार तो करना ही होता है । लेख्यप्रमाणक विधेयक पर विचार करने के समय आप को ज्ञात होगा कि लेख्यप्रमाणकों के विभाग-प्रमुख (मास्टर आफ़ फैकल्टीज़) को जो इस समय भारत के लेख्यप्रमाणकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिकरणादेश प्रदान करता है. पहले से सूचित किया गया था कि इस व्यवस्था को समाप्त करने का विचार है । ऐसा हो जाने के पश्चात् ही वर्तमान विधान प्रस्तुत किया गया । यदि अब हम व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ४४-क के उपबन्धों में से "संयुक्त राजतंत्र" शब्दों को हटा देना चाहते हैं तो हमें उन को इस सम्बन्ध में अधिसूचित कर देना चाहिये और यह भी बतला देना चाहिए कि अन्ततः हमारा विचार संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा उन्हें 'पारस्परिकता का सम्बन्ध रखने वाले प्रदेश' के रूप में सम्मिलित कर लेने का है ।

ऐसा अभी तक नहीं किया गया है । अतः यदि आप इस समय एकाएक इन शब्दों को धारा ४४–क में से निकाल देते हैं और संयुक्त राज्यतंत्र को अन्य पारस्परिकता का सम्बन्ध रखने वाले प्रदेशों के समान बना देते हैं तो इस से एक अनुचित कालान्तर सा पड़ जायगा । केवल इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को रहने दिया गया है, संयुक्त राजतंत्र को प्रसन्न करने के विचार से नहीं । इस धारा को तो ऐसे ही रहने दिया जाये और स्पष्टीकरण २ में से सम्राट के अधिराज्यों में स्थित देशों अथवा प्रदेशों की ओर निर्देश निकाल दिया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे श्रीमान्, मेरा एक सुझाव है । विधेयक पर विचार स्थगित किया जा कर संयुक्त राजतंत्र के साथ पत्रव्यवहार द्वारा प्राथमिक कार्यक्रम की पूर्ति हो जानी चाहिये जिस से तुरंत ही अधिसूचना जारी की जा सके ।

श्री बिस्वास : श्रीमान्, इस पर कुछ आपत्ति नही । यदि सदन चाहे तो ऐसा

[श्री बिस्वास]

हो सकता है। वास्तव में लेख्य-प्रमाणक विधेयक के सम्बन्ध में उन्हें लिखा गया था और उन की ओर से बड़ा सुन्दर उत्तर आया था। इसीलिए मैं समझता हूं कि हमें उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए और चालू व्यवस्था को एकाएक ही समाप्त नहीं करना चाहिये। यदि सदन सहमत हो तो इस विषय को अगले सत्र तक रोक रखा जाए, और इस कालान्तर में संयुक्त राजतंत्र के साथ पत्र-व्यवहार द्वारा उन्हें अपने विचार से सूचित कर दिया जाये। हम चाहते हैं कि जो कुछ कार्यवाही हम करें उसका कोई अनुचित अर्थ न निकाल लिया जाए।

इस प्रक्रम पर इस विषय पर चर्चा हुई कि क्या इस विधेयक को आगामी सत्र तक स्थगित रखा जाए और इतने में संयुक्त राजतंत्र के साथ पत्रव्यवहार कर के उन्हें इस कार्यवाही के सम्बन्ध में उचित सूचना दे दी जाए जिस से वर्तमान वैधानिक व्यवस्था में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। माननीय विधि मंत्री ने अपने आप को स्थगन के पक्ष में बतलाया क्योंकि कितने ही संशोधन इसी आशय के प्रस्तुत हो चुके थे। इस के अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड को छोड़कर अभी तक किसी अन्य देश ने अपनी डिग्रियों के इस देश में निष्पादन के सम्बन्ध में नहीं लिखा। श्री त्यागी ने यह विचार प्रकट किया कि हमें यह उचित नहीं कि इंगलैंड के साथ अधिमान्य व्यवहार करते जाएं और अन्य देशों के साथ इस विषय में भेदभाव की नीति अपनाई जाए। इस चर्चा में श्री काज़मी ने भी भाग लिया। माननीय विधि मंत्री ने अपने उपर्युक्त तर्क को दुहराया। श्री चटर्जी ने कहा कि यह विषय केवल प्रक्रियामात्र का विषय है। संयुक्त राजतंत्र का किसी प्रकार से विशेष उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे ऐसा प्रतीत हो कि हम उनके साथ कोई बरीयता का व्यवहार कर रहे हैं। न ही संशोधनों का अभिप्राय उन के विरुद्ध किसी भेदभावयुक्त नीति का अनुसरण करने का है। माननीय विधि मंत्री के यह कहने पर कि इस विधेयक पर अविलम्बनीय विचार की आवश्यकता नहीं है उपाध्यक्ष महोदय ने सदन से पूछा कि क्या उन की ऐसी इच्छा है कि इस विधेयक पर विचार स्थगित किया जाए जिस पर कई माननीय सदस्यों ने हां में उत्तर दिया। अतः इस पर विचार आगामी सत्र तक के लिए स्थगित हुआ।

संभृति आदेश प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "संभृति आदेश प्रवर्तन अधिनियम, १९२१, में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक के पुरःस्थापन के भी लगभग वही कारण हैं जो पिछले विधेयक के थे जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। अन्तर केवल यह है कि इस में किसी विशेष देश का पृथक उल्लेख नहीं है, अतः मैं इस पर विचार स्थगित किये जाने की प्रार्थना नहीं करूंगा। इस उपबन्ध की शब्दावली सामान्य प्रकार की है। इस समय प्रवृत्त संभृति आदेश

अधिनियम में अन्य देशों में निर्गमित संभृति आदेशों के भारत में प्रवर्तन का उपबन्ध है और ऐसे ही पारस्परिकता के आधार पर भारत में निर्गमित संभृति आदेशों के अन्य देशों में प्रवर्तन का उपबन्ध है । उक्त अधिनियम की वर्तमान संरचना के अनुसार इस प्रकार की पारस्परिक व्यवस्था राष्ट्रमंडलीय देशों, अर्थात् सम्राट के अधिराज्यों तथा रक्षित राज्यों के साथ ही हो सकती है । हम इस परिभाषा का विस्तार करना चाहते हैं जिससे भारत के बाहर के सभी देशों को सम्मिलित किया जा सके । वर्तमान धारा ३ के स्थान में हम कहते हैं :

> "यदि केन्द्रीय सरकार इस विषय में सन्तुष्ट हो कि भारत से बाहर के किसी देश अथवा प्रदेश में भारत के न्यायालयों द्वारा निर्गमित सम्भृति आदेशों के प्रवर्त्तन हेतु वैधानिक प्रावधान है तो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि यह अधिनियम उक्त देश अथवा प्रदेश को लागू होता है अतः तदोपरान्त यह तदनुसार लागू होगा।"

एक मात्र महत्वपूर्ण संशोधन जो प्राप्त हुआ है वह यह है कि "केन्द्रीय सरकार" शब्दों की जगह "संघ सरकार" शब्द आदिष्ट कर दिए जाएं । परन्तु ऐसा करने से सामान्य खंड अधिनियम की उपेक्षा होती है, क्योंकि सामान्य खंड अधिनियम में दी गई "केन्द्रीय सरकार" की परिभाषा में राष्ट्रपति इत्यादि सम्मिलित हैं, और "संघ सरकार" शब्द उस में नहीं पाए जाते हैं । हमने सामान्य खंड अधिनियम की शब्दावली को अपनाया है । अतएव यह सझाव कि "केन्द्रीय सरकार" के स्थान में "संघ सरकार" आदिष्ट कर दिया जाए तत्वहीन जान पड़ता है ।

एक और संशोधन भी है जिस पर मैं तब चर्चा करूंगा जब वह प्रस्तुत होगा । परन्तु एक खंड में हम ने लिखा है कि :

> "पारस्परिकता का सम्बन्ध रखने वाले प्रदेश' से अभिप्राय है भारत के बाहर कोई देश अथवा प्रदेश जिस को यह अधिनियम इस समय धारा ३ के अन्तर्गत निर्गमित घोषणा द्वारा लागू होता हो ।"

हम ने "धारा ३ के अन्तर्गत निर्गमित घोषणा द्वारा" शब्द बढ़ा दिए हैं क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है । यदि आप इन शब्दों को हटाना चाहते हैं तो हटा दें; परन्तु इन्हें हटाने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि यह अधिनियम ऐसे प्रदेश को घोषणा द्वारा ही लागू हो सकता है । यह एक वास्तविक तथ्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान को अपवर्जित करने सम्बन्धी संशोधन के विषय में आप का क्या विचार है ?

श्री बिस्वास : मैं नहीं समझता कि उसमें क्या तत्व है । वास्तव में अधिसूचना का जारी करना केन्द्रीय सरकार के वश की बात है । यदि आप पाकिस्तान के साथ पारस्परिक व्यवस्था स्थापित करना नहीं चाहते हैं तो आप को इस सम्बन्ध में सदैव स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी ; आपको अधिनियम में "पाकिस्तान को छोड़ कर" शब्द रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है । परिस्थिति उत्पन्न होने पर पाकिस्तान को कभी भी अपवर्जित किया जा सकता है । यह दूसरी बात है । यह अधिकार हमें पहिले से ही प्राप्त है ।

[श्री बिस्वास]

एक और संशोधन का आशय पंक्ति २३ में "अभिव्यक्त अथवा अन्तर्निहित" शब्द डालना है :

> 'यदि केन्द्रीय सरकार इस विषय में संतुष्ट हो कि भारत से बाहर के किसी देश अथवा प्रदेश में.....वैधानिक प्रावधान है . . . "

प्रस्तावक की इच्छा है कि इसे निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

> " . . . कोई वैधानिक प्रावधान अभिव्यक्त अथवा अन्तर्निहित"

यह एक ऐसा विषय है जिस का निर्णय केन्द्रीय सरकार को करना है ; तो फिर यह शब्द यहां क्यों डाले जाएं ? इस का परिणाम अनावश्यक वादविवाद होगा और न्यायालय भी इस की जांच कर सकेंगे । इसे पूर्णतया केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया गया है । यह संशोधन नितान्त अनावश्यक है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विष्णु घणश्याम देशपांडे की ओर से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है :

> "विधेयक को सितम्बर, १९५२, तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिए परिचालित किया जाये । "

विधेयक छोटा है । पिछले विधेयक के सम्बन्ध में जो आपत्तियां की गई थीं कि किसी विशेष देश के पक्ष में भेदभाव की नीति अपनाई गई है, उनका समाधान इस विधेयक में कर दिया गया है, तो फिर इस संशोधन का क्या अभिप्राय है ?

श्री बी० जी० देशपांडे (गुना) : मेरे इस संशोधन का सम्बन्ध एक और संशोधन से है जिसका आशय यह है कि "पाकिस्तान को छोड़कर" शब्द बढ़ा दिये जायें । हमें डर है कि भारत में रहने वाले कुछ लोग इस विधेयक के उपबन्धों का दुरुपयोग करेंगे । पाकिस्तान में एक पक्षीय डिग्रियां प्राप्त की जा कर रुपये की बड़ी बड़ी राशियां यहां से वहां भेजी जाया करेंगी । इस का हमारे और पाकिस्तान के सम्बन्धों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा । हम समझते हैं कि इस विधेयक के रचयिता ने इस के विषम परिणामों पर ध्यान नहीं दिया है । इस समय भी बड़ी बड़ी राशियां भरणपोषण इत्यादि प्रयोजनों के हेतु पाकिस्तान भिजवाई जा रही हैं । मेरा सुझाव केवल यह है कि इस विधेयक को सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये परिचालित किया जाए और यह कि इसे पारित करने में अत्यधिक जल्दी से काम न लिया जाए ।

श्री बिस्वास : इस विधेयक का अभिप्राय केवल यह है कि एक देश की डिग्रियों का दूसरे देश में निष्पादन हो सके । जहां तक राशियों के वास्तविक प्रेषण का सम्बन्ध है वह तो प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा-विनिमय की सामान्य प्रणाली द्वारा ही होगा और उस देश में लागू नियन्त्रण प्रतिबन्धों के अधीन ही होगा ।

श्री बी० जी० देशपांडे : यह केवल चलार्थ का प्रश्न नहीं है ।

श्री बिस्वास : आपका निर्देश केवल एक देश से दूसरे देश को राशि-विप्रेषण की ओर था । यदि डिग्रियों का निष्पादन हुआ तो यह विप्रेषण तो विनिमय के साधारण नियमों के अधीन ही होगा ।

श्री बी० जी० देशपांडे : प्रश्न इस बात का नहीं है । पाकिस्तान में रहने वाली मां के पक्ष में उसके भारतनिवासी पुत्र के

विरुद्ध डिग्री दिलवाई जाकर उसका निष्पादन यहां करवाया जायगा और संभूति की राशि उस से अथवा उसकी भारत-स्थित सम्पति से वसूल की जाकर पाकिस्तान भिजवाई जा सकेगी। इस विधि से पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति भारत के धन अथवा सम्पत्ति का उपयोग अपने निर्वाह के लिए कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रकार का प्रावधान है जिसके द्वारा दो देशों की डिग्रियों का पारस्परिक आधार पर निष्पादन हो सकेगा। यदि सरकार चाहे तो अपवाद के रूप में पाकिस्तान को अपवर्जित कर सकती है। यदि इस देश का लोकमत पाकिस्तान के साथ इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के विरुद्ध होगा तो सरकार को इस का ज्ञान हो जाएगा और वह उसके अनुसार कार्यवाही कर सकेगी।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या विधि मंत्री सभापति महोदय के इस विचार से सहमत हैं ?

श्री बिस्वास : यह कुछ ऐसी महत्व की बात नहीं है जिस पर सर्व साधारण की सम्मति ली जाए।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : पश्चिमी पाकिस्तान से तो सभी अल्पसंख्यकों को निकाल ही दिया गया है और अब पूर्वी पाकिस्तान से भी निकाला जा रहा है। इस उपबन्ध के होते हुए सहज ही हमारी सरकार पाकिस्तान के साथ इस विषय में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर लेगी जिससे वहां की डिग्रियां—जो बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो जाया करेंगी—यहां निष्पादित हो सकेंगी और कितना ही रुपया इस देश से पाकिस्तान को चला जाया करेगा। और हमारे नागरिक इस से कुछ भी लाभ प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इससे केवल वही पाकिस्तानी लाभ उठा सकेंगे जो स्वयं तो यहां रह रहे हैं परन्तु उनके लड़के, लड़कियां स्त्रियां आदि पाकिस्तान में हैं।

प्रचालन प्रस्ताव प्रस्तुत होकर अस्वीकृत हुआ।

विचार प्रस्ताव प्रस्तुत होकर स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३ विधेयक का अंग बना लिये गये।

खंड ४—(धारा ३ के स्थान में नई धारा का आदेशन)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी की ओर से संशोधन प्रस्तुत हुआ कि पृष्ठ १, पंक्ति २२ और २३ और २५ और २६ में, "केन्द्रीय सरकार" के स्थान में "संघ सरकार" आदिष्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा करना संविधान के उपबन्धों के अनुकूल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय तथा श्री रघुरामय्या ने बतलाया कि सामान्य खंड अधिनियम द्वारा इसका स्पष्टीकरण हो जाता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत होकर अस्वीकृत हुआ।

सरदार हुक्म सिंह की ओर से संशोधन प्रस्तुत हुआ कि पृष्ठ १, पंक्ति २४ में "भारत" शब्द के पश्चात् "पाकिस्तान को छोड़कर" शब्द जोड़ दिये जायें।

सरदार हुक्म सिंह : इस विधेयक का उद्देश्य तो अच्छा है परन्तु यह जानने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में सम्राट के अधिराज्यों के बाहर के देशों के साथ इस प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित

[सरदार हुक्म सिंह]

करने का प्रश्न कभी उठा भी है। यदि गत ३० वर्ष में इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है तो अब क्या कारण है कि इस प्रकार का रूप भेद अथवा परिवर्तन किया जाए। शरणार्थियों की दुर्गति को देखते हुए यह डर पैदा होता है कि सरकार अपनी उदारतापूर्ण नीति से प्रेरित होकर पाकिस्तान के साथ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर लेगी जिस से हमारे देश को अत्यन्त हानि पहुंच सकती है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्वी) : यदि विधि मंत्री इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो एक हल और भी हो सकता है। पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों में एक कठिनाई यह रही है कि उपबन्धों और वचनों के होते हुए भी उनकी अभिपूर्ति नहीं होती। खंड ४ का इस प्रकार से संशोधन होना चाहिए कि हमारी सरकार न केवल इस बात को देखे कि अन्य देश में ऐसा वैधानिक उपबन्ध मौजूद है वरन् उसे यह भी संतुष्टि होनी चाहिए कि उक्त उपबन्ध की अभिपूर्ति भी होती है। यदि हमारी सरकार को किसी समय यह पता चले कि पाकिस्तान में इस की अभिपूर्ति नहीं हो रही है तो यह पारस्परिक प्रणाली हटाई जा सके, इस विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री बिस्वास : खंड ४ में समाविष्ट संशोधन वर्तमान धारा ३ पर ही आधारित है। डा० मुखर्जी का अभिप्राय इस में कुछ अन्य सामग्री का समावेश करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो केवल आश्वासन चाहते हैं।

श्री बिस्वास : यह व्यवस्था पारस्परिक आधार पर होनी है तो जब तक यह पारस्परिकता स्थापित न हो ले हम अपनी संतुष्टि किस प्रकार से कर सकते हैं? यह व्यवस्था तो दोनों देशों में एक ही तिथि पर प्रवृत्त हो सकती है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : उस अवस्था में हमारी सरकार को यह शक्ति ग्रहण कर लेनी चाहिए कि यदि किसी समय उसे यह जान पड़ता है कि उपबन्धों की अभिपूर्ति नहीं की जा रही है तो पारस्परिकता की व्यवस्था को हटाया जा सके।

श्री बिस्वास : यह तो सरकार सदैव ही कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था इस समय वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत १६ अन्य देशों को लागू है।

संशोधन प्रस्तुत होकर अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

विधेयक का नाम और अधिनियम-सूत्र विधेयक का अंग बना लिए गये।

श्री बिस्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को पारित किया जाए"

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय मैं हिन्दी में बोलूंगा क्योंकि मैं ने पहले ही दिन घोषणा की थी कि यहां पर मैं हिन्दी ही बोलना चाहता हूं। तथा इस संसद् के समक्ष मैं सिद्धान्त रूप से हिन्दी बोलना चाहता हूं और यह इसलिये कि इस समय ला मिनिस्टर (विधि मंत्री) महोदय ने समस्त देशों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक में पाकिस्तान को दूसरे सभी देशों के साथ स्थान न देना चाहिये। इस समय हम लोगों के वस्तुस्थिति से आंख मूंद लेने से काम नहीं चलेगा। हम ने आज तक यह देखा है कि भारतवर्ष के साथ पाकिस्तान का जितना सम्बन्ध रहा है सब में भारत का ही नुकसान रहा। पाकिस्तान से आये हुए जितने शरणार्थी हैं, उन की हानि रही और यहां से जाने वाले जिन की सम्पत्ति भारत में है वे उस का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं।

इसलिये हमारा यह कहना आवश्यक हो गया है। हमारे आदरणीय डाक्टर मुखर्जी के संशोधन के सुझाव के अनुसार एक गड़-बड़ाहट इस प्रकार की हो गई है कि जितने भी और देश हैं जिन के साथ उस में पारस्परिक विनिमय हो सकता है उन के लिए भी हम को यह लिखना पड़ेगा 'आपको यह देखना होगा कि व्यवहार रूप में इस की अभिपूर्ति हो, हम कहते हैं कि समस्त देशों के साथ सन्देह करना आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस देश ने निरन्तर कितने ही ऐग्रीमेंट किये और उन को पूरा नहीं किया उस के साथ ऐसा करना आवश्यक हो सकता है। दिल्ली पेक्ट तो अभी प्रसिद्ध ही है। इस के लिये वह कहते रहते हैं कि वह इस को सत्यता से और पवित्रता से निभा रहे हैं और उन की ओर काई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वहां जो व्यवहार अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वह निरन्तर हमारे सामने आता रहता है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पाकिस्तान को इस पारस्परिक विनिमय में सम्मिलित न किया जाय। और पाकिस्तान के अतिरिक्त और देशों के साथ हमारा यह सम्बन्ध हो कि जो देश हमारी डिग्री का सम्मान करता है उस की डिग्री का यहां सम्मान किया जाय। यह तो हम समझ सकते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ भी यह सम्बन्ध रहा तो जिस तरह से और ऐग्रीमेंटों के प्रावीज़न्स का वह दुरुपयोग कर रहे हैं उसी तरह उस के प्रावीज़न्स का भी वह दुरुपयोग करेंगे। इस दुरुपयोग के कारण से भारतवर्ष में रहने वाले या भारत वर्ष में आये हुए व्यक्तियों को भारतीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में हानि पहुंच सकती है और वहां वालों को इस में विशेष लाभ होगा। इस समय तक भी कम से कम १५-२० करोड़ रुपये की सम्पत्ति भारत से पाकिस्तान को जा चुकी है और निरन्तर जाती रहती है। इसलिये मैं बार बार यह निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान को इस में शरीक न किया जाय। पाकिस्तान को छोड़ कर बाकी देशों के साथ रैसिप्रासिटी (पारस्परिकता) का सम्बन्ध रखा जा सकता है यही मेरा मतलब है।

श्री नामधारी (फ़ाज़िल्का-सिरसा): मेरी यह प्रार्थना है कि हिन्दी का चलना तो मुबारिक है, लेकिन चूंकि हम ने हाल ही में चेंजोवर (परिवर्तन) किया है इसलिए अगर कम्प्लेक्स (जटिल) हिन्दी की जगह उर्दू मिली हिन्दी बोली जाए तो हम अपना गुज़ारा कर लेंगे।

श्री नन्द लाल शर्मा: अगर इसका नाम कम्प्लेक्स हिन्दी है तो मिक्सड (मिली जुली) बोली न जाने क्या होगी।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (ज़िला-कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा-पूर्व) : कितनी लज्जा की बात है कि वे अपने गुरुओं की भाषा भी नहीं जानते ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को 'यदि' शब्द पर आपत्ति है ? यदि संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यह कुछ अचम्भे की बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नए शब्द बनाने होते हैं तो आधारभूत भाषा संस्कृत ही होती है, अरबी अथवा फ़ारसी नहीं हो सकती । संस्कृत का प्रयोग तो पहले से ही हो रहा है और यह एक ऐसी भाषा है, जिस पर इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को गौरव होना चाहिये यदि किन्ही सदस्यों को इसके जानने का अवसर अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है तो वे अब भी इसे सीख सकते हैं ।

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लेख्य-प्रमाणिक विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "लेख्य-प्रमाणकों के व्यवसाय को विनियमित करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लेख्य-प्रमाणकों सम्बन्धी विधान इस देश के लिए कोई नवीन चीज़ नहीं है । परक्राम्य लिखत अधिनियम में लेख्य-प्रमाणकों की नियुक्ति के विषय में उपबन्ध मौजूद है । उक्त अधिनियम की धारा १३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को लोक लेख्य-प्रमाणक नियुक्त कर सकती है अथवा हटा सकती है । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए लेख्य-प्रमाणक उस में निहित कृत्यों का ही निर्वहन कर सकेंगे । ऐसे लोक-लेख्य प्रमाणकों के अतिरिक्त भारत में एक अन्य श्रेणी के लोक-लेख्य प्रमाणक भी काम कर रहे हैं तो अपनी अधिकार प्राप्ति भारत सरकार द्वारा न करते हुए इंगलैंड में पीठासीन निकाय-प्रमुख (मास्टर औफ फैकल्टीज़) द्वारा करते हैं ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

यह एक प्राचीन संस्था है और वास्तव में इंगलड में लेख्य-प्रमाणकों के इतिहास का पता हेन्री अष्टम के राजकाल तक चलता है । उससे पूर्व यह अधिकार पोप को प्राप्त था फिर उस से हटा कर सम्राट को प्राप्त हुआ । उस के पश्चात यह अधिकार निकाय अधिकरण (कोर्ट आफ फैकल्टीज़) को प्रत्यायोजित हुआ । अब लेख्य- प्रमाणकों का नामांकन उक्त अधिकरण द्वारा होता है । वहीं से उसे प्राधिकरण-लिखत प्राप्त होती है । भारत से विभिन्न प्रकार व्यक्ति—केवल सालिस्टर ही नहीं, यद्यपि वे प्रायः सालिस्टर ही हुआ करते थे, परन्तु अन्य लोग भी जैसे शासनप्राप्त आंकिक (चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट) तथा व्यापारी इस समय अपने प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रलेखों के साथ निकाय-प्रमुख को अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे वे अपने कृत्यों का निर्वहन भारत में तथा अन्य स्थानों में कर सकते हैं, और इस श्रेणी के लेख्य प्रमाणकों का स्थान परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त लेख्य-प्रमाणकों की अपेक्षा प्रायः ऊंचा समझा जाता है ।

अब जब कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है यह बात अवश्यम्भावी सी थी कि आगे से लेख्य प्रमाणक अपना प्राधिकार इंगलैण्ड में स्थित किसी संस्था से प्राप्त न किया करें। अतः यह प्रस्थापना प्रस्तुत हुई कि केन्द्रीय सरकार को उनकी नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इस प्रस्थापना की सूचना यथा समय निकाय-प्रमुख को दी गई तो उसने इसका उत्तर अत्यन्त सुन्दर ढंग से देते हुए यह स्वीकार किया कि परिवर्तित परिस्थितियों में एसा होना अनिवार्य ही है, और यह भी लिखा कि अब भविष्य में निकाय के कार्यालय से भारत के किसी भाग के लिए कोई एकस्व प्रलेख जारी नहीं होंगे।

हमें इस विधान के बनाने में सावधानी से काम लेना चाहिये। इस देश में लेख्य-प्रमाणकों के नामांकन अथवा नियुक्ति के सम्बन्ध में विधान बनाते हुए क्या हमें वर्तमान स्तर को किसी प्रकार से नीचा करना है? वास्तव में एक संशोधन आया है कि 'मुख्तार' भी नामांकन के पात्र होने चाहियें। मुख्तारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्रतिकूल धारणा न रखते हुए भी हमें इस विषय पर विचार करना है कि क्या लेख्य-प्रमाणक का परिभाषा में ऐसी श्रेणी के विधि-व्यवसायी भी होने चाहिये जो ऊंचे स्तर के विधिव्यवसाइयों के समान लोक-विश्वास के पात्र नहीं। मैं इस विषय में कुछ अधिक उस समय कहूंगा जब वह संशोधन प्रस्तुत होगा।

लेख्य-प्रमाणक को बड़े महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्व के कृत्यों का निर्वहन करना होता है। उसका काम केवल एक साधारण साक्षी के समान किसी प्रलेख पर हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तव में वह एक 'लेख्य-प्रमाणकीय कृत्य' का साक्षी होता है। मानो कोई व्यक्ति उसके पास एक विनिमय-पत्र (हुण्डी) लेकर आता है तो लेख्य-प्रमाणिक यह हुन्डी दूसरे पक्ष के समक्ष रखेगा। यदि दूसरा पक्ष कोई उत्तर नहीं देता है तो लेख्य-प्रमाणक उस हुण्डी पर लिख देगा: "मैं इसे अमुक व्यक्ति के पास ले कर गया परन्तु वह इस का आदरण करने से लिए तैयार नही है।" इस पर वह विपत्र का अनादर-प्रमाण उस पर अंकित कर देगा और नीचे अपना हस्ताक्षर डाल देता है। उसके हस्ताक्षर और मुद्रा से प्रमाणीकृत वह लिखित सभ्य संसार के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है अर्थात जहां कहीं भी लेख्य-प्रमाणक मान्य हैं, और उनकी ओर से दिए गए साक्ष्य पर विश्वास किया जाता है।

एक लोक-लेख्य प्रमाणक के कर्त्तव्य तथा कृत्य अत्यन्त उत्तरदायित्व पूर्ण होते हैं। इंग्लिश अधिनियम के अन्तर्गत निकाय प्रमुख को ऐसे नियमादि बनाने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार भावी लेख्य प्रमाणक से साधारण प्रमाण-पत्र आदि और उसके चरित्र, आचार, योग्यता तथा दक्षता के सम्बन्ध में प्रमाण मांग जा सके। इसके अतिरिक्त उसे शपथ लेनी पड़ती है कि मैं अपने कृत्यों का निर्वहन शुद्ध अंतःकरण के साथ करूंगा। यदि एक लोक-लेख्य प्रमाणक के कृत्य सर्वमान्य न हों तो वह लेख्य-प्रमाणक कहलाने के योग्य नहीं है। किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को लेख्य-प्रमाणक बना देना और उसे प्रलेखों के अभिप्रमाणीकरण का अधिकार दे देना व्यर्थ होगा यदि वह प्रलेख विदेशों में स्वीकृत नहीं हो सकते। लेख्य-प्रमाणक के कृत्यों का प्रभाव-क्षेत्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं होगा, उसके कृत्य विदेशों में भी प्रभावी होंगे। अतः इस बात का निर्णय करते समय कि किस श्रेणी के व्यक्ति लेख्य-प्रमाणक नियुक्त हो सकते हैं हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये।

[श्री बिस्वास]

यह विधेयक अस्थायी संसद में प्रस्तुत हुआ था और प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया था। प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया था। दुर्भाग्यवश संसद् उस पर विचार न कर सकी और यह विधेयक प्रवर समिति के प्रतिवेदन सहित कालातीत हो गया। इसी कारण इसको वर्तमान संसद् में फिर से पुरःस्थापित करना पड़ा।

इस विधेयक का प्रारूपण प्रवर समिति की सिफारशों के अनुसार किया गया है। एक संशोधन यह भी प्रस्तुत हुआ है कि इसे फिर से प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए परन्तु सदन को इस बात पर विचार करना है कि क्या ऐसा करने की आवश्यकता है, विशेषकर जब कि पहले से ही एक प्रवर समिति द्वारा इस पर विचार हो चुका हुआ है।

प्राप्त संशोधनों की संख्या ८० से भी अधिक है, जिस से पता चलता है कि माननीय सदस्यों को इस विधेयक में कितनी अधिक अभिरुचि है। परन्तु हमें सावधानी से काम लेना होगा जिस से यह न कहा जा सके कि हम प्रमापों को गिरा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि भारत के लेख्य-प्रमाणक के कृत्यों का अन्य देशों के लेख्य-प्रमाणकों के कृत्यों से अधिक मान हो। सभी देशों में इस विषय में ऊंचा प्रमाप स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु हम ने यह उपबन्ध रखा है कि केन्द्रीय सरकार को लेख्य-प्रमाणक के कार्य-क्षेत्र अथवा विषय-क्षेत्र को परिसीमित करने का अधिकार होगा। यह एक आवश्यक अभिरक्षण है क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्यक लेख्य-प्रमाणक को हम वह समस्त कृत्य प्रदान नहीं कर सकते जो एक लोक-लेख्य-प्रमाणक को प्रदान हो सक. हैं। कम से कम प्रारम्भ में तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

पिछली प्रवर समिति की एक सिफारिश यह थी कि यह आवश्यक नहीं कि चल अथवा अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी लिखत का तय्यार करना भी लेख्य-प्रमाणकीय कृत्य कहलाए, अतः उन्हों ने इस से सम्बन्धित उपबन्ध को निकाल दिया। वर्तमान विधेयक में इस सिफारिश का प्रवर्तन किया गया है।

जिस खण्ड में लिखित शब्द की परिभाषा दी गई है उस पर एक संशोधन प्राप्त हुआ है। उसकी वांछनीयता अथवा अवांछनीयता पर विचार करना आवश्यक है। प्रवर समिति ने तो केवल ऐसी लिखत की तय्यारी को ही अपवर्जित किया है परन्तु इस संशोधन का आशय ऐसी लिखित के अभिप्रमाणिकरण को भी अपवर्जित करना है। मेरा निजी मत यह है कि जब हम एक लोक-लेख्य प्रमाणक के कृत्यों का निर्धारण कर रहे हैं तो हमें उनकी सूची को यथा-सम्भव विस्तृत रखना चाहिये, विशेषकर जब कि हम यह अधिकार प्राप्त करने जा रहे हैं कि जिस से हम किसी विशिष्ट लेख्य-प्रमाणक के कृत्यों को परिसीमित कर सकें। अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि हम इस विधान द्वारा लेख्य-प्रमाणक के कृत्यों के एक महत्वपूर्ण भाग को उस से छीन रहे हैं। ऐसा करना अवांछनीय होगा क्योंकि इस प्रकार की लिखतों तथा हस्तान्तर-पत्रों के निष्पादन का कार्य इस देश में, तथा अन्य देशों में, इस समय भी लेख्य-प्रमाणक के कृत्यों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे अपवर्जित करने का कोई कारण नहीं है। प्रवर समिति की यह सिफारिश इस तर्क पर आधारित जान पड़ती है कि कहीं साधारण लेख्य-निष्पादक की आजीविका

संकट में पड़ जाये। परन्तु यह शंका निराधार है। सर्वसाधारण सामान्य लेखों के लिये लेख्य-प्रमाणक के पास नहीं जायेंगे क्योंकि ऐसा करने से उन पर अत्यधिक खर्चा पड़ेगा। वह लोग तो उसके होते हुए भी साधारण लेख्य-निष्पादक की सेवाओं का ही उपभोग करते रहेंगे। यह मेरा निजी मत है, यद्यपि इस विधेयक का प्रारूपण पिछली प्रवर समिति द्वारा निर्दिष्ट रेखाओं का अनुसरण करते हुए किया गया है।

लेख्य-प्रमाणकों को स्थावर अथवा अस्थावर सम्पत्ति या विधिक कार्यवाही सम्बन्धी लिखतें तय्यार करने का अधिकार है।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि एक लेख्य-प्रमाणक के कृत्य उत्तर-दायित्वपूर्ण होते हैं। मैं यह भी जतलाना चाहता हूं कि उस के कृत्य शासन से सम्बद्ध कृत्य हैं और वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रकार के हैं। उनका सभी सभ्य देशों में आदर होता है और वह परराष्ट्रीय न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एस० एस० मोरे द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या विधि मंत्री को विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने पर आपत्ति है विधि मंत्री ने बतलाया कि ऐसा एक बार किया जा चुका है और उक्त समिति का प्रतिवेदन सदस्यों में परिचालित किया जा चुका है। श्री एस० एस० मोरे ने फिर आपत्ति की कि वह प्रवर समिति पिछले सदन की थी। श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) ने भी प्रवर समिति के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि लेख्य-प्रमाणक के कृत्यों के महत्व को देखते हुए और प्राप्त संशोधनों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए ऐसा करना समुचित होगा।

सभापति महोदय: प्रवर समिति को निर्देश देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। परन्तु पहले यह जानना होगा कि क्या इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री एस० बी० रामास्वामी अनुपस्थित हैं।

इस पर श्री रघुरामय्या (तेनालि) ने बतलाया कि उन्हों ने भी इसी प्रकार के प्रस्ताव की सूचना दे रखी है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को प्रवर समिति के लिए सदस्यों के नाम भी मुझे दे देने चाहियें थे। नियमों के अनुसार वह पहले से ही दे दिये जाने चाहिये, उन्होंने प्रवर समिति के प्रतिवेदन के लिए किसी तिथि का सुझाव भी नहीं दिया है।

श्री बी० दास (जाजपुर—क्योंझर): यह स्पष्ट नहीं है कि इस समय प्रवर समिति का प्रस्ताव कैसे लाया जा रहा है। माननीय मंत्रि ने विचार प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया हुआ है।

सभापति महोदय: नहीं, यही उचित समय है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि विधेयक पर विचार किया जाए। उस प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए, जो सर्वथा नियमानुकूल है।

श्री रघुरामय्या: मैं यह संशोधन केवल इसलिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं कि पिछली प्रवर समिति पिछले सदन की प्रवर ससमिति थी, वरन् इसलिए कि इस विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तों की आवश्यकता है।

जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है हम देखते हैं कि प्रलेखों के साक्ष्यांकन

[श्री रघुरामय्या]

को लेख्य-प्रमाणकीय कृत्य बना दिया गया है जिस का अर्थ यह है कि लेख्य-प्रमाणक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति यह काम कर ही नहीं सकता । परन्तु इस समय हमारे ग्रामों में हजारों प्रलेखों, अर्थात ओतीरों विक्रय-लेखों आदि का साक्ष्यांकन साधारण लोग ही कर देते हैं परन्तु यदि उन्हें इस जरा से काम के लिए शहर में जाकर लेख्य-प्रमाणक का खर्चा उठाना पड़ा तो उन के लिए कठिनाई हो जाएगी । इंगलैण्ड जैसे देश में तो यह हो सकता है क्योंकि वहां हर समय सौलिस्टर से परामर्श लिया जा सकता है।

खण्ड २ में दी गई 'विधि-व्यवसायी' की परिभाषा ठीक नहीं है क्योंकि उस से जिला-न्यायालय में काम करने वाला ऐडवोकेट अपवर्जित हो जाता है । या तो 'विधि-व्यवसायी' की परिभाषा दी ही न जाए और यदि दी जाए तो वह स्पष्ट होनी चाहिये ।

खण्ड १३ पृष्ट ३, पंक्ति ४०, में विदेशों के लेख्य-प्रामाणकों द्वारा निष्पादित कृत्यों का उल्लेख है परन्तु 'लेख्य-प्रमाणक' शब्द की एकमात्र परिभाषा खण्ड २ (घ) में दी गई है, अर्थात "इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति" । परन्तु खण्ड १३ में तो इसका यह अर्थ नहीं हो सकता।

इस प्रकार की चीजों पर सारे सदन के लिए विचार करना कठिन होगा और उस पर बहुत समय लगेगा, अतः में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं । मैं सदस्यों के नाम अभी दिए देता हूं । तिथि १८ जुलाई ।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि

"विधेयक को श्री एन० सी० चटर्जी, श्री के० के० बसु, डा० ए० कृष्णास्वामी, श्री रायसाम शेषगिरि राव, श्री बी० एस० मूर्ति, श्री मुनीश्वर दत उपाध्याय, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्री बी० एन० दातार, श्री एन० सी० कास्लीवाल, श्री एन० पी० नथवानी श्री सी० सी० शाह, श्री एन० पी० सिन्हा, श्री कुशी राम शर्मा, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री सी० सी० बिस्वास और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाए तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन दिनांक १८ जुलाई, १९५२ तक उपस्थित करने का निर्देश दिया जाय।"

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर): मेरा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में केवल एक संशोधन है और वह यह कि प्रतिवेदन की तिथी को एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाय । मैं प्रायः माननीय विधि मंत्री के विचारों से सहमत हूं, और इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं । वस्तुतःमंत्री महोदय इस विधेयक के पुरःस्थापन के लिए बधाई के पात्र हैं । लेख्य-प्रमाणकों ने हमारे देश के वाणिज्यिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है और भविष्य में भी हमारे व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ साथ उन्हें इस से भी अधिक महत्वपूर्ण कृत्यों का निष्पादन करना होगा।

इस अवसर पर श्री वेंकटारमन् (तंजोर) द्वारा प्रश्न उठाया गया कि क्या प्रवर समिति का कोई सदस्य इस प्रक्रम पर चर्चा में भाग ले सकता है । सभापति होदय ने कहा कि माननीय सदस्य तो केवल प्रवर समिति के निर्देशन सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, विधेयक

के गुणावगुण पर नहीं बोल रहे हैं। इस पर श्री बसु ने बतलाया कि उन का आशय तो केवल यह है कि प्रतिवेदन की तिथि को २५ अथवा २६ जुलाई तक बढ़ाया जाय। माननीय विधि मंत्री ने उक्त तिथि के विस्तारण पर आपत्ति की और कहा कि ऐसा करने से विधेयक के पारण में अनुचित विलम्ब होने की सम्भावना है। तब श्री वसु ने कहा कि मैं इस के लिये आग्रह नहीं करूंगा।

प्रवर समिति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत होकर स्वीकृत हुआ।

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> "संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिस पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। संशोधन बहुत संक्षिप्त प्रकार का है। इस का आशय संविधान के अनुच्छेद ८१ के वर्तमान अंकों के स्थान में कुछ और अंक आदिष्ट करना है। अनुच्छेद ८१ में लिखा है:

> "खंड (२) के तथा अनुच्छेद ८२ और ३३१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यों में के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित पांच सौ से अधिक सदस्यों से मिलकर लोक सभा बनेगी।"

आगामी खंड ने इस प्रकार उपबन्धित

> "उपखंड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी जिस से कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जन संख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न होगा।"

प्रस्तुत संशोधन का आशय यह है कि अंक ७,५०,००० के स्थान में अंक ८,५०,००० रख दिया जाए, और अंक ५,००,००० के स्थान में अंक ६,५०,००० रख दिया जाए। इस की आवश्यकता का कारण खंड (१) के उपखंड (ग) में समाविष्ठ उपबन्ध में पाया जाता है :

> "प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये गये सदस्यों की संख्या का अनुपात उस निर्वाचित-क्षेत्र की ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से, भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र यथा-साध्य एक ही होगा।"

जैसा कि हम जानते हैं गत सामान्य निर्वाचन, अनुच्छेद ३८७ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्धारणानुसार जनसंख्या के आधार पर हुए थे पिछली जनगणना १९४१ में हुई थी अतः राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि सामान्य निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये एक अनुमानित जनसंख्या निर्धारित कर दे। १९५१ की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग सभी राज्यों में जनसंख्या

(श्री बिस्वास)

में वृद्धि हो चुकी है । वस्तुतः कुल जनसंख्या में १३ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है, अतः अनुच्छेद ८१ के खंड (ख) में दिये गए अधिकतम और न्यूनतम अंकों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है । गत निर्वाचनों की औसत जनसंख्या प्रति सदस्य ७.२ लाख थी । इसी आधार पर (क) तथा (ख) भाग राज्यों से लोक सभा के लिये ४७० सदस्य निर्वाचित हुए । लोक सभा के लिये सदस्यों की अधिकतम संख्या ५०० ही रहने दी गई है, अतः राज्यों की जनसंख्या बढ़ने पर भी उन की सदस्य-संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं की जा सकती । ऐसी अवस्था में हमें प्रतिनिधान के औसत प्रतिशत को घटाना है । प्रति ७.२ लाख के पीछे एक सदस्य के स्थान में अब प्रति ७.५ लाख के पीछे एक सदस्य का प्रावधान करना होगा । हमें पता से चलता है कि यदि इन अंकों को ७,५०,००० से ८,५०,००० और ५,००,००० से ६,५०,००० कर दिया जाय तो यह इस प्राक्कलन के अनुकूल होगा । इसी लिये यह परिवर्तन करना आवश्यक है । इस का परिणाम यह होगा । १७ भाग (क) तथा भाग (ख) राज्यों में से नौ राज्यों की सदस्य संख्या वही रहेगी । एक राज्य, अर्थात बम्बई, में इस संख्या में तीन की वृद्धि होगी । मद्रास और मैसूर में एक की वृद्धि होगी, उत्तर प्रदेश में दो की कमी होगी जब कि चार राज्यों, अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में एक एक की कमी होगी । इस नए समायोजन का यह परिणाम होगा । इस के पश्चात हमें दूसरे विधेयक अर्थात परिसीमन आयोग विधेयक को लेना होगा । संविधान के अनुच्छेद ८१ के अन्तर्गत, इस समायोजन के हेतु हमें एक आयोग की आवश्यकता है जिसे परिसीमन का वास्तविक कार्य करने का अधिकार होगा । यह दोनों विधेयक एक दूसरे से सम्बद्ध हैं ।

श्री दातार (बेलगांव उत्तर) : इस विधेयक के परिणामस्वरूप किन किन राज्यों में सदस्य-संख्या में वृद्धि होगी ?

श्री बिस्वास : बम्बई में ।

अन्य सदस्यों के प्रश्नों पर विधि मंत्री ने बताया कि आसाम और त्रावन्कोर-कोचीन की सदस्य-संख्या वही रहेगी तथा यह कि भाग (ग) राज्यों के लिये विशेष आधार रहेगा और पहले भी उन के लिये विशेष उपबन्ध मौजूद है ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : यह विधेयक कब प्रवृत्त होगा, आगामी निर्वाचन पर अथवा अभी से ?

श्री बिस्वास : संविधान में उपबन्धित है कि परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार दिया जाएगा । संसद तथा विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन जनसंख्या के उस अनुमान पर आधारित है जिसे परिच्छेद ३८७ के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वैध प्राधिकार दिया जा चुका है और जो संविधान के प्रारम्भन के पश्चात पहले तीन वर्षों तक ही लागू होगा । यह तीन वर्ष २५ अथवा २६ जनवरी, १९५३, तक समाप्त हो जाएंगे यदि उस के पश्चात कोई सामान्य निर्वाचन होने हैं, तो हमें उन के लिए तैयार रहना चाहिए । उप-निर्वाचनों के लिए वर्तमान मतदाता सूचियां काम में आएंगी इस में कुछ संदेह नहीं । परन्तु, यदि किसी कारण से वर्तमान संसद् विघटित हो जाती है और नई संसद् का निर्वाचन करना पड़ जाता है तो हमें उस के लिए तय्यार होना है । अतः हमें इस सम्बन्ध में अभी से कार्यवाही करनी होगी । यही कारण है कि इस समय संविधान संशोधक विधेयक

लाया गया है। इस का प्रवर्तन वर्तमान संसद् के विघटन पर दूसरी संसद् के निर्वाचन के लिए होगा।

श्री काज़मी (ज़िला सुल्तानपुर उत्तर व ज़िला फैज़ाबाद---दक्षिण-पश्चिम) : सदस्य-संख्या में कमी अथवा वृद्धि किस प्रक्रिया द्वारा की गई है! सिद्धान्त को देखते हुए तो सभी राज्यों में कमी होनी चाहिए थी परन्तु बतलाया गया है कि कुछ एक राज्यों में वस्तुतः वृद्धि हो गई है। इस का क्या कारण है?

श्री बिस्वास : इसका स्पष्टीकरण उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में दिया गया है। जो कुछ मैं ने अभी बतलाया है वह केवल अनुमान मात्र है, अन्तिम रूप से निश्चित नहीं है। हो सकता है कि परिसीमन होने पर यह अंक भिन्न हो जाएं।

एक माननीय सदस्य : क्या इसका प्रभाव राज्य विधान सभाओं पर भी पड़ेगा?

श्री बिस्वास: मैं ने इस बिषय को नहीं लिया है, परन्तु यह तो अवश्यम्भावी है।

सभापति द्वारा विचार प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा सदस्यों से कहा गया कि यदि उन्हें कोई संशोधन प्रस्तुत करने हों तो करदें।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

१ नवम्बर, १९५२ तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाए"।

अपने संविधान के सशोधन के सम्बन्ध में चर्चा करते समय हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक आधारभूत प्रलेख है जिस पर अत्यन्त सावधानीयुक्त विचार की आवश्यकता है। परन्तु माननीय विधि मंत्री ने तो केवल उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण का संक्षेप मात्र ही हमारे सामने रख दिया है, कोई सारपूर्ण कार्य इस संशोधन के लिए नहीं बतलाया। हमारा संविधान सिद्धातों का एक ऐसा संकलन है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात किया गया था। अतः हमें उसके प्रति अधिकतम मान और आदर दर्शाना चाहिए जिसका कि वह पात्र है।

अंग्रेज़ी न्याय-शास्त्र में, जिसका अनुसरण हम प्रायः करते रहते है, आधारभूत विधि के लिए विशेष स्थान रखा गया है और इस का पर्याप्त मान होता चला आया है। माननीय विधि मंत्री हमें हमारे देश के संविधान में कुछ परिवर्तन करने का आग्रह कर रहे हैं और साथ ही यह कहे जा रहे हैं कि यह एक बहुत साधारण सी चीज़ है टैकिनकल सी बात है।

[इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को बतलाया कि उन्हें विषय विशेष पर ही बोलना चाहिए]

विधेयक के परिचालन के लिए प्रस्ताव करने से मेरा प्रयोजन यह है कि इस का सम्बन्ध हमारी जनता के मूल अधिकारों से है। इसके द्वारा हम संविधान में परिवतन लाना चाहते हैं, अर्थात लोक सभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को बदलना चाहते हैं, अतः यह अत्यावश्यक है कि उन संस्थाओं तथा व्यक्तियों को जो इस विषय में अभिरुचि रखते हैं इस पर विचार करने का अवसर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो निर्वाचन-क्षत्र में परिवर्तन किया जाना अवश्यम्भावी है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण–पूर्व) : इस का और उपाय भी हो सकता है । सदस्य-संख्या बढ़ाई जा सकती है (**अन्तर्बाधा**) ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : संयुक्त राज्य अमेरिका में जनगणनाओं तथा पुनरावंटन के परिणामस्वरूप प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या ६५ से बढ़ती बढ़ती ४३५ तक पहुंच चुकी है । यदि उस देश में जिसका अनुसरण हम प्रायः करते रहते हैं ऐसी संविधानिक क्रिया का अनुसरण हो सकता है तो फिर हमें सदस्य-संख्या को बढ़ाने में संकोच किस लिए होना चाहिये : अत्यधिक जनसंख्या का होना ही तो कोई ठीक कारण नहीं है कि जिस के आधार पर यहां की वयस्क जनता को उनके संसद् सम्बन्धी प्रतिनिधान के अधिकार से वंचित रखा जाए । संविधान के अन्तर्गत हमारी जनता को कुछ एक अधिकार प्राप्त हैं और इस विधेयक द्वारा हम उन्हें घटाने का प्रयास कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस सदन की सदस्य-संख्या में वृद्धि का सुझाव दे रहे हैं ?

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा —रक्षित—अनुसूचित जातियां): अवश्य ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इस समय विचाराधीन विधेयक का आशय यह नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं अनुच्छेद ८१ पर संशोधन देने वाला हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है । प्रस्तुत तर्क रुचिकर हो सकते हैं परन्तु प्रश्न तो यह है कि वह कहां तक संगत ह । संविधान का अनुच्छेद ८१ उपखंड (३ स प्रकार है :

> "प्रत्येक जनगणता की समाप्ति पर लोक-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे :
>
> परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़गा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये । "

वर्तमान सदन पर तो इस का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है केवल आगामी सदन पर ही पड़ेगा । सदन को सदस्य-संख्या संविधान द्वारा ५०० उपबन्धित है । जब कि संविधान के किसी एक विशेष उपबन्ध का संशोधन किया जा रहा हो तो उस पर चर्चा करते समय किसी अन्य उपबन्ध में संशोधन का सुझाव देना रुचिकर भले ही हो सुसंगत नहीं है और विचाराधीन विधेयक के विषय-क्षेत्र में नहीं आता ।

सदन का कार्यक्रम

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक सूचना देनी है । माननीय सदस्य भाषावार राज्यों सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा के लिए उत्सुक रहे हैं । अतः शनिवार, दिनांक १२ जुलाई इस प्रयोजन के लिए नियत किया गया है । उस दिन के लिए कोई प्रश्न न होने के कारण सदन सवा आठ बजे प्रातः के स्थान में सवा नौ बजे प्रातः समवेत होगा ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार ९ जुलाई १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थागित हो गई ।

GIPD—HS—453 PSD 22-7-53—285